अंक : 111 अक्तूबर—दिसंबर

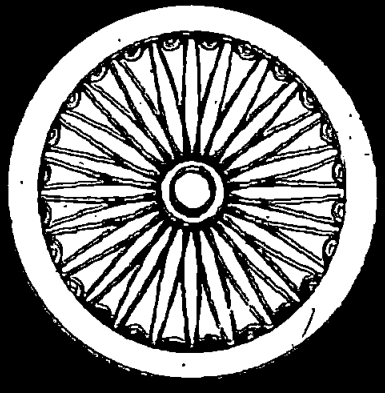

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल महामहिम श्री आर० एल० भाटिया पुरस्कार प्रदान करते हुए। साथ में हैं, राजभाषा विभाग के सचिव श्री देवदास छोटराय तथा संयुक्त सचिव श्री मदन लाल गुप्ता।

नराकास (उपक्रम) कोलकाता में पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन करते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सचिव श्री देवदास छोटराय एवं समिति के अध्यक्ष श्री बी. एन. सिंह।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

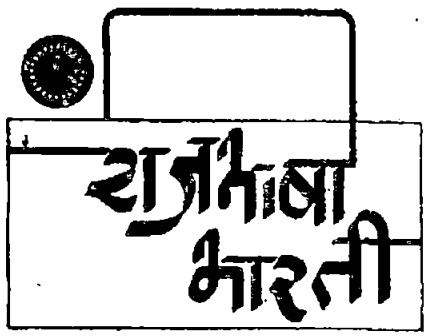

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 28

अंक : 111

अक्तूबर—दिसंबर, 2005

❑ संपादक
बिजय चंद्र मंडल
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24617807

❑ उप संपादक
डॉ० राजेंद्र प्रताप सिंह
दूरभाष : 24698054

❑ संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
ईमेल—ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल—www.rajbhasha.gov.in

विषय-सूची — पृष्ठ

❑ संपादकीय

❑ चिंतन

1. उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम —डॉ. वीरेंद्र सक्सेना 1
2. गढ़वाली हिंदी कोश : चिंतन और चुनौतियां —डॉ. अचलानंद जखमोला 4
3. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राष्ट्रभाषा दर्शन —डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह 8
4. संपर्क भाषा, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी —प्रा. कुमारी कमलिनी श. पशीने 11
5. हिंदी के प्रसार में सहायक मुफ्त सॉफ्टवेयर —विजय प्रभाकर कांबले 13

❑ साहित्यिकी

6. भाषा संसारम् —मदन गुप्त 16
7. साहित्य पर सूफ़ीवाद का प्रभाव —रंजन ज़ैदी 19

❑ पुरानी यादें —नए परिप्रेक्ष्य

8. मानवीय अस्मिता और आस्था के कवि : कुमार विमल —डॉ. इंदरराज बैद 22

❑ पत्रकारिता

9. संचार माध्यम दे रहे हैं, हिंदी भाषा को नई दिशा —डॉ. मधुबाला 26

❑ मानवाधिकार

10. मानवाधिकार और पुलिस —प्रो. ब्रजगोपाल शुक्ल, —डॉ. एस. अखिलेश 28

261 HA/06—1A

विषय-सूची	पृष्ठ

❑ विविध

11. जागी आधी आबादी —डॉ. रवि शर्मा 32

❑ राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 35

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 38

(ग) कार्यशालाएं 41

(घ) हिंदी दिवस 44

❑ संगोष्ठी/सम्मेलन 67

❑ पुरस्कार 70

❑ आदेश-अनुदेश 71

❑ पाठकों के पत्र 93

261 HA/06—1B

संपादकीय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को न केवल आजादी दिलाई वरन् राष्ट्र-संचालन के लिए एक सम्यक् चिंतन भी प्रदान किया, जिसे ''गांधी दर्शन'' के नाम से पूरा विश्व जानता है। 2 अक्तूबर, 2005 को कृतज्ञ राष्ट्र ने राष्ट्रपिता गांधी का जन्म दिवस मनाया। गांधी जी का जन्म दिवस हमें राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के बारे में गांधी जी के चिंतन के परिप्रेक्ष्य में आत्मालोचन का अवसर प्रदान करता है। अन्य बहुत सी बातों के साथ-साथ, पूरा राष्ट्र हिंदी को इस देश की राष्ट्रभाषा, जनभाषा और राजभाषा का सम्मान देने के लिए भी उनका कृतज्ञ है। यह अवसर हमें ''राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में—हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी'' —अनायास ही राजभाषा हिंदी की प्रगति के बारे में पुनर्चिंतन को विवश करता है। यह स्वीकार करना होगा कि पिछले 56 वर्षों से निरंतर सरकारी प्रयासों के बावजूद केंद्र सरकार के कार्यालयों से न तो पूरी तरह अंग्रेजी को हटाया ही जा सका है और न ही पूरी तरह हिंदी को लाया ही जा सका है। यह भी मानना होगा कि संविधान निर्माताओं का इरादा हिंदी को ''संघ'' की राजभाषा बनाने का था न कि केवल केंद्र सरकार के कार्यालयों की भाषा बनाने का। बाद में इस सोच में किंचित भटकाव दिखाई देता है और सारी ऊर्जा हिंदी को केंद्र सरकार की भाषा बनाने में व्यय हो गई लगती है। हिंदी संपूर्ण ''भारत संघ'' की राजभाषा है और उसे संपूर्ण देश की संपर्क भाषा, व्यवहार की भाषा के रूप में कार्य करना है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में मात्र कुछ हिंदी कार्मिकों की भर्ती कर देने या छिटपुट प्रशिक्षण/प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन भर कर देने, एक आध समारोह मना लेने से, हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले पाएगी, इसमें संदेह है।

संभवत: हमें अपनी कार्ययोजना में बदलाव लाना होगा। हिंदी के प्रचार को एक जन-आंदोलन का रूप देना होगा, जिसका जुड़ाव राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान से हो, राष्ट्रीय एकीकरण से हो और जिसकी शक्ति अनेकता में एकता हो। इसके लिए हिंदी साहित्यकारों और हिंदी सेवियों को तो मिशनरी के तौर पर कार्य करना ही होगा, साथ ही नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों को भी हिंदी को अपनाकर इस सामूहिक

हवन में समिधा डालनी होगी। यह सभी की जिम्मेदारी है। पुनः इसका समाधान हमें बापू द्वारा 15 अगस्त, 1947 को बी.बी.सी. को दिए संदेश में प्राप्त होता है। उन्होंने कहा था ''दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी भूल गया।''

राजभाषा भारती का 111वां अंक प्रबुद्ध पाठकों को सौंपते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा भारती के इस अंक में चिंतन स्तंभ में राजभाषा हिंदी के विकास के विभिन्न पहलुओं पर 5 विचारोत्तेजक आलेख दिए गए हैं। इसी प्रकार साहित्यिकी में ''भाषा संसारम्'' नामक ललित निबंध तथा एक अन्य विचारोत्तेजक शोध आलेख दिया गया है। डॉ. कुमार विमल पर आलेख लेखक परिचय शृंखला का एक उत्कृष्ट आलेख है। इसके अलावा सदैव की भांति समसामयिक विषयों पर विभिन्न आलेख शामिल करके विषय सामग्री को विविधता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस अंक में सितंबर माह के दौरान आयोजित हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा आदि से संबंधित रिपोर्टों को अधिकाधिक स्थान देने का प्रयास किया गया है। अन्य नियमित स्तंभ तो हैं ही।

पत्रिका पुनः विलंब से पाठकों के हाथ में पहुंच रही है। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व लेते हुए, हम इस अंक के बारे में सुधी पाठकों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे।

—संपादक

चिंतन

उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम

—डा० वीरेंद्र सक्सेना*

आज से लगभग चार दशक पूर्व सन् 1965 में, मैं 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग' (तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) की सेवा में नया-नया आया था। तब वहाँ कार्य करते हुए मन में पूरी आशा और उमंग जन्म लेने लगी थी कि शब्दावली निर्माण का कार्य पूरा होते ही कुछ ही वर्षों में आरंभिक शिक्षा के बाद स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी अंग्रेजी के बजाय हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में दी जानी लगेगी। पर खेद की बात है कि पिछले 40 वर्षों में केंद्रीय हिंदी निदेशालय, राजभाषा विभाग तथा अनेक अन्य संस्थाओं द्वारा हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार और विकास के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। इसलिए, जब हिंदी ही शिक्षा का माध्यम नहीं बन पाई, तो अन्य भारतीय भाषाएं कैसे बन पातीं?

अंग्रेजी के पक्ष में आम तौर पर यह मत भी प्रचारित किया जाता है कि अंग्रेजी 'विश्व भाषा' है और उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा चूंकि अंग्रेजी के माध्यम से ही जारी है, इसलिए आरंभिक शिक्षा भी बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से ही सुलभ करा देनी चाहिए। और शायद इसी मत से प्रभावित होकर अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले निजी स्कूलों में भेजने लगते हैं और इसके लिए वे बच्चों के भविष्य की खातिर अपनी आय से अधिक खर्च के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस तरह महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलते जा रहे हैं और हिंदी या प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूल केवल निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए रह गए हैं। इस तरह वर्ग-भेद तो बढ़ ही रहा है, तथा भविष्य में और ज्यादा बढ़ता जाएगा, साथ ही अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी दूर होते जाएंगे।

इस सबके पीछे बिडंवना यह है कि जिस तरह राजभाषा के रूप में हिंदी को पूरी तरह अपनाने का निर्णय लगातार स्थगित होता रहा है, उसी तरह शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने का निर्णय भी अभी तक स्थगित ही रहा है। इसलिए इस लेख के माध्यम से मैं केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह अपील करना चाहता हूं कि वह सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाकर आरंभिक शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा तक में अंग्रेजी के बजाय हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाएँ माध्यम के रूप में अपनाने का निर्णय करे और उसे कार्यान्वित करने के उपाय भी करे।

यहाँ मैं उच्च शिक्षा और व्यावसयिक शिक्षा में भारतीय भाषाएँ अपनाने पर जोर इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि अगर उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में भारतीय भाषाएँ स्वीकार कर ली जाएँगी, तो आरंभिक शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं का माध्यम स्वत: स्वीकार्य हो जाएगा। कारण, तब अंग्रेजी माध्यम वाले निजी स्कूलों को भी लगने लगेगा कि अगर उन्होंने भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में नहीं अपनाया, तो उनके छात्र उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं का माध्यम अपनाने में पिछड़ जाएँगे और तब वे परीक्षाओं में भी अछे अंक प्राप्त नहीं कर पाएँगे।

अभी तक प्राय: यह मत भी प्रचारित किया जाता है कि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में माध्यम -परिवर्तन से हम विकसित देशों की तुलना में हमेशा पिछड़े ही रहेंगे। लेकिन इसी मत के विरोध में मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद भी, इतने वर्षों से अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा पाते हुए भी हम विकसित देशों की तुलना में पिछड़े हुए क्यों हैं और विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में हम अपना कोई मौलिक योगदान क्यों नहीं दे पा रहे?

मैं स्वीकार करता हूँ कि ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आसान नहीं हैं, और इसके कारण भी अनेक हैं। पर कम से कम एक कारण यह अवश्य है कि हम अभी तक उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में हिंदी या अन्य भारतीय

*6118/4, पाकेट डी-6, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

भाषाओं को माध्यम स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इससे जो हानि या कठिनाई हो रही है, उसके लिए मैं यहाँ विधि की शिक्षा का उदाहरण देना चाहूँगा। विधि या कानून एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका संबंध आम जनता से है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने के कारण कोई भी वकील या विधिवेत्ता, आम जनता से पूरी तरह कट जाता है। अत: यदि यही विधि की शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से सुलभ हो जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है, न्याय-प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी और उन लोगों की समझ में भी आसानी से आ जाएगी, जिनके लिए वह लागू की जाती है।

कुछ विद्वान यह भी कहते सुने जाते हैं कि मानविकी और समाजविज्ञान आदि की शिक्षा हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में आरंभ कर दी जाए, पर विज्ञान, इंजीनियरी चिकित्सा या विधि जैसे व्यावसायिक विषयों की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही जारी रहे। किंतु तनिक विचार करें, क्या यह बात बुद्धिसम्मत है कि आधी शिक्षा हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में दी जाए और आधी अंग्रेजी में? राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन का माध्यम हमारी अपनी भाषाएँ हो जाएँ और वैज्ञानिक गतिविधि या न्याय-व्यवस्था का माध्यम हम अंग्रेजी ही बनाए रखें? यह तो ऐसा ही होगा कि हम अनुभव करें अपनी भाषाओं में, लेकिन समाधान खोजें विदेशियों की भाषा में!

रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि अंग्रेजी से इतर भाषाभाषी देशों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि सांस्कृतिक प्रगति की भांति वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी अपने देश की भाषा का माध्यम ही सबसे उपयुक्त माध्यम है। अत: आज यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि हम उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा में अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाएँ अपनाएँ या नहीं? बल्कि प्रश्न यह उठना चाहिए कि हम अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं में माध्यम-परिवर्तन करें, तो कैसे?

जो लोग पुस्तकों की कमी का रोना रोते हैं, उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि माध्यम-परिवर्तन का निर्णय लागू होते ही हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम की पुस्तकों की माँग स्वत: उत्पन्न हो जाएगी और जब माँग होगी, तो उसकी पूर्ति भी क्रमश: होने लगेगी। यानी, पुस्तकों के लेखन या अनुवाद का कार्य तत्काले गति पकड़ लेगा। अभी पुस्तकों की तैयारी की गति इसलिए धीमी है, क्योंकि उनकी माँग नहीं है। माँग नहीं है, इसलिए बिक्री भी नहीं है, और इसीलिए लेखक और प्रकाशक भी इस दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो पुस्तकें सरकारी प्रयासों से तैयार की गई हैं, वे भी माँग न होने के कारण गोदामों में पड़े-पड़े पुरानी पड़ गई हैं और 'आउट ऑफ डेट' होती जा रही हैं।

शिक्षा में माध्यम-परिवर्तन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भी आवश्यक उपाय करने होंगे, क्योंकि 'शिक्षा' का विषय राज्यों के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए, हिंदी भाषी राज्यों की सरकारों को हिंदी के लिए पहल करनी होगी और हिंदी में माध्यम-परिवर्तन के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे। इसके लिए हिंदी भाषी राज्यों की सरकारें मिलकर इस बात की पड़ताल कर सकती हैं कि किस स्तर के किस पाठ्यक्रम के लिए कितनी पुस्तकों की आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रमों के आधार पर अपेक्षित आधारभूत सामग्री का प्रारूप तैयार हो जाने पर हिंदी राज्यों की शिक्षण-संस्थाएं, केंद्र सरकार की शिक्षण-संस्थाओं के साथ परस्पर विचार-विमर्श और कार्य-विभाजन करके, निर्धारित लक्ष्य शीघ्रतापूर्वक प्राप्त कर सकती हैं। इसी तरह हिंदीतर भाषी राज्यों की सरकारों को भी अपनी-अपनी भाषा की अकादमियों एवं केंद्र सरकार की संस्थाओं के साथ तालमेल करके एक कार्य-योजना तैयार करनी होगी और उसका कार्यान्वन सुनिश्चित करना होगा।

इसी संदर्भ में उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए जिन पुस्तकों/ग्रंथों का निर्माण करना होगा, उनके निर्माण की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं की जानकारी भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि फिलहाल उच्च शिक्षा, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा, के पाठ्यक्रमों से संबंधित विषयों पर भारतीय भाषाओं में लिखने में सक्षम व्यक्तियों की संख्या काफी कम है। मैं यहाँ हिंदी के जानकार के रूप में बता सकता हूँ कि संबंधित तकनीकी विषयों के विद्वानों का हिंदी की भाषा-शैली पर अधिकार नहीं है और हिंदी भाषा के ज्ञाताओं को तकनीकी विषयों की सम्यक् जानकारी नहीं है। अत: इस समस्या का हल यह है कि संबंधित विषय का विशेषज्ञ, संबंधित भारतीय भाषा के विद्वान के साथ मिलकर काम करे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा हर विषय की अखिल भारतीय मानक शब्दावली तैयार कर दी गई है, अत: विषय-विशेषज्ञ को चाहिए कि वह उस शब्दावली का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा में पुस्तक लिखना आरंभ कर दे। साथ ही उस भाषा के विशेषज्ञ को चाहिए कि वह अपने भाषा-ज्ञान के आधार पर पुस्तक का प्रत्येक अध्याय जाँचता चले और उसकी भाषा-शैली में संशोधन या परिमार्जन भी करता चले।

यह तो हुआ मौलिक पुस्तकों/ग्रंथों के लेखन का समाधान। पर मानक पुस्तकों/ग्रंथों के अनुवाद के लिए इससे उल्टी प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए दो की बजाय तीन सहयोगियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो ऐसे अनुवादक की आवश्यकता होगी, जो स्रोतभाषा और लक्ष्य भाषा, दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो और अच्छा अनुवादक भी हो। अनुवादक द्वारा अनुवाद-कार्य संपन्न होते ही उसका विषय के एक विशेषज्ञ और उसके बाद भाषा के एक विशेषज्ञ द्वारा संशोधन-परिमार्जन कराना होगा। इस प्रकार के कार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा पूर्णकालिक या अंशकालिक अनुवाद केंद्र स्थापित करके निर्धारित अवधि में संपन्न कराए जा सकते हैं। स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तकें तैयार करने के लिए कई विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार के कुछ केंद्र स्थापित किए गए थे और उनके अच्छे परिणाम भी सामने आए थे।

इस आलेख के आरंभ में ही मैंने बताया है कि पिछले चार दशकों में अनेक क्षेत्रों में हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार और विकास के बावजूद, शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। साथ ही, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में तो अंग्रेजी माध्यम पूरी तरह बरकरार है, चाहे उससे छात्रों का कितना भी नुकसान क्यों न हो रहा हो! अत: इस बारे में मेरा एक अतिरिक्त सुझाव यह है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखकर यह निर्णय तुरंत ले लिया जाए कि परीक्षाओं में विकल्प के रूप में हिंदी प्रदेशों में हिंदी माध्यम और हिंदीतर प्रदेशों में प्रादेशिक भाषा को माध्यम के रूप में अपनाने की सुविधा तुरंत दे दी जाएगी। इससे जो विद्यार्थी अपनी भाषा का माध्यम अपनाना चाहते हैं, वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हुए भी अपनी भाषा को भी माध्यम के रूप में अपना सकेंगे और उसमें स्वयं को अभिव्यक्त भी कर सकेंगे। तब यह भी संभव है, कि उनकी आवश्यकता को देखते हुए अनेक पुस्तकें भी भारतीय भाषाओं में लिखी जाने लगें और प्रकाशक उन्हें प्रकाशित भी करने लगें। इसी क्रम में अंग्रेजी पुस्तकों के भारतीय भाषाओं में स्तरीय अनुवाद भी सामने आ सकते हैं और पुस्तकों की कमी काफी सीमा तक दूर की जा सकती है। इस तरह अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने और उसमें अभिव्यक्ति की सुविधा से हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, चिकित्सकों और अधिवक्ताओं आदि में एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा और वे भविष्य में मौलिक ढंग से कुछ नया सोचकर स्वयं मौलिक लेखन भी कर सकेंगे। यह न केवल उनके हित में होगा, बल्कि हमारे राष्ट्रीय गौरव के भी हित में होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस सबके लिए पहल कौन करेगा? अस्तु, मेरे विचार में पहल तो केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही करनी होगी। ■

यदि भारतीय लोग कला संस्कृति और राजनीति में एक रहना चाहते हैं तो इसका माध्यम हिंदी ही हो सकती है

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

गढ़वाली-हिंदी कोश : चिंतन और चुनौतियाँ

—डा० अचलानंद जखमोला*

गढ़वाली भाषा में लोक साहित्य की लंबी परंपरा रही है परंतु लगभग अठारहवीं सदी से उसके काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि अन्य विधाओं में उत्कृष्ट संपन्नता आने लगी थी। संप्रति गढ़वाली का अपना विपुल साहित्य भंडार है। अत: कोश की अपरिहार्यता एक लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। गढ़वाल की विरासत, संस्कृति और साहित्य के उन्नयन के लिए प्रयत्नशील अखिल गढ़वाल सभा, देहरादून के तत्त्वाधान में आयोजित दिसंबर के तृतीय सप्ताह में संपन्न हुई कार्यशाला में, अन्य विषयों के अतिरिक्त बहु-प्रतीक्षित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि इन पंक्तियों के लेखक के मार्गदर्शन में गढ़वाली भाषा का एक मानक और विशद कोश निर्मित होना चाहिए।

गढ़वाल क्षेत्र संस्कृत के उद्भट विद्वानों की जन्मस्थली और कार्यस्थली रहा है। स्वाभाविक है कि यहाँ के शब्द-समूह पर वैदिक एवं लौकिक संस्कृत शब्दों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। पाँचवीं शती के आसपास निर्मित संस्कृत के प्रख्यात कोश—अमरकोश, से गढ़वाली विद्वान अपरिचित नहीं रहे होंगे। अत: उसी की तर्ज पर गढ़वाली भाषा में साहित्य-प्रगति के साथ-साथ कोश-निर्माण की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हुए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीसवीं शती के प्रारंभ में टिहरी निवासी श्री मालचंद रमोला ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहल की। सन् 1940 के आसपास श्री तुलाराम शर्मा 'चंद्र' तथा पं० प्रज़ाराम ग्वाड़ी द्वारा दो कोशों के निर्माण संबंधी उल्लेख मिलता है। परंतु दोनों कोश 'अ' 'आ' अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्दों तक ही प्रकाश में आ सके। संकेत मिलते हैं कि इसी क्रम को श्री गुणानंद ढौंडियाल तथा विद्याप्रेमी टिहरी महाराज कीर्तिशाह ने गति दी। उपर्युक्त कोशों की पांडुलिपियों के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं है। श्री बलदेव प्रसाद नौटियाल द्वारा संपादित कोश उपलब्ध है। इस क्षेत्र में सफलता के अधिकारी मास्टर जय लाल वर्मा हैं। गढ़ गौरव प्रेस, कोटद्वार से मुद्रित इस कोश के दो संस्करण निकल चुके हैं। कोश में शब्दों के व्याकरणिक संकेत तथा प्रचलित पर्याय एवं सुबोध विवरण द्वारा अर्थ दिए गए हैं। ऐतिहासिक महत्व का यह ग्रंथ गढ़वाली कोश-निर्माण की दिशा में विशिष्ट महत्त्व रखता है। अनवरत और अथक परिश्रम तथा लगन के साथ उन्होंने गढ़वाली शब्द-कोश पूर्ण किया, जिसका संपादन व प्रकाशन उनके सुयोग्य शिष्य श्री कुँवर सिंह नेगी 'कर्मठ' द्वारा किया गया।

इलाहाबाद से सुप्रसिद्ध भाषाविद् श्री महावीर प्रसाद लखेड़ा एवं रमाप्रसाद घिल्डियाल 'पहाड़ी' ने भी एक वृहद् गढ़वाली कोश निर्माण की योजना बनाई थी, जो उ० प्र० सरकार द्वारा लगभग स्वीकृत हो चुकी थी, परंतु निर्णय के अंतिम क्षणों में एक दूसरी क्षेत्रीय भाषा के हिमायतियों का पलड़ा भारी पड़ा और उनका कोश प्रकाशित हो गया। ज्ञात सूत्रों के अनुसार शीर्ष गढ़वाली कवि एवं भाषाविद् श्री कन्हैया लाल डंडरियाल जी का हस्तलिखित गढ़वाली कोश इस कड़ी का अंतिम प्रयास मानना चाहिए।

अधिसंख्य विद्वानों का मत है कि साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में कोश निर्माण मौलिक रचना नहीं है। कोश का मूलभूत लक्षण 'शब्दों का संग्रह' है। इसीलिए कोशकार को लेखक नहीं अपितु 'संग्रहकर्ता', 'संकलनकर्ता' या 'संपादक' कहना समीचीन होगा। पूर्ववर्ती कोशों की शब्द-सामग्री को परवर्ती कोशों में सदैव ही स्थान मिलता रहा है। तभी उनकी पूर्णता बनती है। संस्कृत के शीर्षस्थ कोशकार अमरसिंह ने अपने कोश के प्रारंभ में स्पष्ट घोषणा की कि उन्होंने अन्य तंत्राणि (व्याडि, वररुचि प्रभृति) से शब्दों को समाहृत्य, एकीकृत्य किया। प्रतिस्पर्धियों ने इसीलिए उन पर चोरी का लांछन लगाया था (अमरसिंहस्तु पापीयान् सर्वंभाष्यमचूचुरत्)। व्यावहारिक और साहित्यिक दृष्टि से इसे साहित्यापहरण या वागपहार (प्लेजियरिज्म) नहीं कहा जा सकता। यह भाव या साहित्य की चोरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोशों के प्रकाशकीय-मुद्रण पृष्ठ पर कोश को

*290/II, वसंत विहार, देहरादून-248006

'सर्वाधिकार सुरक्षित', 'कापी राइट' जैसा प्रतिबंध छपाना तर्क संगत नहीं है। कोश तो संदर्भ ग्रंथ है। शब्दों की शुद्धता, वर्तनी की प्रामाणिकता, अर्थ की पुष्टि कोश से होती है। संस्कृत साहित्य में शब्दों की अधिकृतता, वर्तनी, सार्थकता या पुष्टीकरण 'इत्यमर:' (ऐसा अमरकोश में है) जैसी उक्ति से ही मान्य होता रहा है। प्रत्येक कोशकार का मंतव्य यही रहता है कि उसका कोश सर्वोपयोगी तथा सर्वग्राह्य हो। अधिकाधिक पाठक, साहित्यसेवी, छात्र, अध्यापकगण या सामान्य जन उसे अधिकृत मान कर लाभान्वित हो सकें, तो फिर सर्वाधिकार सुरक्षित या कापी राइट जैसी बंदिश क्यों?

मूल रूप से शब्दों का संग्रह मात्र उद्देश्य होते हुए भी एक आदर्श कोश में न्यूनाधिक रूप से व्याकरणिक संकेत, यथासंभव अर्थ या व्याख्या का होना अनिवार्य माना जाता है। विस्तृत कोशों में शब्द संबंधी अनेक सूचनाएं, यथा - साहित्यिक शब्दों के पर्याय, विलोम, संक्षिप्त रूप,(एब्रीविएशंस)मुहावरे, लोकोक्ति,गद्य या पद्य में प्रचलित प्रसिद्ध व्यक्तित्व, स्थान बेतार के तारों संबंधी चिह्न, नाप-तौल या मुद्राओं की तालिका, उपसर्ग व प्रत्ययों की सूची, मान्य व्यक्तियों को संबोधित करने की पद्धतियाँ,व्यापार या वाणिज्य विषयक शब्दावली, कुछ शब्दों के चित्र आदि का भी अंकन रहता है। वैदिक संहिताओं में प्रयुक्त कठिन शब्दों का संग्रह निघंटु तथा इन शब्दों की व्याख्या निरुक्त में दी गई है। इधर तकनीकी, वैज्ञानिकी, औद्योगिकी, शास्त्र या विषय विशेष, पारिभाषिक, साहित्यिक (मुहावरा, लोकोक्ति, पर्याय, कवि रचनाकार विशेष, आंचलिक बोलियाँ, उपभाषाएँ आदि जैसे) विशिष्ट कोश भी निर्मित किए जा रहे हैं।

गढ़वाल क्षेत्र में शब्द-भंडार का बाहुल्य है, जो कोशकार के लिए सरदर्दी का कारण भी बन सकता है। अकारादि क्रम में सर्वप्रथम अंग्रेजी कोश के निर्माता सैमुअल जॉनसन ने सच ही कहा था कि कोशकार के सम्मुख अँधेरा (शब्दों की न्यूनता) नहीं बल्कि प्रकाश (शब्दों का बाहुल्य) सर्वाधिक गतिरोधक है। पशु, पक्षी, वनस्पति, प्राकृतिक संपदा, देवी-देवता, पौराणिक-धार्मिक अनुष्ठान, त्यौहार व समारोहों संबंधी सभी शब्दों को प्रस्तावित कोश में स्थान मिलना कहाँ तक संभव होगा, यह विचारणीय है। गतप्रयोग, अप्रचलित, लुप्त तथा किसी दूरस्थ क्षेत्र में या कुछ कबीलों या वर्ग मात्र द्वारा प्रयुक्त शब्दों का त्यागना और हिंदी,अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि अन्य भाषाओं के बहुप्रयुक्त शब्दों को स्थान देना अत्युपयोगी होगा। यहाँ के मूल निवासियों के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यहाँ तक कि बिहार एवं बंगाल से यात्रियों, व्यापारियों और सेवा से हारे-थके या बागी योद्धाओं का यहाँ आना-जाना रहा है। राजघरानों के वैवाहिक संबंध हिमाचल, नेपाल या कुमायूँ से होते रहे हैं। द्रविड़ भाषा- समूह के अधिकांश शब्द भी गढ़वाली में है। इस अपार शब्दावली को कोश में स्थान देते समय नीर-क्षीर विवेक से ग्रहण और त्याग की पद्धति अपनानी पड़ेगी।

अच्छरौटी, वर्तनी या शब्द- रूप गढ़वाली का सबसे विवादास्पद विषय रहा है। भाषा विषयक प्रत्येक सभा-समारोह पर यह प्रकरण जाने-अनजाने सामने आ जाता है। मानकीकरण का प्रश्न अब बहुत पिट चुका है। सभी को ज्ञात है कि दो कोस पर बदले पाणी, चार कोस पर बाणी-उक्ति विश्वभर की भाषा, उपभाषा एवं बोलियों पर चरितार्थ होती है। फिर गढ़वाली के ही संबंध में यह अनावश्यक हो-हल्ला क्यों? इस भाषा के हितैषियों, भाषा शास्त्रियों तथा साहित्यकारों ने सम्यक् विमर्श एवं विचारोपरांत यह आम निर्णय लिया था कि गढ़वाल क्षेत्र के केंद्र में स्थित पौड़ी, श्रीनगर और टिहरी के आसपास की बोली ही गढ़वाली भाषा का मानक रूप होगा। हाँ, कोश बनाते समय मानक शब्द को मुख्य प्रविष्टि के रूप में निर्दिष्ट करने के उपरांत अन्य ज्ञात, प्रचलित या उपलब्ध रूपों का भी अंकन किया जा सकता है। ऐसे अन्य रूपों की पुन: स्वतंत्र प्रविष्टि देने के उपरांत उनके सामने मूल मानक शब्द की ओर इंगित मात्र करना पर्याप्त होगा। ऐसी प्रविष्टियों के लिए पुन: अन्य विवरण की पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है।

यूरोपीय तथा कुछ अन्य भाषाओं के कोशों में शब्दों का उच्चारण देना अपरिहार्य होता है। लगभग सभी यूरोपीय भाषाओं की लिपि कुछ जोड़-घटाने के बाद, रोमन होते हुए भी वर्णों में उच्चारण विभेद है। मैं स्वयं फ्रांस के सुप्रसिद्ध दार्शनिक रोम्याँ रोल्याँ तथा संस्कृत भाषा के पंडित जर्मनी वासी गेटे को उनके नाम की वर्तनी के आधार पर लम्बे अरसे तक क्रमश: रोमेण्ड रोलेण्ड तथा गोथ बोलता और पढ़ता रहा। हंगरी प्रवास के दौरान मेरा परिचय डॉ यखमोला के रूप में दिया जाता था, क्योंकि हंगेरियन ही नहीं कई अन्य यूरोपीय भाषाओं में अंग्रेजी वर्ण जे का उच्चारण य के रूप में होता है। हिंदी संस्कृत शब्दों को रोमन लिपि में लिप्यंतरित करते समय वैशिष्ट्य दर्शक डाइक्रिटिक चिह्न दिए जाते हैं, परंतु इसके

261 HA/06—3A

उपरांत भी बहुत कम विद्वान विदेशी भाषा का शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं। नस्तालीक लिपि अपनाने वाली सभी सुमेरियन भाषाओं में मात्राओं के लिए जेर, ज़बर, पेश, तशददुद आदि चिह्नों का प्रयोग होता है, परंतु तनिक लापरवाही अर्थ का अनर्थ कर देती है। उर्दू में एक बहुचर्चित परिहास है कि नस्तालीक लिपि में लिखा गया संदेश 'लाला जी अजमेर गए, बड़ी बहीं को पटना भेज दो', जेर-ज़बर-पेश की असावधानी से पढ़ लिया गया—लाला जी आज मर गए, बड़ी बहू को पिटने भेज दो! पढ़ -सुनकर हाहाकार मच गया! इसी प्रकार अरबी-फारसी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखते समय ज वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग सावधानी से करना पड़ता है। अरबी के 'जलील' (प्रतिष्ठित, महान, मान्य) को यदि ज़लील (भ्रष्ट, अधम, पामर, नीच) लिख दें, तो ग़ज़ब हो जायेगा।

देवनागरी लिपि में उच्चारण वैभिन्य नहीं है परंतु गढ़वाली के कुछ वर्ण यहाँ नहीं हैं। इसी प्रकार स्वराघात या बलाघात, सघोष आदि वर्णों की 'ढौल' (बलाघात सहित विशेष एक्सेंट) तथा पंचाक्षरों के सही गढ़वाली उच्चारण देने की प्रक्रिया पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। कुछ नए वर्ण अपनाने पड़ेंगे।

मानक शब्द को मुख्य प्रविष्टि मानकर उसका व्याकरणिक संकेत निर्दिष्ट करने में कठिनाई महसूस की जा सकती है। उपसर्ग व प्रत्ययों तथा कारक चिह्नों के मिश्रण से जुड़े शब्दों को मुख्य प्रविष्टि देने, उनका मूल निर्धारणार्थ एवं व्युत्पत्ति के संबंध में सुस्पष्ट नीति अपनाने के लिए विशेष ध्यान और विमर्श की आवश्कता पड़ेगी। गढ़वाली में लगभग सभी कारक चिह्नों का मूल शब्द के साथ मिश्रण तथा क्रियाओं की काल संबंधी विभिन्नता मुख्य रूप से अनेक रूप-भेद के कारण है। अत: इस विषय पर विशेष, चिंतन, मनन और सतर्कता की आवश्यकता होगी।

यह नहीं भूला जा सकता कि कोश की वास्तविक उपादेयता अर्थ और व्याख्या से बनती है। शब्द तो आवरण मात्र हैं, उनकी आत्मा और प्राण तो अर्थ में ही हैं। सामान्यत: उसी या अन्य भाषा के तदर्थ या समभावी, प्रतिशब्द, पर्याय या समानार्थी शब्दों द्वारा अर्थ इंगित करने की सर्वाधिक मान्य एवं लोकप्रिय प्रणाली है। कठिन या दुरूह शब्दों को सुगम एवं बोधगम्य बनाने के लिए व्याख्या या परिभाषा का आश्रय लेना पड़ता है। तत्वों, पदार्थों, वस्तुओं आदि के अंग-प्रत्यंग, रंग, आकृति, आंतरिक गुण, व्यवहार, स्वभाव, प्रयोग-विधि, प्रभाव, स्रोत, कौटुंबिक या पारिवारिक संबंध प्रसिद्धि के कारण, लिंग-द्योतन आदि अनेक माध्यमों द्वारा व्याख्या देकर अर्थ बोध कराया जाता है। प्रबुद्ध कोशकर अपनी व्याख्याओं की पुष्टि सर्वोत्कृष्ट लेखकों, कवियों, धर्मविदों या दार्शनिकों की ख्याति प्राप्त रचनाओं के उद्धरणों द्वारा भी करते हैं। कोश के कलेवर और तद्जनित व्यय को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कोश में इन्हें कहाँ तक स्थान दें, इस पक्ष पर भी विचार करना होगा।

गढ़वाल अपनी अपार प्राकृतिक संपदा के कारण अनेक जीव-जंतुओं, पशु-पक्षियों, कीड़े-मकोड़ों, पेड़-पौधों, वनस्पतियों आदि के लिए प्रसिद्ध है। आकार सीमित रखने के लिए इनसे संबद्ध सभी शब्दों को प्रस्तावित कोश में स्थान देने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। बहु-प्रचलित या प्रसिद्ध शब्दों का अर्थ देकर अन्यों के लिए एक प्रकार का जंतु (कीड़ा, पशु, पक्षी, पौधा, पेड़ आदि) द्वारा ऐसे शब्दों को बोधगम्य बनाया ज सकता है। कोश को अधिक उपयोगी बनाने के लिये अंग्रेजी के समभावी शब्द देने पर भी सोचना पड़ेगा।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोश वैज्ञानिक पद्धति पर निर्मित, तथ्यपरक और आधारिक संदर्भ ग्रंथ है। उसका उपयोग आनंद प्राप्ति, चैन के क्षणों में मनोरंजन या रसास्वादन के लिए नहीं किया जाता। इसमें कल्पना, अतिरंजना, अलंकरण संवेदना, वैयक्तिकता और भावाभिव्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। इन्हीं मूल बातों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कोश के स्वरूप, आकार, पृष्ठ संख्या आदि का निर्धारण होगा। इस संदर्भ में संकलन, निर्माण, प्रबंधन, मुद्रण या प्रकाशन पर आने वाले व्यय और संसाधन जुटाने संबंधी चर्चा यहाँ पर अनपेक्षित है।

एक स्तरीय, मानक और वृहत कोश का निर्माण निश्चितत: एक व्यक्ति की शक्ति, सामर्थ्य और संसाधनों से परे है। सामान्यत: यह कार्य सरकारी, गैर-सरकारी या स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। संसाधनों की बात करें तो डॉ० हरदेव बाहरी के अनुसार सन् 1924 में प्रकाशित 'वेबस्टर्स डिक्शनरी' के संशोधित संस्करण के लिये 25 संपादक, 9 प्रशिक्षित संपादकीय सहायक तथा 207 विशिष्ट संपादकों को अनेकों वर्ष तथा 1,800,000 डॉलर (आज के लगभग 8 करोड़ 10 लाख रुपए) लगे थे! भारत में भी डॉ० रघुवीर द्वारा संपादित प्रथम अंग्रेजी-हिंदी कोश 66 विशेषज्ञों

261 HA/06—3B

अनेक सहायकों, मध्य प्रदेश शासन से यथा वांछित संसाधनों की उपलब्धता तथा लंबा समय लगाने के उपरांत भी अपेक्षित लोक ग्राह्यता नहीं प्राप्त कर सका।

इस हकीकत को भी दर किनार नहीं जा सकता कि कोश-निर्माण एक अत्यंत नीरस, श्रम और समयसाध्य प्रकिया है। सामान्यत: एक स्तरीय कोश तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं। बाथलिंक तथा रॉथ द्वारा संकलित 'संस्कृत-जर्मन वार्टर बुश' कोश 33 वर्षों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप पूर्ण किया जा सका! सेमुअल जॉनसन को अपने अंग्रेजी कोश के निर्माण में 26 वर्ष लगे। यहाँ तक कि बॉथलिंक को अपने पूर्व रचित कोश के संक्षिप्तीकरण में भी 10 वर्ष लगे थे। उच्च श्रेणी के 'सभी कोशों' की लगभग यही स्थिति रही है। 'मानक कोश' के रचयिता को 'आन' शब्द की उचित व्याख्या निश्चित करने और तर्क संगत रूप में उसका पूरा विवेचन देने में पूरे छह दिन लगाने पड़े थे। 'हिंदी शब्द सागर' के संपादन के समय 'करना' क्रिया की व्याख्या और विवेचन में पं० रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा को तीन दिन तक माथा-पच्ची करनी पड़ी थी। गढवाली के एक मात्र प्रकाशित कोश के लिए इसके लेखक श्री जयलाल वर्मा ने 46 वर्ष तक सिर खपाई की।

उपर्युक्त कठिनाई की चिंता न करते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुचित और आवश्यक संसाधनों व धन की उपलब्धता तथा निष्ठावान, कर्मठ एवं सुयोग्य सहयोगियों की लगन और मेहनत तथा विद्वानों के मार्ग दर्शन और आशीष से यह पुनीत कार्य अवश्य यथाशीघ्र पूर्ण हो जायेगा। अभी तो मैं कृत संकल्पना के साथ गढवाली भाषा के हितैषी तथा उसके संवर्धन एवं उन्नयन में रत सभी रचनाधर्मियों, विद्वानों, पत्रकारों, साहित्य- प्रेमियों, भाषा-शास्त्रियों, व्याकरणविदों आदि मनीषियों से नम्र अनुरोध करता हूँ कि इस सारस्वत यज्ञ को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न कराने में अपना सक्रिय सहयोग दें। इस कार्य से संबंधित प्रत्येक परामर्श, विचार, जानकारी, सूचना, शब्दावली तथा अन्य प्रकाशित अथवा अप्रकाशित सामग्री का कृतज्ञतापूर्वक स्वागत होगा। ■

अपनी मातृभाषा बंगला में लिखकर मैं 'बंगबंधु' हो गया किंतु 'भारतबंधु' मैं तभी हो सकूंगा जब भारत की राष्ट्रभाषा में लिखूंगा

—बंकिम चंद्र चटर्जी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राष्ट्रभाषा दर्शन

—डा० राजेंद्र प्रताप सिंह*

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने चिंतन से संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर ''महात्मा'' की उपाधि प्राप्त की थी और विश्व को 'गांधी दर्शन' की अनुपम सौगात प्रदान की थी। स्वनामधन्य दार्शनिक रोम्या रोलां ने तो गांधी जी को महामानव घोषित किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ ''डिस्कवरी ऑफ इंडिया'' में लिखा है ''महात्मा गांधी ने देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है, कुछ को कम-तो कुछ को ज्यादा। कुछ ने तो अपने जीवन का मार्ग ही बदल दिया, तो कुछ पर थोड़ा बहुत ही प्रभाव पड़ा अथवा उन पर यह प्रभाव धीरे-धीरे कम होता गया। परंतु उनका प्रभाव कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया और यह कमोबेश निरंतर बना रहा है।'' पंड़ित नेहरु का यह वक्तव्य न केवल भारतीय समाज पर वरन् संपूर्ण विश्व समाज पर बापू के सार्वजनीन प्रभाव की स्वीकारोक्ति तो है ही, इस बात का भी प्रतीक है कि बापू की चिंतन धारा सार्वदेशिक,सार्वकालिक और सार्वविषयक थी। जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं, जिस पर उन्होंने चिंतन न किया हो। ''रामराज्य'' ''अहिंसा'' ''सत्याग्रह'', ''स्वभाषा'' और ''स्वराज्य''गांधी चिंतन के कुछ प्रमुख बिंदु हैं और कालांतर में ''सुराज'' भी उनके चिंतन का अभिन्न अंग बनकर हमारे समक्ष आता है।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, गांधी जी ने राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर न केवल विचार किया वरन् उन पर अपनी सारगर्भित सम्मतियां देकर हमें लाभान्वित किया है। स्वभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर गांधी जी के वक्तव्य हमें उनके अफ्रीका से स्वदेश लौटने के समय से ही प्राप्त होने लगते हैं। अत: इस संबंध में यह जानना रुचिकर हो सकता है कि राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर उनके विचारों के पल्लवन और सुदृढ़ीकरण का क्रमिक स्वरूप क्या रहा है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राष्ट्रभाषा दर्शन का विकास ही हमारे विचार का विषय है। बापू के चिंतन का यह क्रम मातृभाषा, स्वभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित होता हुआ राजभाषा तक पहुंचता है। वास्तव में, मातृभाषा से राजभाषा तक उनकी चिंतन धारा को उनके अनुभवों का निचोड़ माना जा सकता है —जहां विदेशी सत्ता, विदेशी भाषा के विरोध के साथ ही स्वशासन और स्वभाषा चिंतन को विकसित होते देखा जा सकता है। ''इंडियन ओपीनियन'' में 28-12-1907 को ही उन्होंने लिखा था कि ''स्वदेशाभिमान की एक शाखा यह भी है कि हम अपनी भाषा का मान रखें, उसे ठीक तरह से बोलना सीखें ओर विदेशी भाषा के शब्दों का उपयोग यथासंभव कम करें।''

गांधी जी इस बात को जानते थे कि आजादी की लड़ाई के लिए और उसके बाद स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संपर्क भाषा के रूप में किसी एक भाषा का चयन जरूरी है, जिसे देश के सभी भागों के लोग आसानी से सीख सकें और स्वीकार कर सकें। इसके साथ ही विदेशी भाषा के बोझ से छुटकारा दिलाना भी उनका प्रमुख लक्ष्य था। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सन् 1937 में वर्धा में 22-23 अक्तूबर को गांधी जी की अध्यक्षता में शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में डॉ जाकिर हुसैन, श्री टी.के.शाह, पंडित रविशंकर शुक्ल तथा काका कालेलकर ने भाग लिया था तथा अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इस सम्मेलन में शिक्षा के विषय में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, उनमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से दिए जाने के विषय में था। गांधी जी शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा को बनाए जाने के प्रबल विरोधी थे। स्वभाषा की भूमिका के विषय में गांधी जी ने कहा था ''मैंने अपने देश के बच्चों के लिए यह जरूरी नहीं समझा कि वे अपनी बुद्धि के विकास के लिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर ढोएं और अपनी उगती हुई शक्तियों का ह्रास होने दें। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता। इसके कारण देश का जो नुकसान हुआ है, उसकी तो

* 8/2, ब्लाक -I,न्यू मिंटो रोड हॉस्टल, मिंटो रोड, नई दिल्ली -110002

हम कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि हम स्वयं उस सर्वनाश से घिरे हुए हैं।''

गांधी जी का मानना था कि सच्ची स्वाधीनता का मार्ग स्वभाषा से होकर निकलता है। विदेशी भाषा से अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति आदर और प्रेम के विकास की कल्पना करना कोरी मूर्खता होगी और इससे बच्चों का स्वभाविक, सम्यक् और सर्वांगीण विकास भी संभव नहीं है। 5 फरवरी, 1916 को काशी नागरी प्रचारिणी सभा में व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा था ''लोगों को अपनी भाषा की असीम उन्नति करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा गौरव उसी भाषा को प्राप्त होगा जिसमें अच्छे-अच्छे विद्वान जन्म लेंगे और उसी का सारे देश में प्रचार भी होगा।'' गुजरात में 5 नवंबर 1917 को एक सभा को संबोधित करते हुए बापू ने कहा था कि ''विदेशी भाषा स्वर्णमयी होने पर भी उपयोगी नहीं हो सकती। हमारी भाषा तृणवत हो तो उसे स्वर्णमयी बनाना चाहिए।''

स्वदेशी और स्वभाषा के प्रति गांधी जी का आग्रह उन्हें धीरे-धीरे एक ऐसी सर्वमान्य भाषा की खोज के लिए प्रेरित करता रहा जो कि दस देश की मिश्रित संस्कृति और भौगोलिक-धार्मिक अनेकता के मध्य सेतु का कार्य कर सके। यह कार्य इतना आसान नहीं था। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि गांधी जी जन-जागरण के दौरान प्राय: संपूर्ण देश का भ्रमण कर चुके थे और वे देश की सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भाषाई अनेकता के साक्षात दर्शन कर चुके थे। अगर कहा जाए कि उनके हाथ में देश की नब्ज थी तो अतिशयोक्ति न होगी। यही कारण था कि हिंदी भाषी न होते हुए भी उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत की और इसके लिए सबसे पहले स्वयं हिंदी सीखी। उनका मानना था कि देश की साझी विरासत को जितना राम चरित मानस और गीता ने प्रभावित किया है, उतना किसी और ग्रंथ ने नहीं। 1917 में भागलपुर में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि ''तुलसीदास जी की भाषा संपूर्ण है, अमर है। इस भाषा में हम अपने विचार न प्रकट कर सकें तो दोष हमारा ही है।'' इससे पूर्व 1916 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा को संबोधन में उन्होंने कहा था कि ''जिस भाषा में तुलसी दास जैसे कवि ने कविता की हो, वह अवश्य पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा नहीं ठहर सकती'' इससे बहुत पहले 1908 में ही गांधी जी ''इंडियन ओपीनियन'' में घोषित कर चुके थे कि ''हिंदी लिपि और भाषा जानना हर भारतीय का कर्तव्य है। उस भाषा का स्वरूप जानने के लिए ''रामायण'' जैसी दूसरी पुस्तक शायद ही मिलेगी।''

इस प्रकार राष्ट्रभाषा संबंधी गांधी जी का विचार प्रवाह धीरे-धीरे एक सर्वस्वीकार्य और सुगम भाषा की ओर बढ़ता पाया जाता है। उनकी यह खोज हिंदी पर जाकर समाप्त होती है और उसके बाद वे पीछे मुड़कर नहीं देखते तथा हिंदी भाषा का तादात्मय राष्ट्रीय अस्मिता तथा स्वराज्य के साथ करते हैं। सर्वमान्य राष्ट्रभाषा की खोज की इस यात्रा में वे भाषाई अनेकता, हिंदी-उर्दू, हिंदू-मुसलमान, लिपिगत अनेकता जैसे प्रश्नों से टकराते और उनका सटीक समाधान प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच अनेकता में एकता का भाव लाना उनका प्रमुख ध्येय था। कहना न होगा कि वे इतने विशाल देश की जमीनी हकीकतों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने 1916 में लखनऊ तथा 1917 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशनों में दक्षिण भारतीय राज्यों में राष्ट्रभाषा हिंदी की स्वीकार्यता और उसके प्रचार-प्रसार के प्रयासों की जरूरत पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि ''जब तक दक्षिण के तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम भाषी लोग भी राष्ट्रभाषा हिंदी का काम चलाऊ ज्ञान हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक सारे भारतवर्ष की एकता और सांस्कृतिक समानता की समस्या हल नहीं हो सकेगी।'' उनकी प्रेरणा से राजगोपालाचारी, लोकमान्य तिलक जैसे राजनेता हिंदी सीखकर उसके मुखर समर्थक बनकर सामने आए और श्री श्रीनिवास शास्त्री, रवींद्रनाथ ठाकुर, काका कालेलकर जैसे जननायकों ने हिंदी को सर्वव्यापक राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। वर्ष 1918 में ही गांधी जी के कनिष्ठ पुत्र श्री देवदास गांधी ने मद्रास पहुंचकर श्रीमती ऐनी बेसेंट, डॉ. सी.पी. रामास्वामी अय्यर और श्री श्रीनिवास शास्त्री के साथ मिलकर राष्ट्रभाषा प्रचार आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के अंतर्गत कुछ दक्षिण भारतीय युवकों को हिंदी अध्ययन के लिए प्रयाग भेजा गया, जिन्होंने वापस लौटकर प्रचार आंदोलन का ध्वज अपने हाथ में लिया। गांधी जी ने 21-1-1920 को ''यंग इंडिया'' में ''अपील टु मद्रास'' नामक लेख में लिखा था कि ''मैं सोच-समझ कर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि राष्ट्र का कारबार चलाने के लिए या विचार-विनिमय के लिए हिंदुस्तानी को छोड़कर कोई भाषा शायद ही राष्ट्रीय माध्यम बन सकेगी। गांधी जी ने 1927 में बेंगलूर में ''दक्षिण भारत हिंदी प्रचार

सभा" की स्थापना की। उन्होंने इस दौरान सभा को एक लक्ष्य वाक्य दिया था "Hindi not in the place of the mother tongue, but in addition to it." गांधी जी की ही प्रेरणा से 1937 में मद्रास के सरकारी स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई थी। उन्होंने हिंदी के प्रचार को राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता और भारतीय संस्कृति के एकीकरण से जोड़ दिया। केरल भ्रमण के दौरान उन्होंने 1934 में हिंदी में व्याख्यान देते हुए सभी केरल वासियों का आह्वान किया कि वे हिंदी अवश्य सीखें।

हिंदी और उर्दू के प्रश्न पर गांधी जी के विचार "हरिजन सेवक" "यंग इंडिया" आदि पत्रों में निरंतर प्राप्त होते हैं। उन्होंने "हरिजन सेवक" में लिखा था "हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू एक भाषा के मुख्तलिफ नाम हैं। हमारा मतलब आज एक नई भाषा बनाने का नहीं है, बल्कि जिस भाषा को हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू कहते हैं – उसे अंतरप्रांतीय भाषा बनाने का हमारा उद्देश्य है।" इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि "हिंदू-मुसलमानों के बीच जो भेद किया जाता है वह कृत्रिम है। ऐसी ही कृत्रिमता हिंदी और उर्दू के भेद में है। दोनों का स्वाभाविक संगम गंगा-यमुना के संगम सा शोभित और अचल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम हिंदी-उर्दू के झगड़े में पड़कर अपना बल क्षीण नहीं करेंगे।" हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रश्न पर उन्होंने 11 नवंबर, 1917 को मुजफ्फरपुर में कहा था कि "हिंदी को आप हिंदी कहें या हिंदुस्तानी, मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपना राष्ट्रीय कार्य हिंदी भाषा में करें।"

राष्ट्रीय एकता के लिए एक साझी लिपी के प्रश्न पर भी गांधी जी ने अपने विचार दिए। उनका मानना था कि चूंकि देश की अधिकांश भाषाओं का मूल एक ही लिपि है, इसलिए नागरी लिपि ही भारत की विभिन्न भाषाओं की साझी लिपि का दायित्व निभा सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि ज्ञान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए भी एक साझी लिपि का होना जरूरी है। एक स्थान पर उन्होंने कहा है "लिपि विभिन्नता के कारण प्रांतीय भाषाओं का ज्ञान आज असंभव सा हो गया है। बंगला लिपि में लिखी हुई गुरुदेव की गीतांजलि को सिवाय बंगालियों के और कौन पढ़ेगा। पर यदि वह देवनागरी में लिखी जाए तो उसे सभी पढ़ सकते हैं।" "हरिजन सेवक" में 23-5-1936 को उन्होंने लिखा था – लेकिन इसमें शक नहीं है कि देवनागरी लिपि का एक आंदोलन चल रहा है, जिसका साथ मैं हृदय से दे रहा हूं और वह यह है कि विभिन्न प्रांतों में खासकर जिन प्रांतों में संस्कृत शब्दों का बहुत उपयोग होता है – बोली जाने वाली तमाम भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि को सामान्य लिपि मान लिया जाए।" इस प्रकार उनका यह दृढ़ मत था कि "हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली यदि कोई लिपि है तो देवनागरी ही है। मुझे विश्वास है कि देवनागरी द्वारा ही दक्षिण की भाषाएं आसानी से सीखी जा सकती हैं।"

अतः गांधी जी की राष्ट्रभाषा संबंधी विचारधारा केवल एकांगी विचार नहीं वरन् एक संपूर्ण दर्शन है। उनका "राष्ट्रभाषा दर्शन" कोरी भावुकतापूर्ण आदर्श संकल्पना नहीं है, वह वास्तविकता के ठोस धरातल पर अनुभवसिद्ध निष्कर्षों का सार है। वास्तव में उनके 'राष्ट्रभाषा' दर्शन का क्रमिक विकास मानव से महामानव के रूप में उनके व्यक्तित्व के क्रमिक विकास के साथ-साथ होता है। राष्ट्रीय जीवन के अन्य सभी पहलुओं के समान ही उन्होंने इस विषय पर भी गंभीर चिंतन और मनन के बाद अपनी राय प्रकट की। हिंदी को राष्ट्रभाषा और अंततः स्वतंत्र देश की राजभाषा के रूप में स्थापित करने का उनका प्रयास इस क्रमिक विकास की परिणति थी। अतः आज "गांधी दर्शन" के समान ही उनके "राष्ट्रभाषा दर्शन" पर सम्यक् विचार करते हुए उसे व्यवहार में उतारे जाने ही जरूरत है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. संपूर्ण गांधी वांङ्मय, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, गुजरात
2. राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, गुजरात
3. गांधी सूक्तिकोश, श्री सतीश कुमार बाबा, न्यू कालोनी, देवरिया
4. नागरी संगम, 19, गांधी स्मारक निधि, राजघाट, नई दिल्ली-110008
5. दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन का इतिहास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, त्यागराज नगर, मद्रास – 17
6. स्वर्ण जयंती समारोह-स्मारिका, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद, बेंगलूर

संपर्क भाषा, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी

—प्रा. कुमारी कमलिनी श. पशीने *

'भाषा' शब्द का संबंध भाष् धातु से है, अर्थात् भाषा का शब्दार्थ है जिसे बोला जाए। सामान्यत: भाषा सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं, किंतु स्थूल रूप में उन सभी साधनों को भाषा कहते हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है या सोचता है। भाषा न केवल अभिव्यक्ति का एक माध्यम है अपितु वह चिंतन को प्रभावित करती है। भाषा के साथ उसके बोलने वालों की संस्कृति और संस्कार जुड़े होते हैं। भाषा विचारों की ही वाहक नहीं बल्कि भावों की भी वाहक होती है।

भाषा का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है, जैसे—विचार के आधार पर, विशेष उद्देश्य के आधार पर, क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर, प्रांत के आधार पर तथा विश्वचेतना की संवाहिका के आधार पर। विस्तार के आधार पर भाषा के मुख्यत: चार रूप हैं :—संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा।

हिंदी की विशिष्ट स्थिति पर विचार करते हुए **प्रो. केसरी कुमार** ने तो बहुत अच्छी बात कही है-"इसी भाषा में संतों की वह बौद्धिक क्रांति हुई जिसका लक्ष्य था-वर्ग और जाति की दीवारों को तोड़कर, अंधविश्वासों को छीनकर, एक समता समाज का निर्माण। इस क्रांति के द्वारा हिंदू और मुसलमान, उत्तर और दक्षिण का भेदभाव मिट गया था।" [1]हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, क्योंकि देश को एक सूत्र में बांधने में हिंदी का बड़ा योगदान रहा है। इस भाषा ने राष्ट्रीय जागरण का काम किया है। इस भाषा ने ही उत्तर को दक्षिण से तथा पूरब को पश्चिम से जोड़ा है। हिंदी ने भारत की राष्ट्रीय भावना तथा भावनात्मक एकता को भी पुष्ट किया है। हिंदी भाषा अपनी व्यापक-प्रचार क्षमता के कारण शताब्दियों से भारत में बहुभाषी लोगों के बीच संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित रही है।

स्वतंत्रता संघर्ष काल में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही सर्वाधिक प्रयोग होता था। स्वाधीनता का संदेश हिंदी के माध्यम से ही जनता तक पहुंचाया जाता था। हिंदी को स्वाधीनता वाहिनी कहा जाता था। आंतर प्रादेशिक व्यवहार और कार्य के लिए हिंदी संपर्क भाषा का काम करती है। हिंदी के विकास का स्वरूप आरंभ से ही सौहार्द, समन्वय और संपर्क की भाषा का रहा है। पिछले हजार वर्षों के अपने इतिहास में हिंदी साहित्य का सृजन देश के विभिन्न मतावलम्बियों और विभिन्न भाषा-भाषियों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता रहा है। हिंदी ही भारत की एक ऐसी भाषा है, जो भारत में व्यापक रूप से अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। अपने देश में भाषिक चेतना की कमी और भाषा संबंधी सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार न होने के कारण भारतीय भाषाओं की स्थिति के बारे में अनेक भ्रांत धारणाएं हैं जिनका अनुचित लाभ सुनियोजित प्रोपागंडा के बल पर अंग्रेजी उठा रही है।

'राजभाषा' वह भाषा है जिसके माध्यम से राजकीय काम होते हैं या निपटाए जाते हैं। अन्य शब्दों में शासन में कानून, आदेश निकालने, अध्यादेश जारी करने, प्रतिवेदन, ज्ञापन-सूचना प्रसारित करने, लेखा-जोखा तैयार करने, व्यावसायिक काम करने इत्यादि हेतु जो भाषा अपनाई जाती है, वस्तुत: उसी का नाम है राजभाषा। सच कहा जाए तो राजभाषा प्रयोजन मूलक भाषा है। विषयानुसार इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। राजभाषा के लिए अंग्रेजी शब्द है—Official Language. इस प्रकार राजभाषा का अर्थ हुआ कार्यालयीन या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा।

भारत जैसे दोहरी शासन-पद्धति वाले जनतंत्रात्मक देश में राजभाषा की स्थिति दो प्रकार की है। प्रथम केंद्रीय राजभाषा या संघ की राजभाषा और द्वितीय राज्यों की राजभाषा। इस प्रकार अधिकांश भारतीय भाषाएं किसी न किसी स्तर पर राजभाषाएँ हैं, हिंदी भी उनमें से एक है। अंतर केवल यह है कि हिंदी केंद्र की राजभाषा है, जबकि अन्य भाषाएँ राज्यों की राजभाषा हैं। 14 सितंबर, 1949 को संविधान

*नामदेव महाराज मंदिर के पास, गाडगे नगर, अमरावती-444605 (महाराष्ट्र)

सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।

भाषा किसी भी राष्ट्र की अभिव्यक्ति होती है, अत: हिंदी भारत की अभिव्यक्ति है। भारत की राजभाषा हिंदी है। कोई भी भाषा राजभाषा या राष्ट्रभाषा होने से पहले जनभाषा होती है। 'राष्ट्रभाषा' से आशय उस भाषा से होता है जो राष्ट्रव्यापिनी होती है। राष्ट्र की जनता द्वारा एक छोर से दूसरे छोर तक बोली और समझी जाने वाली होती है। राष्ट्रभाषा वस्तुत: उस भाषा को कहते हैं जिसे राष्ट्र की अधिकांश आम जनता बोलती है, समझती है तथा अपने दैनिक व्यवहार में प्रयोग करती है। भारतवर्ष बहुभाषा- भाषी देश है। यहाँ के अधिकांश भागों में हिंदी भाषा- भाषी काफी संख्या में मिल जाते हैं। हिंदी बोलने वालों की अधिक संख्या तथा उसके राष्ट्रव्यापी प्रसार के कारण ही हिंदी को संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा का पद प्रदान किया गया है।

राष्ट्रभाषा हिंदी भारतीय संस्कृति की पहचान है। उसमें समूचे देश को एक सूत्र में जोड़ने की महत्वपूर्ण शक्ति निहित है। जनभाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रीय संपर्क भाषा है। डॉ राकेश अग्रवाल के मतानुसार "जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र आदि की विविधताओं से परिपूर्ण भारत एक विशाल राष्ट्र है। इतनी विविधताओं के बाद भी राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता का आधार बनी हुए है। हिंदी भारत की अनेक भाषाओं में उभयनिष्ठ बनकर पूरे देश में जनसंपर्क का माध्यम है। हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं की संपर्क भाषा है" [2]हिंदी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबल व सजीव आधार रही है। देश प्रेमियों तथा देशभक्तों की भाषा रही है। संविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा हिंदी जनभाषा-राजभाषा-विश्वभाषा है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय व्यवहार की भाषा भी हो गई है। सन् 1949 से ही हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी, किंतु यह देश का दुर्भाग्य है कि पचपन वर्षों की अवधि बीत जाने पर भी देश अपनी आत्मा हिंदी के लिए अंतस्-तल से व्याकुल है।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर यह है कि राजभाषा प्रशासनिक तथा राष्ट्रभाषा अखिल देशीय संपर्क भाषा होती है। एक का संबंध प्रशासकों व सरकारी कर्मचारियों से है तो दूसरी का जनसाधारण से। आज़ाद भारत में जब हिंदी संघ की राजभाषा बनी तो राष्ट्रभाषा का मुकुट उससे छिन नहीं गया। डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र के शब्दों में "जब भारत की राष्ट्रीय संस्कृति की संवाहक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है तब वह राष्ट्रभाषा होती है। जब भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सामान्य जन के बीच अनेकों वर्षों से प्रचलित भाषा के रूप में हिंदी का नाम लिया जाता है, तब वह जनभाषा या संपर्क भाषा होती है और जब केंद्र सरकार के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों की भाषा के रूप में हिंदी प्रयुक्त होती है, तब वह राजभाषा ही होती है। तब वह जनभाषा नहीं होती।" [3]

हिंदी सभी मनीषियों द्वारा पारस्परिक व्यवहार की, आपस में मिलने-जुलने की भाषा के रूप में विकसित होकर एक महान राष्ट्र भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा एवं जनभाषा के आसन पर प्रतिष्ठापित है। अत: वह सभी दृष्टियों से 'सुभाषा' कही जाने की अधिकारिणी है। आज जरूरत है, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प की। अगर हम सचमुच राष्ट्रप्रेमी हैं तो राष्ट्रभाषा हिंदी को ही अपने दिलों में अभिषिक्त करना होगा।

संदर्भ :

1. राजभाषा के रूप में हिंदी का अस्तित्व, दयानंद लाल का लेख, राष्ट्रभाषा, जून 1995 पृ.—7
2. सांप्रदायिक सौहार्द की भाषा है हिंदी, डॉ. राकेश अग्रवाल, राष्ट्रभाषा, मार्च 2003 पृ.—14
3. यात्रा हिंदी की : पगडंडी से राजपथ तक, राष्ट्रभाषा, अक्तू. 2003 पृ.—9

हिंदी के प्रसार में सहायक मुफ्त सॉफ्टवेयर

—विजय प्रभाकर कांबले*

विज्ञान ने आज सभी जगह प्रगति दर्ज की है। कंप्यूटर के आगमन से कार्यालयीन कामकाज में बड़ी सहायता प्राप्त हुई है। सी. डैक पुणे ने कुछ बेहतरीन सॉफ्टवेयर विकसित किए, जिससे कंप्यूटर पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग होने लगा। लेकिन हिंदी के सॉफ्टवेयर काफ़ी मंहगे थे। हर कार्यालय की अपनी वित्तीय सीमा होती है। शुरुआती दौर में कंप्यूटर की कीमत में सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते थे। भारतीय भाषाओं के सॉफ्टवेयर अब सस्ते में प्राप्त हो रहे हैं।

विश्वस्तर पर भाषाओं के विकास में कंप्यूटर ने अहम भूमिका निभाई है। अंगेजी भाषा के फॉंट यूनिकोड में परिवर्तित हुए हैं। अनेक सॉफ्टवेयर मुफ्त में वितरित हो रहे हैं। कंप्यूटर की दुनिया में शेअरवेअर, फ्रिवेअर सॉफ्टवेयरों का बोलबाला है। इस बदलते परिवेश में हम कितने दिनों तक विदेशों का मुँह ताकते रहेंगे ? भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय ने www.tdil.mit.gov.in वेब साईट जारी की है। इस साईट पर भारतीय भाषाओं के विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाओं के सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से मुक्त डाउनलोड किए जा सकते हैं। मुफ्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले आपका नाम पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण के बाद आपको यूजरनेम (प्रयोगकर्ता नाम) और पासवर्ड (कूट संकेत) दिया जाता है। इसके बाद आपकी कंप्यूटर की आवश्यकताओं के अनुसार आप संबंधित सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं।

कृपया ध्यान रखें कि डाउनलोड करने से पहले आपके कंप्यूटर पर डी.ए.पी. (डाउनलोड एक्सलेंटर प्रोटोकॉल) अथवा फ्लैशगेट सॉफ्टवेयर अवश्य स्थापित किया गया है। किसी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर डाउनलोड करने में यह सॉफ्टवेयर मदद करता है। इससे कम समय में डाउनलोड प्रक्रिया तेजी से संपन्न होती है। www.tdil.mit.gov.in पर निम्नलिखित सॉफ्टवेयर मुफ्त डाउनलोड हेतु उपलब्ध हैं :

* **देसिका (भाषा आकलन की सहज प्रणाली)**

  यह 693 के.बी. साइज का विंडो 95 प्लैटफॉर्म पर चलनेवाला सॉफ्टवेयर सी डैक बेंगलूर ने विकसित किया है।

* **गीता रीडर**

  धर्मग्रंथ गीता पढ़ने के लिए यह सॉफ्टवेयर सी. डैक बेंगलूर ने बनाया है। यह विंडो-95 प्लैटफॉर्म पर चलता है। इसका आकारमान 3.29 एम बी है।

* **ए एल पी पर्सनल (भाषा संसाधन प्रणाली)**

  सी डैक पुणे द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर 3.5 एम बी आकारमान का है जो डॉस 3.0 अथवा उससे उन्नत डॉस प्लैटफार्म पर चलाया जा सकता है।

* **कॉरपोरा (भारतीय भाषाओं का शब्द संसार)**

  सी डैक पुणे द्वारा विकसित इस सॉफ्टवेयर का आकारमान 176 एम बी है। इसमें हिंदी के सभी अपरिष्कृत शब्दों को पी सी-आई एस सी आई आई (PC-ISCII) में संग्रहीत किया गया है।

* **शब्दबोध (वाक्य विश्लेषण)**

  संस्कृत शब्दों का अर्थगत व वाक्यगत विश्लेषण कंप्यूटर की सहायता से पारस्परिक अनुप्रयोग द्वारा किया जा सकता है।

* **श्री लिपि भारती**

  यह एक देवनागरी की बोर्ड ड्रायवर और टू टाईप फॉंट्स है। इसका प्रयोग पेजमेकर, कोरलड्रा, व्हेंचुरा,

*प्रभात कॉलोनी, कलानगर, गुलमोहर रोड, अहमदनगर-414 003 (महाराष्ट्र)

261 HA/06—5A

अडोब इल्यूट्रेटर, एम एस ऑफिस 97/98/2000 एक्सपी आदि प्लैटफार्म पर किया जा सकता है। यह फॉंट्स मुफ्त डाउनलोड करके कहीं भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसका आकार 1.28 एम बी है तथा एम सी आई टी भारत सरकार ने प्रदान किया है। माड्यूलर कंपनी द्वारा निर्मित यह सॉफ्टवेयर एक उपयोगी कीबोर्ड ड्रायवर है।

* **बहुभाषिक ई मेल क्लाएंट**

सी डैक पुणे निर्मित यह सॉफ्टवेयर 2.12 एम बी आकारमान का विंडो 95/98 प्रणाली पर कार्य करता है। इसमें आप दस भारतीय भाषाओं में ईमेल भेज सकते हैं।

* **आई लीप**

सी डैक पुणे द्वारा निर्मित यह सॉफ्टवेयर 4.00 एम बी आकारामान का विंडो 95/98 एन टी पर चलाया जा सकता है। इससे वर्तनी सुधार, ईमेल भेजना, पर्दे पर की-बोर्ड सुविधा, डाटा आयात करना, बहुभाषिक एच टी एम एल बनाना, शब्द संशोधक आदि कार्य किया जा सकता है। इस पुरस्कृत सॉफ्टवेयर द्वारा भारतीय भाषाओं में फाइल मेनू से एच ए टी एम एल रूप में भेजा जा सकता है।

* **अक्षर**

अँग्रेजी-हिंदी में काम करने में सहायक सॉफ्टवेयर सॉफ्टटेक लि. नई दिल्ली ने बनाया है। विंडो 95 प्लैटफार्म पर चलनेवाला यह सॉफ्टवेयर 3.5 एम बी आकारमान का है। यह साफ्टवर्ड तथा वर्डस्टार की तरह कार्य करता है। इसमें वर्तनी संशोधक, शब्दकोष, मेलमर्ज, टाइपराइटर, की बोर्ड आदि सुविधा उपलब्ध हैं।

* **सुरभि प्रोफेशनल**

ऍपल सॉफ्ट बेंगलूर द्वारा निर्मित यह की-बोर्ड इंटरफेस सॉफ्टवेयर विंडो आधारित सभी प्लेटफॉर्म जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पेजमेकर आदि में कार्य करता है। इसमें ऑटो फॉंट सेलेक्शन, फाइंड एंड रिप्लेस, ऑटोकरेक्ट तथा इंटेलिजेंट की-बोर्ड मैनेजर सुविधा उपलब्ध है।

* **बुद्धिमान कुंजीपटल प्रबंधक (इंटैलीजेंट की बोर्ड मैनेजर)**

ऍपल सॉफ्ट बैंगलूर द्वारा निर्मित यह सॉफ्टवेयर विंडो 95/98 प्लेटफॉर्म पर काम करता है। फाइल नाम, फॉंट नाम हिंदी में टाइप करते समय प्रायः हिंदी अक्षरों की जगह अपाठ्य भाषा दिखायी देती है। इस समस्या का हल इस सॉफ्टवेयर द्वारा निकाला जा सकता है।

* **शब्दिका**

यह एक लेखा परीक्षा, लेखा बैंकिंग प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित शब्द संग्रह है। सी डैक, नोएडा व वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित यह सॉफ्टवेयर विंडो की सभी प्रणाली में कार्य करता है। यह एक मानक, प्रमाणिक द्विभाषी शब्द संग्रह है। कार्यालय में हिंदी पत्राचार करते समय आप बैंकिंग, प्रशासकीय, लेखा तथा लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी के कठिन शब्दों का अर्थ आसानी से देख सकते हैं।

* **एच वर्ड**

विंडो आधारित प्लेटफॉर्म पर कार्य करने वाला यह हिंदी का शब्दसंसाधक सी डैक नोएडा ने निर्माण किया है। हिंदी भाषा पर केंद्रित इस सॉफ्टवेयर में इंस्क्रिप्ट, टाइप राइटर तथा रोमन-की-बोर्ड की खूबियां मौजूद हैं। रोमन-की-बोर्ड भारतीय लिपि को रोमन लिप्यंतरण तालिका पर (INSROT) मौजूद सहज सुलभ बनाया है। फाइल बनाते समय पत्र में तिथि व समय डालना, पर्दे पर दिखाई देने वाले की बोर्ड, फॉंट परिवर्तन, (डी वी टी टी फॉंट से लेखिका फॉंट में परिवर्तन) आदि सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

* **इंडिक्स**

भारतीय भाषाओं के लिए लाईनेक्स प्रणाली पर आधारित यह सॉफ्टवेयर एन सी एस टी ने प्रदान किया है। बहुभाषिक आधार, वेब ब्राऊजर, मेन्यू लेबल, मेसेज आदि जी यू आई (ग्राफिकल यूजर इंटरफेस) स्थानिक भाषा में प्रदर्शित होते हैं। यूनिकोड प्रणाली, ओपन टाईप फॉंट विंडोज प्रणाली में सहायक, क्लायंट लाईब्रेरी

261 HA/06—5B

से भारतीय भाषाओं में विकास, इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड, इस्की से यूनिकोड परिवर्तन, उच्च गुणता की छपवाई आदि सुविधाएँ हैं।

उपर्युक्त मुफ्त सॉफ्टवेयरों को संकलित करके कुछ अन्य फॉंट की बोर्ड ड्राईवर, हिंदी ओ सी आर, फॉंट परिवर्तन, शब्दसंसाधक आदि सुविधाओं को भारत सरकार ने स्वतंत्र वैबसाईट पर www.ildc.gov.in पर भी रखा है। हिंदी सॉफ्टवेयर उपकरण की सी डी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने नि:शुल्क सॉफ्टवेयर वैबसाईट www.ildc.gov.in पर उपलब्ध कर दिए हैं। इस सॉफ्टवेयर का विमोचन मा. श्रीमती सोनिया गांधी के कर कमलों द्वारा तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन जी की उपस्थिति में, नई दिल्ली में दिनांक 20-06-2005 को विज्ञान भवन में किया गया। इस योजना के अंतर्गत सभी भारतीय भाषाओं को क्रमबद्ध रीति से विकसित किया जा रहा है। अब तक तमिल व हिंदी भाषा की स्वयंपूर्ण सीडी का मुफ्त वितरण किया गया है। इस मुफ्त सीडी के सहारे अब कोई भी व्यक्ति, संस्था, कार्यालय में अपने कंप्यूटर पर हिंदी भाषा का प्रयोग आसानी से कर सकता है।

इस मुफ्त सॉफ्टवेयर में उपर्युक्त शब्दसंसाधक (वर्ड प्रोसेसर) विभिन्न प्रकार के पांच सौ फॉंट, शब्दकोश, वर्तनी संशोधक, अक्षर से ध्वनि (टेक्स्ट टू स्पीच), प्रकाशकीय अक्षर पहचान तंत्र (ओ.सी.आर.) मशीनी अनुवाद आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

इस मुफ्त सॉफ्टवेयर में कुछ कमियाँ भी पायी गई हैं। लेकिन कंप्यूटर पर हिंदी भाषा का प्रसार करने की दिशा में भारत सरकार की यह महत्वपूर्ण पहल है। इस सॉफ्टवेयर को उन्नत करने की काफी गुंजाइश है। सॉफ्टवेयर के पंडितों को अपने सुझाव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने चाहिए। हम आशा कर सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं का अस्तित्व निरंतर बढ़ता रहेगा। ■

हिंदी दुनिया की महान भाषाओं में एक है। भारत को समझने के लिए हिंदी ज्ञान अनिवार्य है। हिंदी का महत्व आज इसलिए और भी बढ़ गया है क्योंकि भारत आज शिक्षा, उद्योग और तकनीक के हिसाब से दुनिया का अग्रणी देश है।

—डॉ. मैग्रेशर (इंग्लैंड)

साहित्यिकी

भाषा संसारम्

—मदन गुप्त*

हिंदी भाषा की प्रकृति अनुपम है। शब्द जब युग्म बनते हैं तो कभी-कभी अत्यधिक विनोद प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए चाय-वॉय या कॉफी-शॉफी अथवा बीयर-शीयर और सिगरेट-विगरेट! लेकिन ज्यादातर शब्द युग्म सारगर्भित और सार्थक होते हैं।

अस्त्र-शस्त्र भी ऐसा ही एक युग्म है। यह मात्र संयोग है या सप्रयोजन, परंतु लगता है जैसे इस युग्म ने जीवन का सारा व्यापार समेट लिया है। सीधे-सीधे कहें तो यह युग्म उद्भासित कर रहा है, वाणी की महत्ता और शस्त्रों का सामरिक महत्व। अस्त्र और शस्त्र दोनों ही जीवन-पोषक भी हैं और जीवन-नाशक भी। फिर भी दोनों में वाणी की प्रधानता है।

अस्त्र शब्द को लें तो हम देखते हैं इस शब्द को बनाने में अस् + त्र अक्षरों का मेल है। यह कुछ आश्चर्यजनक ही है कि हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर "अ" है और "त्र" अंतिम अक्षर के ठीक पहले है। अर्थात, एक अस्त्र शब्द में हिंदी की पूरी वर्णमाला समाहित है। जिसका तात्पर्य होगा, पूरी की पूरी हिंदी भाषा समाहित है। क्योंकि भाषा का निर्माण, स्वरूप, अभिप्राय, शक्ति, व्याकरण सब कुछ इन्हीं "अक्षरों" के मध्य उपलब्ध है, अवस्थित है, विचरण करता है। दूसरे शब्दों में "अस्त्र" शब्द "भाषा" शब्द का पर्याय है। अस्त्र की प्रधानता इसी से है कि वह भाषा का पर्याय है। इसी कारण इसका शस्त्र से युग्म साधन करते समय यह शब्द पहले लिखा जाता है, यथा चाय-वॉय, सिगरेट-विगरेट में प्रधान शब्द ही पहले लिखा जाता है।

वाणी या अस्त्र से वार करने पर व्यक्ति "मरत" "जीयत" या "झुक-झुक पड़" सकता है। शस्त्र से ये तीनों अवस्थाएं शायद संभव नहीं हैं। किसी को चोट पहुंचाने, आहत करने, घायल करने, जख्मी करने, तड़पाने, तरसाने, रुलाने, हंसाने, गुदगुदाने, भड़काने, शांत करने आदि में एक शब्द की पैनी धार या प्रभाव पैदा करने वाली शक्ति, किसी बड़े से बड़े हथियार से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। असल में शब्दों से बड़ा संहारक डब्ल्यू एम डी (वैपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन) अन्य कोई नहीं है। दुनिया का इतिहास गवाह है कि शब्दों ने उसे मोड़ दिया है, शब्दों ने शांति को भंग करके युद्ध शुरू करवा दिए और युद्ध को अंततः शांति को सुपुर्द करके अपने अतीव शौर्य और अचूक शक्ति का प्रमाण दिया है।

अस का अर्थ "फेंका जाने वाला" और बार-बार "कहा हुआ" भी है। दृष्टांत में कोशकार ने बाण या तीर की तरह छोड़े जाने वाला बतलाया है। क्या शब्द मुंह से बाण या तीर की तरह नहीं फेंका जाता है? धनुष, बंदूक की नली और तोप का मुंह आदमी के मुंह से भिन्न नहीं है। न तो धनुष से चलाया बाण लौटता है, न बंदूक की गोली और न ही तोप का गोला, तो फिर मुंह से निकला शब्द कैसे लौट सकता है? यही तो असली "ब्रह्म-अस्त्र" है, इसे लौटा लेना किसी के वश की बात है ही नहीं। यह अपने लक्ष्य को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है। भाषा की उत्तम कृति 'वेद' भी तो ब्रह्मा द्वारा रचे गए बताए गए हैं। इस ब्रह्म अस्त्र का आवाह्न करना पड़ता है। इसे धारण करने और इसका संधान करने की क्षमता विरले ही व्यक्ति में होती है। साधारणतः यह शक्ति मनीषियों में से भी किसी-किसी के पास ही होती है। कारण, कि इस अस्त्र का हर कोई संधान नहीं कर सकता।

ताजा याददाश्त में इसका उचित संसाधन केवल महात्मा गांधी ने "सत्याग्रह", "अहिंसा", जैसे शब्दों के रूप में किया। इन शब्दों ने अपना लक्ष्य भेदन कर दिया-अंग्रेज

*डी-1/120 ए, रवींद्र नगर, खान मार्किट के पास, नई दिल्ली-110003

सत्ता न केवल भारत से समाप्त हुई, बल्कि विश्व भर से नष्ट कर दी गई। गांधी के पास तो यह अस्त्र लक्ष्य भेदन करके लौट आया पर इसकी गूंज पूरे संसार में आज तक सुनाई पड़ रही है।

इसी तरह शस्त्र शस् + त्र से बना है। शस् हुआ "शम" अर्थात् जो नष्ट कर दे, विनाश कर दे। यह शब्द भी त्र अक्षर पर सिमट जाता है।

ये दोनों शब्द अहिंसा और हिंसा के भी प्रतीक हैं। उसी प्रकार ये पालक और नाशक या विष्णु और महेश के प्रतीक भी हैं। जैसे ईश्वर या प्रकृति कहें तो प्रकृति अपने गुणों से जगत का पालन और संहार दोनों ही करती हैं, भाषा आदमी का पालन और संहार ठीक उसी प्रकार करती है। प्रेम, आदर, करुणा, वात्सल्य से परिपूर्ण भाषा व्यक्ति और समाज को उसी तरह उल्लसित कर देती है, जिस प्रकार प्रकृति सूखे पेड़ को हरा-भरा करके पल्लवित, पुष्पित तथा मीठे फलों से युक्त कर देती है। यह भाषा का अहिंसक स्वरूप है। हिंसक स्वरूप का चित्रांकन पूर्व में किया जा चुका है। जब भाषा घृणा, द्वेष, वैमनस्य, द्रोह, बैर, धूर्तता, अकृतज्ञता आदि को उकसाती है, तो रौद्र रूप धारण कर अपने हिंसक रूप में प्रकट होती है। इसी तरह किसी कमजोर की प्राण रक्षा करने वाले शस्त्र अहिंसक स्वरूप में प्रकट होते हैं। वही शस्त्र जब निरीह लोगों की हत्या करने लगते हैं तो हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि भाषा का असर पेड़-पौधे-पशु आदि सभी जीव-निर्जीव वस्तुओं और प्राणियों-वनस्पतियों पर भी होता है। शस्त्र उनके संदर्भ में वैसा ही काम करते हैं। कुल्हाड़ी का प्रहार हरे पेड़ को अच्छा नहीं लगता। दावानल में फंसे जीव-जंतुओं की प्राण रक्षा में अगर वही हरा पेड़ काट डाला जाए तो यह अहिंसा ही कहलाएगी, जिसमें एक के प्राणों की आहुति देने से अनेकों की जान बचती है। समाज के लिए व्यक्ति की आहुति शास्त्र सम्मत है।

एक प्रश्न रह जाएगा कि अगर ये दोनों शब्द (अस्त्र-शस्त्र) "अ" से "त्र" तक के वर्णों को समेट कर हिंदी भाषा के प्रतीक स्वरूप हैं तो अंतिम वर्ण "ज्ञ" को क्यों छोड़ दिया गया है।

स्पष्ट हो कि "ज्ञ" की सत्ता अस्त्र और शस्त्र दोनों से परे है। "ज्ञ" ज्ञान है। साथ ही ज्ञान योग और ज्ञानमार्ग दोनों का प्रतीक भी है, जो कि भाषा और शस्त्र दोनों से परे है। ज्ञान के लिए, ज्ञानयोग के लिए और ज्ञानमार्ग के लिए भाषा और शस्त्र सहायक तो हो सकते हैं किंतु आवश्यक शर्त नहीं है। ज्ञान मनुष्य की उच्चतर चेतना का बोधक है। इस अवस्था को ऐसा हर प्राणी प्राप्त कर सकता है, जिसकी जिज्ञासा असीम हो और जो शोध या अन्वेषण में रुचि रखता हो। कभी ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों को ऋषि, मुनि, साधक, संत, सन्यासी जैसे नाना प्रकार के विशेषणों से संबोधित किया जाता था। आज के वैज्ञानिक युग में ये हीं वैज्ञानिक या विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कहलाते हैं। इनके द्वारा जो ज्ञान उद्भासित होता है उसे प्रकट और व्यक्त करने के लिए इन्हें नई-नई भाषाओं और शब्द (शब्दों) को गढ़ना पड़ता है। पूर्व में विकसित भाषा इनके लिए सर्वथा अपूर्ण रहती है। भाषा और शब्द समृद्धि कालांतर से अनवरत चलती आ रही है। पिछली दो-तीन सदियों में इसमें विशेष समृद्धि आई है। इंटरनेट के योगदान से इस क्षेत्र में विकास की गति बहुत तीव्र हुई है। अंग्रेजी भाषा में तो लाखों नए शब्द, मुहावरे, अभिव्यक्तियां, विचार प्रतिवर्ष जुड़ते चले जा रहे हैं। ज्ञान का यह आलोक जितना विस्तृत होता जा रहा है उतनी ही मनुष्य की जिज्ञासा भी बलवती होती जा रही है। लिखी हुई सामग्री का तो डिजीटल कंप्रेशन हो रहा है, क्या ज्ञान के संबंध में भी ऐसा कुछ हो पायेगा? भविष्य के गर्भ में झांकना मुमकिन नहीं है क्योंकि यह इतिहास तो है नहीं!

भक्त प्रह्लाद तो मात्र पांच वर्ष की उम्र में ही ज्ञान प्राप्त कर गए, ज्ञानी बन गए। ज्ञान प्रज्ञा चक्षु की वस्तु है। इसके लिए मस्तिष्क से भी बढ़कर बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि सारे जीव-जगत को आनुपातिक रूप में जन्म से मिलती है। प्रज्ञा-चक्षु कब खुल जाएं और मनुष्य कब ज्ञान प्राप्त कर ले, कुछ निश्चित नहीं है। कभी भी हो सकता है, नहीं भी हो। पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी इस अनोखी दृष्टि से वंचित रह सकता है। उसी तरह एकदम निरक्षर व्यक्ति उत्तम ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह भी निसंकोच कहा जा सकता है कि ज्ञान अवस्था को जीव तभी प्राप्त होता है जब वह भाषा द्वारा अर्जित ज्ञान से मुक्त हो जाता है, जब वह शब्दों की परिधि लांघ चुकता है और उसके लिए शब्दों के विपरीत अर्थ महत्वहीन हो जाते हैं, यथा दुख और सुख विलोम शब्द का विपरीतार्थ न होकर समानार्थी या समअर्थी या समवेत लगने लगते हैं। ज्ञानी व्यक्ति समदर्शी हो जाता है।

261 HA/06—6A

वह समदृष्टि प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ज्ञानी जीव इस भेद और द्वैत से ऊपर उठकर एक तत्व का दर्शन पाता है फिर उसी में विलीन होकर उसका अंश बन जाता है। उसे फिर एक तत्व से विलग करके देख पाना संभव नहीं है, जैसा कि उस व्यक्ति को उस एकात्म को देखने के बाद किसी को भेद दृष्टि से देखना संभव नहीं है।

भाषा और शस्त्र दोनों की सीमाएं यहीं तक हैं। जहां भाषा और शस्त्र की सीमा समाप्त होती है "ज्ञ" अथवा "ज्ञान" की सीमा प्रारंभ हो जाती है। इस बिंदु में उतना समय नष्ट नहीं करना पड़ता, जितना अक्षर माला के "अ" से "त्र" तक के वर्णों की यात्रा में, जिन्हें पढ़ने, सीखने, लिखने और उपयोग में लाते-लाते जीवन पूरा हो जाता है, तब भी बिना शब्दकोश और विश्वकोश के काम नहीं चलता। ज्ञान तो एक अक्षर "ज्ञ" की आभा है जिसका आगा-पीछा कुछ है ही नहीं। हमारे यहां वर्ण को अक्षर कहा गया है अर्थात् वह जिसका क्षरण या नाश ही न होता हो। अब जब आप "ज्ञ" यानी ज्ञान के व्योम में पहुंच ही चुके हैं, तो सिर्फ अमर ही हो सकते हैं क्योंकि एक वही ऐसा है जिसका क्षरण नहीं होता।

भवसागर में भाषा और शस्त्र शक्ति समान होते हुए भी भाषा की प्रधानता है। हिंसा से बढ़कर अहिंसा है। पालन ज्यादा प्रशंसनीय और वंदनीय है संहार से। जीवन अपनी गति से चलता आया है, चलता है, चलता रहेगा। उसका नियमन और संचालन भाषा करती रहेगी। **फिर ऐसी वर्णमाला वाली हिंदी भाषा आदरणीय है, जिसके वर्णक्रम के "अ" से "त्र" में 'इहलोक' और अंतिम वर्ण "ज्ञ" में 'उहलोक' का मर्म प्रकाशित करने की क्षमता हो।** वीणाधारिणी तथा वीणावादिनी वाग्देवी मां सरस्वती की वीणा के तारों से सभी भाषाएं फूटी हैं, उत्पन्न हुई हैं, हिंदी उन्हीं में से एक है। जिस भाषा के दो शब्दों-अस्त्र-शस्त्र - ने संपूर्ण जीवन को परिभाषित कर दिया और जिसके अंतिम अक्षर ने ज्ञान की ज्योति जगमग कर दी, उस हिंदी भाषा को प्रणाम कर साधनारत होकर, अपने कर्तव्यपथ पर अग्रसर हों।

राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं। मेरे विचार में हिंदी ही ऐसी भाषा है।

—लोकमान्य तिलक

261 HA/06—6B

साहित्य पर सूफ़ीवाद का प्रभाव

—रंजन ज़ैदी*

हिंदी साहित्य के इतिहास की हवेली की बुनियाद वैष्णव साहित्य की कंकरीट से भरी गई थी परंतु इन बारीक रोड़ियों में जैन और सिख मतावलंबियों की रागात्मकता का चूना-मिट्टी नहीं मिलाया गया था। यदि बुनियाद में चूना-मिट्टी के मसाले के रूप में सिद्धों और नाथों की रचनाओं को भी शामिल कर लिया जाता तो आज हम वैष्णव साहित्य की बुर्जों पर जैन, सूफी और सिख साहित्य की मीनाकारी का भी आनंद लेने में पीछे नहीं रहते और साहित्य एक पृथक धर्म के रूप में तमाम मत-मतांतरों से ऊपर उठ कर अपनी एक नई परिभाषा को परिभाषित कर रहा होता। उसकी ईंटों के ब्रांड-नेम निश्चय ही वैष्णव, जैन, सूफी, सिक्ख, सगुण या निर्गुण नहीं होते।

यदि साहित्य धर्म के रूप में उभरता तो बौद्ध धर्म की अविरल धारा क्रांति की बाढ़ में वैष्णव साहित्य की हवेली में दरारें डालकर बड़े-बड़े चिंतकों और विचारकों को बहा कर गलियारों में न ले आती, जिन पर साधारण जातियों के पांव पड़ते थे। इन गलियारों और चौपालों के वारिस वे ही लोग थे जिनकी भाषा शास्त्राचार्यों की भाषा जैसी नहीं थी, न ही उनका तत्व-चिंतन इतना गूढ़ था जो ब्रह्म, जीव और जगत को सही तौर पर परिभाषित न कर पाता हो। वे तो साधारण जातियों के अलाव से तप कर निकले थे और जनता की भाषा में उनसे संवाद करते थे। संवाद की यही साधारण भाषा बहती हुई सूफ़ियों, नाथों और दरवेशों के हजरों, मठों और दरगाहों तक जा पहुंची, जिससे कालांतर में एक नए युग का आविर्भाव हुआ। इस युग में जिस निर्गुण काव्य की सर्जना हुई, वह संत और सूफी काव्य के वर्गीकरण से मूलत: मुक्त काव्य सिद्ध हुआ जिसकी दार्शनिक व्याख्या ब्रह्मवाद से लेकर वहदतुल वुजूद और वहदतुश शहूद तक या आद्वैतवाद से लेकर द्वैताद्वैदवाद तक की गई।

नतीजा यह हुआ कि जो बौद्धिक जाति का भाषायिक साहित्य संवत् 1250 से 1650 तक नाथों, सूफियों और संतों की मार्फ़त जातेता झील में एकत्र हुआ, उस पर हवेलियों के तत्व-चिंतकों ने मनन की कोशिशें नहीं कीं, क्योंकि तत्कालीन बौद्धिक-वर्ग इस दौर की भाषायिक क्रांति को मान्यता देने के लिए कतिपय तैयार नहीं था। वह यह समझने के लिए भी तैयार नहीं था कि कौमों के अपने विश्वास और आस्थाएं होती हैं, लेकिन जीने के तरीके और तरीकों से जन्मी समस्याएं समान होती हैं, जिन्हें अलग-अलग धर्मों के खानों में नहीं बांटा जा सकता। शासक वर्ग का एक ही धर्म होता है, शासन और सत्ता पर कब्जा बनाए रखना। वह शासक चाहे गुप्त हो या मौर्य, अफगान हो या तुर्क, लोदी हो या मुगल। जब शासक और शासित में टकराव की स्थिति जन्म लेती है तो क्रांति की आंधी चलती है, और आंधियां किसी खास वर्ग, जाति, धर्म या संप्रदाय की पहचान कर अपना रुख नहीं बदला करती। तो जब सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति ने दस्तक दी तो कबीर ने खालिस हिंदुओं के पाखंड को ही नहीं लताड़ा, उसने मुसलमानों के पाखंड पर भी हमला किया। गुरु नानक देव ने यदि एक ओर मुल्लाओं को लताड़ा तो पंडितों की भी बख्शिश नहीं की। उस आंधी में हमें सूफियों, संतों और जतेता साहित्यकारों की घन-गर्जना साफ सुनाई देती है। यदि हम देखें तो पाएंगे कि जहां एक ओर सूफियों ने हुमायूं पर फिकरे कसे तो दूसरी ओर मलिक मुहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी को भी नहीं बख्शा। यहीं पर सूफीवाद का तत्व-चिंतन हमें एक नये आसमान के नीचे ला-खड़ा कर देता है। जहां हम "महमूदो-अयाज़" का मतलब एक पंक्ति में आकर समझने लग जाते हैं। यही सूत्र और आस्था हमें तमाम मत-मतांतरों से ऊपर लाकर सामान्य जनता के बीच ला खड़ा करती है, जो शोषण का शिकार होती है और सिद्धों, नाथों, योगियों तथा शास्त्राचार्यों के बीच के अंतर का मर्म जान लेती है। वह पहचान लेती है कि शंकराचार्य का बौद्धिक चिंतन गोरखनाथ, फ़रीद, कबीर, गुरु नानक और तुलसी दास से कितना पृथक और गूढ़ है। वह जान लेती है कि सूफ़ियों की साधना-पद्धति नाथ-योगियों की साधना

*एफ-17, तीसरा तल, गली न० 9, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

पद्धति से कितनी भिन्न और सरल है। जिसमें चमत्कार नहीं, यथार्थ की सांसों का नियंत्रण है। योगियों का तिलस्म नहीं, आस्था, विश्वास और कर्म का सत तत्व चिंतन है। उसका कारण यह था कि सूफी-संतों का तत्व-चिंतन घृणा पर बसेरा नहीं किए हुए था। उनका मूल मंत्र था, प्रेम-मानव का मानव से प्रेम-जो भावभिव्यक्ति में नाथ, योगी और वैष्णव शब्दावली से इतर नहीं, केवलत्ववादी के अत्यंत समीप था और केवलवाद का यही सिद्धांत अवतारवाद से रिश्ता जोड़ कर 'ईब्ने-अरबी' को अपनी और खींच लाया। शायद इसी केवलत्व के सिद्धांत ने ही महमूद शबिस्त्री को भी आकर्षित कर उसे "शुलशने राज" जैसी कृति की रचना करने पर बाध्य किया हो। फ़ैजी ने "नल-दमन" की कथा को फारसी में पिरोया। मौलाना रूप की मसनवियों में भारतीय लोक कथाओं के पात्र फारसी के रास्ते ईरान और फिर अरब तक पहुंचे। जायसी के अखरावट, आखरी कलाम और पद्मावत ने सूफी काव्य की चिंतन-धारा को नए आयाम दिए।

एक लहर थी, जो बसंत की बयार बन कर तत्व ज्ञानियों के दार्शनिक चिंतन को छूती हुई सूफीवाद को जीवंतता प्रदान करती हुई, आम जनता की सांसों में घुलती चली गई। हमीदुद्दीन नागौरी ने सिद्ध किया कि "चित्त जगत के बाहर है और जगत चित्त के बाहर।" साधक के चित्त में प्रवेश करते ही जगत बाहर आ जाता है और जगत में प्रवेश करते ही चित्त बाहर आ जाता है। प्रोफेसर शैलेश जैदी अपनी पुस्तक हिंदी के कतिपय मुसलमान कवि (पृष्ठ:70) में शेख हमीदुद्दीन नागौरी के दार्शनिक चिंतन पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि शेख साहब का वहद तुल वजूद के दर्शन में विश्वास था। शेख साहब का विश्वास था कि सृष्टि पदार्थ देखने में कितने ही क्यों न हों, यदि उनकी वास्तविकता पर विचार किया जाए तो वे मूलत: एक ही हैं। विद्वान लेखक ने अपनी उसी पुस्तक में 'समा' (जिसमें शेख हमीदुद्दीन नागौरी की काफ़ी रुचि थी) को लेकर फ़ुतूहर सलातीन के हवाले से एक किस्से का जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के राज्यकाल में शेख साहब दिल्ली पधारे। वहां वह दिन-रात 'समा' सुना करते थे और इसी में आनंद-मग्न रहते थे। सम्राट उनका बहुत सम्मान करता था। दरबार के मुफ्तियों ने सम्राट के कान भरे। फल-स्वरूप काजी को बुलाकर प्रश्न किया गया कि "समा" शरीअत के विरुद्ध है या नहीं? उत्तर मिला कि 'समा' आलिमों के लिए हराम है किंतु साधकों के लिए हलाल है।

हमीदुद्दीन नागौरी का सूफी चिंतन नाथ-पंथी प्रवृत्तियों को आत्मसात करने वाला था। "शेगनि गइ जोगिनि करी, गनी गई को दोस। अयन रसायन संचरै रंग जो मौर ओस।" तसव्वुफ का यह चिंतन तत्कालीन नाथ योगियों पर भी पड़ा, गोरखबानी" में आए शब्द इसका प्रमाण हैं। जैसे बाबा गोरखनाथ की यह स्वीकृति कि 'उत्पति हिंदू जरणा जोगी अकलि परि मुसलमानी' इसका उदाहरण है।

इसी परंपरा के एक कवि थे "अलख दास"। अलखदास का पूरा नाम शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही था। उन्होंने दाऊद कृत 'चंदायन' का फारसी में पद्यानुवाद किया और खुद भी केवलत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अपनी रचना "रूश्दनामा" में इसको व्याख्यायित किया। उन्होंने सच्चे सूफी की पहचान को परिभाषित करते हुए कहा कि जो लोग परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं और ईश्वर के अलावा दूसरी सभी वस्तुओं से विमुख हो चुके होते हैं, वही सूफी कहलाते हैं। उनके अनुसार सच्चा मुसलमान समस्त बाह्याडंबरों से मुक्त होता है। हमें सूफी संत साहित्य में कबीर और नानक भी इसी चिंतन का सर्वत्र अलख जगाते दिखाई देते हैं।

इन्हीं संतों, कवियों और दार्शनिकों ने हमें सोच के नये आयाम दिए और हम यह समझ पाए कि मानव-जीवन की अभिव्यक्ति ही साहित्य का सहज-धर्म है। इस धर्म का नाम हिंदू, मुसलमान नहीं है। यह तो "मैं" से आगे खुद तक पहुंचने की यात्रा है। उस "मैं" तक पहुंचने की, जिसमें सबसे पहले "मैं" की पहचान ज़मा होती है। जहां गैर-सा-गैर दर्द अपना हो जाता है। इसलिए साहित्यकार से साहित्य का गहरा नाता स्थापित हुआ, इसे हम चिंतन का भी नाम दे सकते हैं, चिंतन जितना गहरा, जितना यथार्थ और मानव-मूल्यों की उन्नति का प्रेरक होगा, उतना ही वह आत्मीय, टिकाऊ और लोकप्रिय हो जाता है। उसके लिए साहित्य के संग्रहालय खोजने नहीं पड़ते और न ही गर्द पड़ी एलबमों के

भीतर उसे कैद होने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए विशेष समय अथवा काल की भी आवश्यकता नहीं होती, वह हर काल और हर मनुष्य के लिये समाधान भी हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास न्यायशील भी होता है, इसलिए कालांतर में ये ही दबे हुए स्वर नयी तेजस्विता के साथ फूट पड़ते हैं।

'यूसुफ-जुलेखा' की कहानी हो या 'पद्मावत' और 'रत्नसेन' की कथा, जब वे अपनी आत्मा की गहराइयों के साथ आम-जन तक पहुंचती हैं, तो वे सरहदें लांघ जाती हैं—भले ही उनकी अभिव्यक्ति की भाषा कोई भी रहे। खुसरो से लेकर बुराहानुद्दीन जानम, या इनसे लेकर इंशाल्ला खां तक हिंदी भाषा की यात्रा कहीं भी अजानी महसूस नहीं होती, क्योंकि इस भाषा और इसके साहित्य की समृद्धि में भारत के सभी धर्मों और संप्रदायों के अनुयायियों ने समान रूप से योगदान दिया है। रामधारीसिंह दिनकर के शब्दों में, ''खड़ी बोली को साहित्य की भाषा मुसलमानों ने ही बनाया। हिंदी वाले अपभ्रंश का प्रभाव होते हुए एक खास परंपरा में चल रहे थे और इस परंपरा का मेल अवधी और ब्रज भाषा से बैठता था। वह मेल खड़ी बोली से नहीं बैठता था। इस बोली की ओर ध्यान मुस्लिम कवियों का ही गया क्योंकि यह वह भाषा थी, जिससे उनकी नजदीकी जान-पहचान हो सकती थी। यही वो जान-पहचान थी जिसने स्वातंत्र्योत्तर काल में भी मुस्लिम साहित्यकारों को हिंदी के प्रति आकर्षित किया और वे उर्दू की जमीन छोड़कर हिंदी की वाटिका में बिखर गए। ■

शिक्षा जब पराई भाषा में दी जाती है तब केवल शब्दों को याद रखने का बोझ ही विद्यार्थी के दिमाग पर नहीं पड़ता, बल्कि विषय को समझने में भी उसे बड़ी कठिनाई होती है। यह तो स्पष्ट है कि जहाँ रटने की शक्ति बढ़ती है वहाँ समझने की शक्ति मंद पड़ जाती है। हमारे मुल्क की संस्कृति एक ही है—यह हिंदी संस्कृति है।

—सरदार वल्लभ भाई पटेल

261 HA/06—7A

पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य

मानवीय अस्मिता और आस्था के कवि : कुमार विमल

—डॉ. इंदरराज बैद*

शब्द-ब्रह्म के उपासक कवि की रचना न अतीत से, न वर्तमान से और न ही अनागत से जुड़ी होती है, वह तो काल के समग्र विस्तार को अपने में समेटे रहती है। उसका सत्य सार्वकालिक होता है। वह अपने स्वस्तिमय संदेश से संपूर्ण मनुष्य-जाति को प्रभावित, प्रेरित और परितृप्त करती है। भारतीय वाङ्मय के नभोमंडल में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तिरुवल्लुवर, कबीर, तुलसी, रवींद्र, प्रसाद, भारती, निराला, दिनकर जैसे अनेक कवि-नक्षत्र विद्यमान हैं, जिनके कृतित्व का आलोक संपूर्ण विश्व को प्रोज्ज्वल कर रहा है। आधुनिक हिंदी के काव्य-कानन में भी कई ऐसे कुसुम खिले हुए हैं जो सहज, सरल और शांत भाव से अपनी सुगंध बिखेरकर जन-जन के प्राणों में नव ऊर्जा भर देते हैं। आलोक और सुगंध के विस्तारण की महती भूमिका में लगे हुए विशिष्ट रचनाकारों में अग्रगण्य हैं सुकवि कुमार विमल। प्रमाण है विगत छह दशकों की उनकी साहित्य-साधना। आज एक संवेदनशील कवि और प्रबुद्ध समालोचक के रूप में वे हिंदी जगत् में प्रतिष्ठित हैं।

भाषा-साहित्य के साधना-क्षेत्र में डॉ. कुमार विमल की बहुआयामी और गरिमामयी भूमिका आरंभ से ही रही है। हिंदी के प्रतिभावान् छात्र, गंभीर अध्येता, प्रभावी शिक्षक, प्रबुद्ध समीक्षक, कुशल संपादक, सहृदय कवि, सुविज्ञ प्रशासक आदि विभिन्न रूपों में निष्ठा, सेवा और दक्षता का परिचय देकर विमल जी ने एक आदर्श स्थापित किया है। अपने सारस्वत सर्जन का शुभारंभ वे एक प्रगतिशील कवि के रूप में करते हैं। आरंभिक कविताओं का प्रथम संग्रह 'अंगार' (1949 ई.) निकालने के पश्चात् वे समीक्षा के क्षेत्र में आ गए और अपने उत्कृष्ट समालोचनात्मक ग्रंथों से उन्होंने हिंदी-समीक्षा को गांभीर्य प्रदान किया। उनका दूसरा काव्य-संग्रह सन् 1972 ई. में प्रकाशित हुआ। लगभग 23 वर्षों के अंतराल में उन्होंने मूल्य और मीमांसा (1956), महादेवी वर्मा : एक मूल्यांकन (1962), नई कविता, नई आलोचना और कला (1963), आधुनिक हिंदी काव्य (1963) अत्याधुनिक हिंदी साहित्य (1965), सौंदर्यशास्त्र के तत्त्व (1966), कला-विवेचन (1968), साधना के नये आयाम (1970), छायावाद का सौंदर्यशास्त्रीय अध्ययन (1970) और काव्यानुशीलन: आधुनिक-अत्याधुनिक (1970) जैसी मौलिक-संपादित कृतियाँ प्रकाशित कीं। डॉ. कुमार विमल के अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं :—काव्य-रचना-प्रक्रिया (1972), गंधवीथी (1973), महादेवी का काव्य-सौष्ठव (1983), भारतीय साहित्य में रामकथा (1986), साहित्य-चिंतन और मूल्यांकन (1996), तीन शिखर कृतियाँ (1999), उत्तमा (2002) और साहित्य-विवेक (2003)। इनके अतिरिक्त अनूदित ग्रंथ निकोलस रोरिक (1992) तथा अंग्रेजी में समीक्षा कृति—'मिसलेनिया' (2002) भी उल्लेखनीय हैं। अस्तु, महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉ. कुमार विमल ने अध्ययन, चिंतन, विश्लेषण और मूल्यांकन की सरणियों को पार करते हुए भी अपनी रससिक्त अंतर्धारा को कभी सूखने नहीं दिया। उनकी ये काव्य-कृतियाँ इसका प्रमाण हैं—अंगार (1949), ये संपुट सीपी के (1972), ये अभंग अनुभव अमृत (1975), सर्जना के स्वर (1986), युग-मानव बापू (1987), एक राष्ट्र है: एक देश है (1988), कविताएँ कुमार विमल की (1994) और सागरमाथा (2002)।

डॉ. कुमार विमल का मानव कभी ललित भाव-लहरियों से उत्क्रीड़ित होता रहा, तो कभी संवृद्ध विचार-तरंगों से उद्वेलित। उनके जीवनाकाश को भावों की मेघघटाओं ने कभी विपन्न नहीं होने दिया। इसीलिए उन्होंने अपने काव्य-संग्रह 'कविताएँ कुमार विमल की' में घोषित किया—'कविता तो जीवन-यात्रा के साथ चलने वाली एक भाव-यात्रा है।' (प्राक्कथन) उर्दू के एक शायर ने भी कुछ ऐसी ही बात

*ए पी - 1469, स्ट्रीट 2, सेक्टर-1, के.के. नगर, चेन्नै-600078

261 HA/06—7B

कही है कि नये भावों की राह कभी बंद नहीं होती, कविता का तो द्वार क़यामत तक खुला रहता है :—

राहे मज़मून ताज़ा बंद नहीं,
ताक़यामत खुला है बाबे सुख़न।

डॉ. कुमार विमल के व्यक्तित्व की विशिष्टता इस तथ्य में है कि वे कवि भी हैं और समालोचक भी। उनके चिंतन का औदात्य उनके काव्य में स्पष्ट झलकता है। उनकी रचनाओं में प्रतिभा और मेधा का मणि-कांचन संयोग उपलब्ध होता है। वे अपने कवि-कर्म के प्रति सतत् जागरूक हैं। वे मानते हैं कि प्रत्येक रचना में उनका पुनर्जन्म होता है। वे हर बार उसे 'नई ऊष्मा, नई त्वरा और अजस्र ऊर्जा' प्रदान करते हैं। तभी तो वे विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि—

'मेरी कविता है वह नदी,
जो उतर कर
गगन-चुंबी पर्वत-श्रृंगों से/समतल में
फैलाती है नभ-तत्त्व को/धरती पर।
गगन का गीत धरती पर/उतारकर
पहुँचाती है उसे/मेरी कविता/समंदर तक
और इन तीनों—
यानी धरती, गगन और समंदर के बीच
एक संवाद पैदा करती है।'

—(कवि-कर्म, कविताएँ कुमार विमल की, पृ. 20)

अपने काव्य-प्रयोजन और उसके फलागम के प्रति आस्था का सुदृढ़ स्वर उनकी कृतियों में प्रायः सर्वत्र सुनाई पड़ता है। अपनी प्रत्येक कविता में उन्हें एक कुशल और सजग शिल्पी के रूप में देखा जा सकता है। पूरे विश्वास के साथ वे यह घोषित करते हैं कि उनके काव्य में जितनी शक्ति है, उतनी 'सूत्रों, मंत्रों और तंत्रों में भी नहीं है, उनके शब्द असंभव को संभव बनाने की सामर्थ्य रखते हैं और क्रांति की लपटें जगा सकते हैं, तो 'घने अंधकार में ऊँघती/झोंपड़ियों में भी/तरंगमयी स्वस्ति-धारा' बहा सकते हैं। (शब्द-सामर्थ्य, सागरमाथा, पृ. 29) संभावनाओं के बंद द्वारों को खोलने की इच्छा से प्रेरित होकर कवि विमल कहते हैं—

'आग के कुछ गीत
हिम की कंदरा को दूँ
चाहता मैं:
शब्द मूक वसुंधरा को दूँ।'

—(गीत कामना, सर्जना के स्वर, पृ. 2)

संभाव्य परिवर्तनों का आकांक्षी कवि अपनी तरुणाई में ही क्रांति का आह्वान करता है—'तेरे पद की चाप-चाप पर नाच जाय रे क्रांति कराली।' (अंगार, पृ. 17) युवा कवि की आँखों के आगे एक ऐसा समाज था, जिसके मन में तड़प थी स्वतंत्रता, समानता और अपनी संपूर्ण अस्मिता के साथ जीवन जीने की। शासित और शोषित जनता का अभिशप्त जीवन कवियों को चुनौती दे रहा था। कुमार विमल जी ने अपनी दिशा सुनिश्चित की और 'ज्योति के गीत' रचने का संकल्प साधकर शक्ति की आराधना के लिए जन-जन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शक्ति का अर्चन ही राष्ट्रधर्म है, अतः शक्ति का आवाहन और आराधन करना राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होना चाहिए। शक्ति की आराधना से आशय है—संकल्प और साहस को जगाना, सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना तथा स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीवन जीना। जिस देश के नागरिक शक्ति-समर्चन करते हैं, उनके देश के आत्म-गौरव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसीलिए कुमार विमल कहते हैं—

'अर्चना शक्ति की करो
तेग पर सान धरेगा।
अर्चना शक्ति की करो,
खेत में अन्न बढ़ेगा।
अर्चना शक्ति की करो,
राष्ट्रध्वज और उड़ेगा।'

—(अर्चना, ये संपुट सीपी के, पृ. 56)

व्यक्ति-व्यक्ति की अस्मिता के प्रति पूर्णतः आस्थावान् हैं, डॉ. कुमार विमल। अकूत आत्मविश्वास भरा है उनमें।

वे मानते हैं कि कवि का अपना वजूद होता है, जिसे मिटाना तो दूर की बात, उसकी उपेक्षा तक कोई नहीं कर सकता। यह कवि ही है जो काल के कठोर भुजदंडों को मरोड़कर आने वाले युग के अभिनंदन का गीत रचता है। उसके काव्य के शब्द 'दुर्मद विट-चेट-वंचकों' के लिए खड्ग-शूल बन जाते हैं और अन्याय का अंत करने के लिए कवि स्वयं सुदर्शन चक्र धारण कर लेता है। (कवि का उद्घोष, सागरमाथा, पृ. 61-62)। जिस रचनाकार की कविता जगत के कुरुक्षेत्र में गीता बनकर गुंजायमान होती है, उसका विश्वास हिमालय की तरह अडिग होता है। उसका उत्साह, उसकी आस्था और उसके तेवर कभी बदलते नहीं। तमिल भाषा के आधुनिक कवि वइरमुत्तु अपनी एक रचना (गाड़ दोगे तब भी उगूँगा) में आत्मविश्वास पूर्वक घोषित करते हैं कि 'मेरे कृतित्व की/मृत्यु नहीं होगी/मृत्यु की तरह ही/मेरा कृतित्व भी/रहेगा शाश्वत।' आस्था से परिपूर्ण आत्माभिमान का स्वर हमें डॉ. कुमार विमल जी की वाणी में भी सुनाई देता है। यथा—

'मगर याद रखो
सिरहाने में मृत्यु के पहुँच जाने पर भी
मेरी आस्था
हाँफ कर घुटने नहीं टेकेगी।'

—(आस्था, ये संपुट सीपी के, पृ. 12)

आत्माभिमान और आत्मविश्वास वस्तुतः ऐसे मूल्य हैं, जो मानवीय अस्मिता को तेजोमय बनाते हैं। इनसे अहंता नहीं, मानव की सजगता प्रकट होती है। इन मूल्यों से व्यक्ति समाज में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका रेखांकित करता है। 'नई युगाद्या का शिल्पी' कवि जब स्वयं को 'उग्र क्रांति का नम्र दूत' घोषित करता है, तो वह अपना मिथ्याभिमान प्रकट नहीं करता, वरन् मानवता के विकास में अपने विनम्र योगदान का संकेत देता है। कवि की वाणी में 'कवि' नहीं, उसके भीतर का संघर्षशील, पुरुषार्थी, आत्माभिमानी व्यक्ति 'मानव' गर्जना करता है। मनुष्य की प्रत्येक साँस ही युग-जीवन को चेतना प्रदान करती है। युग-जीवन को गति प्रदान करने वाले प्रगतिशील मानव के स्वर को मुखरित करते हुए कविवर बच्चन लिखते हैं—'आज भी जो साँस मुझमें/चल रही है वह हवा भर ही नहीं है/इसी की चाल पर इतिहास चलता/और संस्कृति चल रही है।' (आरती और अंगारे)। अपने अस्तित्व या वजूद की पहिचान कराते हुए डॉ. कुमार विमल भी कहते हैं: 'सरस्वती की चरण-धूल हूँ/उसकी कीर्ति-ध्वजा का धारक/सागरमाथा इस धनवंती धरती का मैं/...धुत-केसर उस काल-सिंह का दृढ़ दहाड़ मैं/गर्जमान सागर का रव मैं/पूजा की वेदी से उमगा शंख-घोष मैं।' (सागरमाथा, पृ. 127)

निःसंदेह डॉ. कुमार विमल अपनी रचनाओं में स्वयं को एक मानववादी रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं। मानवीय अस्मिता और आस्था के प्रतीक बनकर वे आम आदमी के स्वप्नों और संभावनाओं को चित्रित करते हैं। मनुष्य के संकल्प और परिश्रम में उनका अगाध विश्वास है। वे उसके संघर्ष और विजय के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। वे अपनी माँ की उस लोरी को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, जो विघ्नों, संघर्षों और चुनौतियों में सदा उनके संग रही है—

'जहाँ तक दृष्टि जाती है तुम्हारी,
वहाँ तक राज है तुम्हारा।
तुम शिखरों पर चढ़ते जाना—
रुकना नहीं,
क्योंकि हर शिखर के बाद
उससे भी ऊँचा: उससे भी ऊँचा
एक और शिखर होता है।'

—(शारदे!, कविताएँ कुमार विमल की, पृ. 85)

अपनी माँ के इस संदेश को ही उन्होंने अपने जीवन में उतारा है और काव्य में भी रूपायित किया है। यह एक अलौकिक प्रेरणा का ही प्रताप है, जिसने उन्हें यह घोषित करने पर प्रतिबद्ध कर दिया कि—

'गढ़ूँगा एक नया रोबीला सूरज सबके लिए,
जिसका कोई अस्ताचल नहीं होगा।'

—(प्रण, कविताएँ कुमार विमल की, पृ. 49)

कवि का यह प्रण कि वह सबके लिए एक ऐसे सूर्य की रचना करेगा, जिसकी ज्योति और ऊर्जा से समूचा जगत् अहर्निश प्रकाशित और ऊर्जस्वित रहेगा। यह उदार

समष्टि-हित की भावना उन्हें समस्त मानवता का कवि बना देती है। 'सर्जना के स्वर' की 'गीत-कामना' शीर्षक कविता में उन्होंने मानवतावादी भाव को ही तो उद्घाटित किया था। कवि की संवेदनशीलता वह सेतु है, जो व्यष्टि को समष्टि से जोड़ता है। कविता इसी संवेदनशीलता का दूसरा नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी कविता को ऐसा साधन मानते हैं, जिसके द्वारा कवि सृष्टि के साथ अपने रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह करता है। रागात्मकता के तत्त्व ने ही प्रखर समालोचक डॉ. कुमार विमल को संवेदनशील कवि बने रहने का सुयोग प्रदान किया है। तभी तो उनकी कविता कभी गंगा बनकर और कभी गीता बनकर प्रकट होती है। (सागरमाथा, पृ. 21. और पृ. 61)। समष्टि का हित, विकास और उद्धार ही उनकी काव्य-रचना का प्रयोजन है। इसलिए कवि ने अपनी रचनाओं में मानवीय ऐक्य और सौहार्द का संदेश दिया है। स्वतंत्रता, समानता और व्यवस्था के लिए क्रांति का आह्वान करने वाला अंगार-प्रिय कवि मानव-समाज को उस आग से सावधान करना चाहता है, जो नदियों के शीतल और मंगलप्रद जल को सुखाकर स्वयं प्रवाहित होने को आमादा हो रही है :—

'सप्तसिंधु हो या कि पंचनद'
कृष्णा हो या कावेरी,
रावी, व्यास, अरुण सरिता हो
या कि ताप्ती, करतोया,
गंगा, गोदावरी, नर्मदा
या कि गंडकी, शोणभद्र हो—
इनकी धाराओं में बंदे!
आग नहीं जल बहने दो।'

—(विखंडन के विरुद्ध, सागरमाथा, पृ. 101)

बृहत्तर मानव-समुदाय के हित की यह चिंता कवि की मानवीयता और संवेदनशीलता को दर्शाती है। इसी को इंगित करके महीयसी महादेवी वर्मा जी ने कवि की प्रशस्ति में कहा था—'उनकी कृतियों में एक दुर्लभ संवेदनशीलता भी मिलती है।' सचमुच, डॉ. कुमार विमल ने मानवीय अस्मिता और आस्था के अमृतमय काव्य का सर्जन करके आधुनिक हिंदी वाङ्मय का भंडार ही नहीं भरा है, भावी रचनाकारों के लिए अभिव्यंजना की एक नयी दिशा भी निर्धारित की है—ऐसी दिशा, जिसके अंधकार को भेदने के लिए कवि उन नये सूर्यों को गढ़ेंगे, जिनके आलोक से समस्त वसुंधरा जगमगा उठेगी। तब हर कलाकार, हर रचनाकार, हर कवि डॉ. विमल जी के स्वर में स्वर मिलाकर आत्मविश्वास के साथ कह सकेगा—'आज जब सूरज/मेरी मुट्ठी में आया है/मैं हर घर में उजाला बाँटूंगा।' ■

प्रांतीय ईर्ष्या-द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी चीज से नहीं।

—सुभाषचंद्र बोस

261 HA/06—8A

संचार माध्यम दे रहे हैं, हिंदी भाषा को नई दिशा

—डॉ. मधुबाला *

पिछले कुछ वर्षों में सूचना क्रांति व मीडिया क्रांति की लहर तीव्र हुई है। जिससे सूचना गति में अत्यधिक तीव्रता आई है। यह सूचना व संचार माध्यम मानवीय जीवन का अंग बन चुके हैं, जिनके बिना जीवन अधूरा प्रतीत होता है। देश विदेश की खबरें हों या मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम, ज्ञानवर्धक वार्ता हो, कृषि जगत या महिला जगत हो या फिर फिल्मी गीतों का संसार, सभी में या विभिन्न कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले श्रोता मौजूद हैं। पहले समाचार पत्र जन सामान्य तक पहुंचा, जिसने जनता की सोच को दिशा दी। फिर रेडियो और टेलिविजन ने मानो व्यक्तिगत जीवन में उल्लास भर दिया। सूचना क्रांति से मनोरंजन, ज्ञान व सूचना का दायरा बढ़ा है। सैटेलाईट के माध्यम से अधिक लोकरुचि के चैनल प्राप्त हो रहे हैं। अधिक चैनलों से अभिप्राय अधिक सूचना, मनोरंजन व अधिक ज्ञान में वृद्धि। बढ़ रहे निजी चैनलों से हिंदी भाषा अत्यधिक प्रभावित हो रही है। भाषा कैसी हो, इस ओर विशेष ध्यान नहीं जाता। चाहे समाचार हो या विज्ञापन, साक्षात्कार हो या चर्चा, सभी भाषा के मानक रूप से कटते जा रहे हैं। ऐसा क्यों ? हिंदी भाषा के प्रयोजन-मूलक दायरे के बढ़ने से हिंदी भाषा में अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। भाषा के विभिन्न प्रयोग एक नई भाषा शैली को जन्म देते हैं। जिसमें भाषा-शैली भाषाई नियमों के प्रतिबंधों व प्रतिमानों को तोड़ कर आगे बढ़ती है और भाषा के एक नए स्वरूप को प्रस्तुत करती है। संचार साधनों की भाषा नियमबद्ध न होकर हर तरह से रोचक हो, आकर्षक हो, इस ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। भाषा यदि अपभाषा भी हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाषा का एक मात्र लक्ष्य है मनोरंजन व रोचकता। डी.डी. न्यूज के समाचारों की भाषा व समाचार पत्रों की भाषा का विश्लेषण करने पर, भाषा में हो रहे बदलाव, भाषा को हर तरह से चटपटा व रोचक बनाने की कोशिश देखी जा सकती है।

— गगन रणजीत सिंह **चोटिल** होने के कारण ऐतिहासिक दौरे पर नहीं जा पाएंगे।

— ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का **लचर** प्रदर्शन।

— सरकार की **ढुलमुल व्यवस्था**"

— देखते देखते सारा महौल **दंगई** हो गया।

— **गुस्साई** जनता की पुलिस से मुठभेड़।

उपरोक्त उदाहरण प्रचलित शब्दों से निर्मित शब्दों को दर्शाते हैं, जो बोलचाल की भाषा का प्रतीक बनते जा रहे हैं। शब्द **चोटिल, दंगई, गुस्साई** इस बात के परिचायक हैं।

कुछ अन्य रोचक उदाहरण, जो केवल समाचारों की भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं :

— मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बढ़ाई **मंत्रियों की फौज**।

— हॉकी में हुई **हार का ठीकरा** कैप्टन के सिर **फोड़ा जा रहा** है।

— मुलायम सिंह यादव ने अभी **अपने पत्ते नहीं खोले** हैं।

— कैफ **चमके**।

हिंदी समाचारों को मुहावरों के जरिए अधिक रोचक बनाने की कोशिश जारी है। निज़ी चैनल अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। हिंदी समाचार वाचक यदि अंग्रेजी उच्चारण वाले हों तो हिंदी समाचारों की दशा क्या होगी, यह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समाचार एजेंसियों से आने वाली खबरें यदि अंग्रेजी में होती हैं तो उनका हिंदी में अनुवाद करते हुए अंग्रेजी के शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिया जाता है। हिंदी भाषा में शब्द भंडार की कमी नहीं

*रीडर, पत्रकारिता विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा

261 HA/06—8B

है। हिंदी भाषा में शब्द उपलब्ध होने के बावजूद अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? एक ही खबर में एक जगह **'हाईवे'** का इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी जगह **'राजमार्ग'** का। ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा, केवल शब्दों को रोचकता प्रदान करना ही लक्ष्य बनता जा रहा है। मनोरंजन की व आम बोलचाल की भाषा की दृष्टि से तैयार किए गए समाचार 'हिंग्लिश' भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। अक्सर हिंदी वाक्य की संरचना के अनुसार अंग्रेजी शब्दों को उपयुक्त स्थान पर लगाया जाता है, ताकि शब्द के अर्थ में कोई भी परिवर्तन न हो। इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग समाचार शीर्षकों को आकर्षक व सुविधाजनक रूप में पढ़ने के उद्देश्य से भी किया जा रहा है। जैसे—

— बी.जे.पी. समर्थकों का **वाक आउट**

— गरीबों को पंचायती भूमि से **प्लॉट अलॉट** होंगे।

जाहिर है मौखिक भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा का लिखित रूप भी प्रभावित हो रहा है। इस दौड़ में विज्ञापन भी पीछे नहीं हैं। विज्ञापन समाचार पत्रों का आधार हैं। विज्ञापन का एक ही उद्देश्य रहता है, श्रोता को अपनी ओर आकर्षित करना। विज्ञापन सूचनाप्रद है भी या नहीं इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। विज्ञापन की भाषा कैसी हो, यह भी अधिक महत्व नहीं रखता। महत्व है तो रोचक शैली का, जिसे हर कोई बार-बार गुनगुनाए।

— बालों में दम **लाइफ में फन**।

— **स्टॉप ऑइली खाना**।

— हिम रत्न तेल रहे **ठंडा-ठंडा कूल कूल**।

हिंदी के शब्दों को रोमन अक्षरों में लिखने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है जो ग्राहकों को अपनी और अवश्य आकर्षित कर ही है।

— DEKHO DEKHO JALWA BOOMERANG WASH KA

— PUBLIC KA NAYA TRANSPORT

— YEH PYAAS HAI BADI

वैसे तो हिंदी समाचार पत्रों में अंग्रेजी के विज्ञापन अधिक देखने को मिलते हैं, परंतु कई बार अनुवाद का भी सहारा लिया जाता है। एक ही विज्ञापन का अनुवाद समाचार पत्रों में कुछ यूं देखने को मिला।

The Bajaj Bravo is here, Go ahead, set the pace

1. आ गया ब्रावो, आगे निकल जाइए, नए रास्ते बनाइए।

2. पेश है बजाज ब्रावो, अब रास्ते पर राज कीजिए।

विज्ञापन का अनुवाद कैसे भी किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। विज्ञापन आकर्षित होना चाहिए, जो उपभोक्ता को वस्तु खरीदने के लिए मजबूर कर दे।

फिल्मों की हिंदी भाषा से कौन परिचित नहीं, जिसमें अभिनेता की भूमिका के अनुसार हर तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह 'बंबइया हिंदी' हो या बिहारी हिंदी। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा एक आंचलिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। यही प्रयोग हिंदी सीरियलों में भी किए जा रहे हैं। यह आधुनिक परिप्रेक्ष्य में श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक भी है। भाषा की प्रयोजनमूलकता जैसे-जैसे अनुभव की जाती है, उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोगिक दायरा भी बढ़ता चला जाता है और सामान्य संप्रेषण की भाषा में विस्तार होने लगता है। हिंदी भाषा में हो रहे प्रयोग, संरचना व शब्दावली में परिवर्तन भाषा को एक नया रूप प्रदान कर रहे हैं।

हिंदी का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। अंतराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी फिल्मों को डब करके दिखाया जा रहा है। इसके अलवा हिंदी सीरियल भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार-प्रसार हो रहा है और हिंदी भाषा की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। गीत-संगीत के माध्यम से भी हिंदी भाषा ने विदेशों में अपनी पहचान बनाई है। भारत में बी. बी. सी. के संवाददाता मार्क टुली जो तीस वर्षों से भारत में रह रहे हैं, हिंदी बोलने में गर्व महसूस करते हैं

हिंदी एक ऐसी जीवंत भाषा है, जिसे व्यवहार के विविध संदर्भों के अनुरूप ढाला जा सकता है। संचार माध्यम हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हिंदी भाषा के प्रायोगिक क्षेत्र के दायरे को बढ़ा रहे हैं। ■

मानवाधिकार

मानवाधिकार और पुलिस

—प्रोफेसर ब्रजगोपाल शुक्ल *
—डॉ० एस० अखिलेश *

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल की अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा हवालात में तरह-तरह की अमानवीयता प्रदर्शित की जाती है। यदा-कदा पुलिस अभिरक्षा में महिला के शील भंग के समाचार भी प्रकाशित होते हैं। संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ के दौरान भिन्न-भिन्न तरीकों से कष्ट पहुंचाना और कभी इस प्रताड़ना या अमानवीयता का परिणाम पुलिस हिरासत में मृत्यु होती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस हिरासत में सैकड़ों लोगों की मृत्यु का दावा किया गया है। कहा गया है कि इन लोगों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया तथा मृत्युपर्यंत सताया गया। परंतु इन सभी प्रकरणों की गहन छानबीन के पश्चात् पुलिस उच्चाधिकारियों ने केवल कुछ मामलों में संबंधित पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है। भारतीय संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जो कि पुलिस संरक्षण में किसी भी अनावश्यक बल प्रयोग को अनुचित एवं अवैधानिक ठहराते हैं। संविधान के **अनुच्छेद 14** में कानून का समान संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एवं **अनुच्छेद 22** के अंर्तगत किसी प्रकार की अवैधानिक गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह अवरुद्ध व्यक्ति के पास अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने तथा अपनी रुचि अनुसार विधिक सलाह लेने का संवैधानिक अधिकार है। इस संबंध में संविधान का **अनुच्छेद 22(2)** बहुत स्पष्ट है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस कस्टडी में अवरुद्ध व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसी प्रकार **अनुच्छेद 20(3)** के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार अवरुद्ध व्यक्ति को पुलिस किसी ऐसे बयान को देने के लिये मजबूर नहीं कर सकती जिससे उसका दोष सिद्ध हो। संविधान में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि, "किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।" संविधान के **अनुच्छेद 21 व 22** प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तथा कुछ दशाओं में गिरफ़्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करती हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में निर्णय देते हुए कहा है कि अनुच्छेद 21 किसी भी प्रकार की कस्टडी में हिंसा के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता हैं। इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ व्यवस्थाएं हैं, जिनके द्वारा पुलिस के गिरफ्तारी कार्यों के दौरान अनावश्यक बल प्रयोग की संभावनाओं को कम किया जाता है। पुलिस कुछ अपराधों के अतिरिक्त सभी मामलों में गिरफ़्तारी के पूर्व मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने के लिए बाध्य होती है। सामान्य रूप से गिरफ्तारी के समय पुलिस को आज्ञा नहीं है कि वह किसी प्रकार के बल का प्रयोग करे। यदि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति इस कार्य में कोई अड़चन डालता है और स्वेच्छा से समर्पण नहीं करता है, तो अवश्य पुलिस उसी अनुपात में शक्ति प्रयोग कर सकती है। यदि ऐसी गिरफ्तारी बिना वारंट के की जा रही हो तो संबंधित व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। इसके साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की **धारा 53 एवं 54** के अंतर्गत पुलिस को यह निर्देशित किया गया है कि वह कस्टडी में रखे व्यक्ति की मेडिकल जांच कराएं। संविधान, आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. के यह प्रावधान पुलिस कस्टडी में बल प्रयोग की संभावना को प्रत्यक्ष रूप से कम करते हैं। राज्यों के पुलिस मेनुअल्स में भी इस संदर्भ में स्पष्ट निर्देश हैं और यदि कोई पुलिसकर्मी इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके लिये कड़े दंड की व्यवस्था की गई है।

*41/42, रघुवंश सदन, मोहल्ला बिछिया, बेलौहल टोला, रीवा-486001

पुलिस कस्टडी में हुई मृत्यु की जांच दंड प्रक्रिया की धारा 176 के अंर्तगत की जाती है। ऐसी मृत्यु समीक्षा निम्नलिखित परिस्थियों में की जाती है—

1. जब मृतक यूरोपियन सैनिक हो;

2. जब मृतक सैनिक या अनुगामी द्वारा किए गए आघातों का परिणाम होना आरोपित हो;

3. जब संबंधित व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुई हो;

4. जब मृतक वह व्यक्ति हो जो जेल में बंदी रहा हो; और

5. जब मृतक किसी प्रकार से पुलिस जांच से संबंधित रहा हो।

इस तरह दंड प्रक्रिया संहिता की **धारा 176** में प्रदत्त शक्तियों के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा हवालात या अभिरक्षा में मृत्यु प्रकरण की जांच की जाती है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए मर जाता है, तब उसकी मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी के स्थान पर निकटतम सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। मजिस्ट्रेट इस संबंध में **शव-परीक्षण** करा सकता है। वह मृतक के रिश्तेदारों या नजदीकी व्यक्तियों को जांच के समय उपस्थित रहने का आदेश देता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता की **धारा 220** में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से कस्टडी में रखता है तो उसे उपर्युक्त दंड की व्यवस्था है। भारतीय दंड संहिता की **धारा 330 एवं 331** के अंतर्गत पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति से बल प्रयोग द्वारा बयान लेने में की गई हिंसा दंडनीय है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की **धारा 376** में पुलिस कस्टडी में किए गए बलात्कार को दंडनीय बनाया गया है। पुलिस अभिरक्षा में हिंसा को किसी पुलिसकर्मी विशेष की कमियां या ब्याधिकी कहकर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। पुलिस की भूमिका एवं उत्तरदायित्व किसी भी अन्य शासकीय निकायों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। पुलिस के प्रति अपराध-नियंत्रण की जन-आकांक्षाएं भी सामान्यत: उपलब्ध साधन को देखते हुए वास्तविकता से अधिक होती हैं। परिणामस्वरूप कभी-कभी पुलिसजन इन जन-अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में **अवांछनीय तरीके, टार्चर या "थर्ड डिग्री"** का प्रयोग करने लगते हैं। निरंतर अपराधों की संख्या में वृद्धि से पुलिस का कार्यभार भी बढ़ गया है, अत: पुलिस के पास अभियुक्तों से धैर्यपूर्वक बयान लेने का समय नहीं होता और प्राय: जब-जब सहनशीलता भंग होती है, पुलिस-हिंसा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। वास्तव में कस्टडी में रखे गए अभियुक्तों पर की जाने वाली हिंसा का प्रत्यक्ष संबंध **अन्वेषण की गुणवत्ता** से होता है। पुलिस अनुसंधान कार्य में नवीन वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग भारत में कम है। जिससे भय एवं बल प्रयोग ही अभियुक्तों से पूछताछ करने का विकल्प बचता है। पुलिस बल की अपनी उपसंस्कृति (सब-कल्चर) होती है। बल-प्रयोग, नकारात्मकता, अनावश्यक कट्टरपन एवं दिखावा आदि इस उप-संस्कृति के तत्व हैं। पुलिस की यह उपसंस्कृति कस्टडी अपराधों का एक प्रमुख कारण है।

पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु अथवा उत्पीड़न संबंधी अन्य अपराधों के कारण समस्त पुलिस संगठन की छवि प्रभावित होती है। पुलिस अभिरक्षा में अपराधों को रोकने के संबंध में कुछ सुझाव इस प्रकार दिए गए हैं।

1. **नीतिगत निर्णय की आवश्यकता**—पुलिस अभिरक्षा में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लिए जाएं व दोषी व्यक्तियों को तत्काल दंडित किया जाए।

2. **उच्च अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षण**—पुलिस के उच्च अधिकारियों को पुलिस थानों का निरीक्षण करते समय अभिरक्षा में रखे गये व्यक्तियों से गहन पूछताछ करनी चाहिए । उच्चाधिकारियों को कभी-कभी बिना सूचना दिए पुलिस थानों का निरीक्षण करना चाहिये।

3. **थानों में वैज्ञानिक संसाधनों का उपलब्ध कराया जाना**— पूछताछ के कार्य में वैज्ञानिक उपकरणों एवं तरीकों का उपयोग किया जाए और थानों का कार्य-भार घटाया जाए ।

4. **नागरिक निरीक्षण समिति**— पुलिस-जनता के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने हेतु "सिटीजन्स विजिटिंग कमेटी" का गठन किया जाए और इसे यह अधिकार दिया जाए कि वह पुलिस लॉकअप का कभी भी व किसी भी समय बिना सूचना दिए निरीक्षण कर सके।

261 HA/06—9A

5. **विशेष प्रशिक्षण**—पुलिस अधिकारी जो पूछताछ का कार्य करते हैं, उन्हें इस कार्य हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

6. **कानूनों में सुधार**— दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं पुलिस अधिनियमों (पुलिस ऐक्ट एंड रेग्यूलेशन) में पुलिस अभिरक्षा में अपराध संबंधी प्रावधानों को पुनरावलोकन करके उनकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। पुलिस ऐक्ट 1861 के स्थान पर एक नया ऐक्ट अधिनिमित किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 101–114 के अंतर्गत दोष सिद्ध करने का दायित्व प्राय: उत्पीड़ित व्यक्ति पर जाता है। सरकारी पक्ष के वकील को अभियुक्त का दोष सिद्ध करना होता है। इस संबंध में विधि आयोग (लॉ कमीशन) ने एक नई **धारा 114 (ब)** को इस अधिनियम में शामिल करने का परामर्श दिया है और जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी सहमति दी है। इसे शामिल कर दिए जाने पर न्यायालय को परिस्थितियों के आधार पर बलात्कार और अभिरक्षा (कस्टडी) में हुई मृत्यु के संदर्भ में एक अनुमान लेने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यह इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी गवाह एवं अन्य साक्ष्य प्राय: नहीं होते। इन प्रावधानों को अभिरक्षा में हिंसा के अन्य रूपों में भी प्रभावी बनाया जा सकता है।

7. **प्रक्रियात्मक सुधार**— पुलिस अभिरक्षा में अपराध मुख्यत: अभियुक्त से पूछताछ के दौरान होते हैं। इसलिए अन्वेषण प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। इस दिशा में अनेक सुझाव दिए गए हैं। जिन पर चिंतन करके तद्नुसार सुधार किया जाना चाहिए। जैसे एक सुझाव यह है कि पूछताछ के समय यदि अभियुक्त चाहता है तो उसके विधिक सलाहकार को उपस्थित रखा जा सकता है। यह भी पाया जाता है कि इस प्रकार के अपराधों के बारे में पुलिस, **"प्रथम सूचना प्रतिवेदन"** दर्ज करने से कतराती है। इसलिए, इस प्रकार उत्पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन जज के समक्ष शिकायत कर सके और इसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन मानकर अपराध अन्वेषण प्रारंभ किया जाए। अनुसंधान प्रक्रिया में भी नए आयामों को शामिल किया जाना चाहिए। अनेक महत्वपूर्ण प्रकरणों में राज्य के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं।

उदाहरणार्थ, एक मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कस्टडी में पुलिस हिंसा रोकने के लिए **'कस्टडी-मेमो'** जारी, किए जाने की व्यवस्था अपनाए जाने का निर्देश दिया है । इस मेमो में पुलिस को अभियुक्त की गिरफ्तारी का समय, स्थान, तारीख, गिरफ्तारी का कारण, कस्टडी का स्थान, अभियुक्त के शरीर पर विद्यमान चोटों के पूर्व निशानों का विवरण, पुलिस स्टेशन, जांच अधिकारी का नाम तथा जिस न्यायालय में उस अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना है, उसका विवरण देना होता है तथा इस मेमो को अभियुक्त के निकटतम संबंधी को भेजकर प्राप्ति की रसीद प्राप्त करनी होती है। यह व्यवस्था सम्पूर्ण देश में एक समान लागू की जानी चाहिए।

पुलिस अभिरक्षा में रोकी गई महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार अथवा इसके प्रयास को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिला अभियुक्तों से पूछताछ के लिए महिला पुलिसकर्मी ही नियुक्त हों तथा मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कस्टडी में रखी गयी महिला अभियुक्त को पेश किया जाता है, को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कस्टडी में रखी गयी महिला अभियुक्त किसी यातना का शिकार तो नहीं है। अभी हाल ही में लॉ कमीशन (1993) ने यह प्रस्तावित किया है कि कस्टडी में पुलिस हिंसा के मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तथा कस्टडी मौत के मामलों में सेशन जज को जांच के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए और ऐसी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिसकर्मियों को यथोचित दंड मिलना चाहिए।

8. **अन्य सुधार**— पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने 1993 में एक पेपर प्रकाशित कर सुझाव दिया है कि पुलिस भर्ती के नियमों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। पुलिस में भर्ती के समय मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाएं और ऐसे परीक्षणों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि नकारात्मक, कुंठाग्रस्त एवं मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति पुलिस बल में प्रविष्ट न होने पाएं। इसके अलावा पुलिस नेतृत्व (शीर्ष अधिकारियों) को चाहिए कि पुलिस अभिरक्षा में हो रही ज्यादतियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। पुलिस की आचार संहिता का पालन सख्ती से कराया जाना चाहिए। जहां यह प्रमाणित हो जाए कि पुलिसकर्मी कस्टडी अपराध में संलग्न था, वहां कड़े दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही इस प्रकार की खबरों का पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए।

261 HA/06—9B

जेलों में बंद कैदियों की मृत्यु संबंधी प्रकरणों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए उसकी रोकथाम हेतु मानव अधिकार आयोग ने निर्णय लिया है कि जेलों में बंद कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जिला स्तर पर सप्ताह में एक बार विशेषज्ञ जेलों का विजिट करें। इस आशय के आदेश प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सेवाएं तत्काल जारी करें। इसके साथ ही जिला स्तर पर महिला चिकित्सक भी उपलब्ध कराई जाएं।

जेलों में स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं। ऐसी सस्थाएं नि:शुल्क शिविर आयोजित करती हैं अत: इन संस्थाओं से जेल अधिकारी संपर्क करें, जिससे बंदी की स्वास्थ्य परीक्षा में काफी मद्द मिलेगी। जेल मेन्युअल की **कंडिका 823** में यह प्रावधान है कि जेल प्रवेश के समय ही प्रत्येक बंदी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना आवश्यक है। जेल मेन्युअल की **कंडिका 88** में भी संशोधन कर दिया गया है, इसके तहत एस.डी.एम. को जेल अधीक्षक बनाया गया है, किंतु एस.डी.एम. कानून व्यवस्था में व्यस्त रहते हैं, अत: पूर्व में, संशोधन के पूर्व जो व्यवस्था थी,जेलों में सिविल सर्जन अथवा वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर को जेल अधीक्षक का कार्यभार दिया जाता था, वही व्यवस्था फिर से लागू की जाए।

वास्तव में ऐसे अनेक सुझाव हैं, जिन पर यदि अमल किया जाए तो पुलिस अभिरक्षा में घटित होने वाली इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम की जा सकती है। भारत के विधि आयोग ने **भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक नई** धारा 14(ब) को जोड़ने का परामर्श दिया है। इस धारा के जुड़ जाने के पश्चात् सक्षम न्यायालय को परिस्थितियों के आधार पर पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के संबंध में निष्कर्ष निकालने के कुछ अधिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्राय: नहीं होते। डॉ. जी. एस. वाजपेयी की यह धारणा है कि चूंकि पुलिस अभिरक्षा में ऐसे अपराध मुख्य रूप से अभियुक्त से पूछताछ के दौरान होते हैं, इसलिए अन्वेषण प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। एक अन्य सुझाव जो यहां उल्लेखनीय है, यह है कि इस प्रकार के अपराधों के बारे में चूंकि पुलिस "प्रथम सूचना रिपोर्ट" दर्ज करने से कतराती है, अत: उत्पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिजन को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह सक्षम न्यायालय के समक्ष शिकायत कर सके। कुछ पाश्चात्य देशों में पुलिस आचरण के विरुद्ध शिकायतों के लिये अलग से बोर्ड स्थापित किये गए हैं। इसी आधार पर राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने राज्य व जिला स्तर पर इस प्रकार के बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है।

संदर्भ :—

1. Books and Articles of Dr. S. Krishnamurty and Dr. G. S. Bajpayee.
2. Dr. S. Akhilesh (2005) Police Basic Training', Gayatri Publications, Rewa.
3. News Letters of National and State Human Rights Commission, New Delhi and Bhopal.
4. Jail Manual.
5. Indian Evidence Act.

■

हिंदी सीखे बिना भारतीयों के दिलों तक नहीं पहुँचा जा सकता।

—लोकार लुतने (जर्मन विद्वान)

विविध

जागी आधी आबादी

—डॉ० रवि शर्मा*

'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता' अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। वैदिक युग में 'मनुस्मृति' का यह कथन भारत में नारी-महिमा का जीवंत उदाहरण है। भारतीय नारी को हमारे प्राचीन ऋषियों, मनीषियों, आचार्यों तथा दार्शनिकों ने घर-बाहर सदा आदर, सम्मान, श्रद्धा तथा गौरव का पात्र माना। वैदिककालीन नारी सहधर्मिणी, गृहलक्ष्मी, वात्सल्यमयी माता, विदुषी के रूप में समाज में प्रतिष्ठित तथा समान अधिकारों को भोगने वाली थी। वह केवल भोग विलास की वस्तु नहीं समझी गई। नारी की रचना ब्रह्मा जी ने सूर्य से रोशनी, चंद्रमा से शीतलता, समुद्र से गंभीरता, पर्वत से उच्चता, कोयल से वाणी, फूलों से मधुरिमा, हस्तिनी से चाल, किरणों से नेत्रों का सौंदर्य लेकर की। कामायनीकार जयशंकर प्रसाद के शब्दों में—

"नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग, पग, तल में।
पीयूष स्रोत-सी बहा करो,
जीवन के सुंदर समतल में॥"

अनुसूया, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, विद्योत्तमा, मदालसा, लीलावती जैसी एक-से-बढ़कर एक मेधावी-विलक्षण नारियाँ। इतना ही नहीं, सावित्री द्वारा अपने पति सत्यवान के प्राण लौटाना, देवासुर संग्राम में कैकयी का अनुपम पराक्रम, सीता का राजमहलों के सुख त्याग राम के साथ वन-वन भटकना, तारा तथा मंदोदरी का अपने पति को बार-बार समझाना, द्रोपदी द्वारा समय-समय पर अपने पति को सीख देना, प्राचीन काल की भारतीय नारी की महत्ता का द्योतक है। विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी तथा शक्ति स्वरुपा दुर्गा नारी के ही विविध रूप थे। कालिदास के महाकाव्य 'रघुवंश' में अज अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहता है-'मेरी पत्नी विचार के समय मंत्री, कार्य के समय दासी, धर्म कार्य में पत्नी, सहिष्णुता में पृथ्वी, स्नेह करते हुए माता, विलास के समय रंभा तथा खेलकूद के समय मित्र के समान है।' भारतीय नारी स्वयंवर के माध्यम से अपना वर स्वयं चुनने के लिए स्वतंत्र थी। बिना पत्नी के कोई यज्ञ सफल नहीं समझा जाता था। राम को भी राजसूय यज्ञ की पूर्ति हेतु सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवानी पड़ी थी।

काल का पहिया आगे बढ़ा। केंद्रीय सत्ता के निर्बल होते ही 11वीं सदी के आसपास विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत भूमि को पददलित कर दिया। यहीं से शुरू हुआ- नारी का बंधनग्रस्त रूप। परतंत्र भारत में नारी भला स्वतंत्र कैसे रह सकती थी? भारतीय परतंत्रता के साथ धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति के उच्चादर्शों, श्रेष्ठ मानव मूल्यों, उदात्त परंपराओं पर भी कुठाराघात होने लगा। नारी को भोग-विलास की वस्तु समझा जाने लगा। उसके अधिकार, स्वतंत्रता सब छिनते चले गए। मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा शासकों की क्रूरता के परिणामस्वरूप जौहर, परदा प्रथा, सतीप्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह, दहेज जैसी कुप्रथाएँ इसी दौर में फूली-फलीं। शिक्षा से वंचित पराश्रित नारी घर की चारदीवारी में कैद होकर पुरुष के पाँव की जूती समझी जानी लगी। प्राचीन काल में उन्मुक्त हवा में जीने वाली नारी अपने ही घर में घुट-घुटकर मरने के लिए विवश हो गई। सहधर्मिणी, सहचरी के स्थान पर अब नारी पुरुष की वासनाओं की पूर्ति का उपकरण, रमणी, भोग्या एवं विलासिनी मात्र बन कर रह गई। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने नारी की इस करुणाजनक दशा का चित्रण इन शब्दों में किया है-

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी
आँचल में है दूध और आँखो में पानी।"

उन्नीसवीं सदी तक आते-आते समय ने पुनः करवट बदली। नारी की दयनीय दशा से द्रवित होकर अनेक समाज-सुधारकों यथा राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती

*हिंदी विभाग, श्रीराम कालेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

आदि ने नारी की दशा सुधारने के लिए कमर कस ली। सती प्रथा (1829) और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा। विधवा पुनर्विवाह (1856) के कानून बने। समाज में स्त्री सम्मान की पुनः प्रतिष्ठा होने लगी। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में नारी ने पुरुष के कंधे-से-कंधा मिलाकर विपरीत परिस्थितियों में भी देशसेवा का प्रण निभाया। महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, प्रीतिलता वादेदार, ऐनी बेसेंट, भीकाजीकामा, कमला नेहरू, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित आदि कुछ ऐसे ही उल्लेखनीय नाम हैं।

15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ, मानो भारत का गौरव लगभग एक हजार वर्ष की नींद से जागा हो। स्वतंत्र भारत के चहुँमुखी विकास में नारी भी भागीदारी बनी। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951—1956) में महिला कल्याण एवं महिला उत्थान हेतु प्रारंभ हुई विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रही है। इसी के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास योजनाएँ, महिला कल्याण एवं विकास ब्यूरो की स्थापना (1976), महिला एवं बाल विकास विभाग (1985), इंदिरा महिला योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला आयोग (1990) का गठन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा (2001), 'स्वयंसिद्ध' तथा 'स्वाधार' जैसे नारी सशक्तिकरण कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है। हाल ही में सुविख्यात महिलाओं-जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होल्कर, कण्णगी तथा रानी गैंदिल्यु के नाम पर 'स्त्री शक्ति पुरस्कार' शुरू करके आगे बढ़ती महिलाओं को प्रोत्साहित करने का स्तुत्य प्रयास किया गया है। महिला विकास एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय एवं 'मील का पत्थर' है—'भारतीय संसद द्वारा 1993 में संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के अंतर्गत देशभर की पंचायतों तथा जिला परिषदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में 11 लाख महिलाएँ पंचायतों के कामकाज में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन गई हैं। इतना ही नहीं, भारत और विश्व में सन् 1975 को 'महिला वर्ष' तथा 1975—1985 के दशक को 'महिला दशक' के रूप में मनाया गया। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सन् 1875 को अमेरिका में सिलाई एवं वस्त्रोद्योग की महिला मजदूरों ने पुरूषों के समान वेतन तथा दस घंटों की निश्चित कार्यावधि की माँग करते हुए हड़ताल कर दी थी। लंबे संघर्ष के बाद उन्हे सफलता मिली, जिसकी अनगूंज पुरे विश्व में सुनाई दी। तब से 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत में सन् 2001 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मनाया गया।

भारतीय संविधान में भी महिलाओं के कल्याण के लिए कई प्रावधान रखे गए। संविधान के अनुच्छेद 42 (राज्य के नीति निदेशक तत्व) को क्रियान्वित करने के लिए संसद ने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 पारित किया। अनुच्छेद 43 के आधार पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया, जो महिलाओं के लिए भी लाभदायक है। संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था है। इसी के अनुपालन में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 पारित किया। संविधान के अनुच्छेद 5(क)(ङ) जो मूल कर्त्तव्यों से संबंधित है, के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।

बीसवीं सदी का उत्तरार्ध भारत ही नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं के लिए सुखद संदेश लाया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही महिलाओं के लिए क्रांतिकारी प्रयास प्रारंभ हुए, जैसे महिला आयोग की (1946) स्थापना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र (1948) तथा महिलाओं के लिए अधिकारों को व्यापक बनाने के लिए दिसम्बर 1952, अगस्त 1958, दिसंबर 1966, दिसम्बर 1979, दिसंबर 1993 में व्यापक दस्तावेज तैयार तथा अंगीकृत करके महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत अधिकारों से संपन्न बनाया गया। इसी दौर में विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके (1960) के पद्चिह्नों पर चलते हुए भारत (श्रीमती इंदिरा गाँधी), ब्रिटेन (मार्ग्रेट थैचर), पाकिस्तान (बेनजीर भुट्टो), कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, इज़राइल, फिलीपीन्स आदि देशों में महिलाएं या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष चुनी गईं। 1893 में न्यूजीलैंड, 1920 में अमरीका तथा 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं को प्रथम बार मत देने का अधिकार मिला।

आज भारतीय नारी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक, न्यायाधीश, कुलपति, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, राजनीतिज्ञ, सेना अधिकारी, समाजसेविका,

261 HA/06—10A

खिलाड़ी आदि बनकर उद्योग वाणिज्य, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, प्रशासन, प्रबंधन, आदि प्रत्येक क्षेत्र में अपनी कार्यक्षमता, बुद्धि कौशल तथा प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। गीत, संगीत, नृत्य, लोककला, मॉडलिंग, फिल्म ही नहीं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक क्षेत्रों में भी नारी अपनी सफलता का परचम फहरा रही है। लता मंगेशकर, कल्पना चावला, पी. टी. उषा, किरण बेदी, मेधा पाटकर, मेनका गाँधी, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, सानिया मिर्जा, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शोभना नारायण, शबाना आजमी, सोनल मानसिंह आदि अनेकानेक स्त्रियाँ भारतीय सफलता आकाश में दैदीप्यमान नक्षत्र बन कर जगमगा रही हैं। ऐसी नारी के संबंध में ही एक कवि का कथन है—

नारी तो शक्ति स्वरूपा, आत्मा की अमर कला है।
इसके बल पर तो सारा, जग का व्यवहार चला है।

यह था सिक्के का चमकदार पहलू। सिक्के का दूसरा पहलू इतना ही अंधकारमय है। उपर्युक्त दैदीप्यमान नक्षत्र तथा स्त्री सशक्तिकरण के प्रमाण शहरों तथा महानगरों की संपन्न स्त्रियों के हैं। गाँधी जी ने कहा था— "भारत गाँवों में बसता है।" आज भी भारत की लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और इसमें से आधी आबादी महिलाओं की है, यानी लगभग 40 करोड़। एक ग्रामीण महिला प्रतिदिन 13 घंटे काम करती है, जबकि पुरुष 8 घंटे काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत महिलाएँ अपना 15वाँ जन्मदिन नहीं देख पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 26वें मिनट में एक महिला छेड़छाड़ की शिकार होती है, 34वें मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार, 42वें मिनट में यौन शोषण तथा 43वें मिनट में अपहरण, 93 वें मिनट में दहेज हत्या होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर सौ बालिकाओं, जिनका कि पहली कक्षा में दाखिला होता है, में से चालीस पाँचवीं कक्षा तक, अठारह आठवीं कक्षा तक, नौ दसवीं कक्षा तक तथा सिर्फ एक बारहवीं कक्षा तक पहुँच पाती है। भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु की ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 30.4 प्रतिशत है। यानी एक तिहाई से भी कम। भारतीय समाज विशेषकर ग्रामीण समाज में अनेक कुरीतियाँ अभी भी जड़ें जमाए हुए हैं जैसे बाल विवाह, विधवाओं के साथ अमानवीय व्यवहार, पुत्र जन्म पर उत्सव तथा पुत्री जन्म पर शोक, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा आदि। लड़की के साथ भेदभाव का ही परिणाम है कि सन् 1901 में प्रति एक हजार पुरुषों पर स्त्रियाँ 972 थी, घटकर सन् 2001 में केवल 933 रह गई हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महिलाओं की लगातार उपेक्षा की जाती है। कुपोषण, रक्ताल्पता, गठिया, तनाव, अवसाद आदि भारतीय महिलाओं में पुरूषों की तुलना में कहीं अधिक हैं। प्रसवकाल में महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है, क्योंकि मात्र 17.8 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ ही प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में बच्चे को जन्म दे पाती हैं। महिलाओं के लिए भविष्य के खतरे के रूप में उभर रहा है - एड्स ('एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियेंसी सिंड्रोम')। भारत में सन् 2005 में 51 लाख लोग एच. आई. वी. पाजिटिव वायरस से ग्रस्त पाए गए, जिसका अर्थ है 2010 तक भारत में लगभग ढाई करोड़ लोग एच.आई. वी. से पीड़ित होंगे, जिसमें युवा महिलाओं की संख्या अधिक होगी।

अब प्रश्न उठता है कि स्थिति में सुधार हेतु क्या किया जाए? सबसे पहले तो लड़कियों तथा महिलाओं के लिए दसवीं तक की शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था की जाए। उन्हें स्वास्थ्य के प्रति, अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति जागरुक बनाया जाए। स्वरोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, सामाजिक कुरीतियां कम करने के प्रयास किए जाएँ। राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ बनाकर महिलाओं को उसमें योगदान के लिए प्रेरित किया जाए तथा अच्छा काम करने वाली महिला को पुरस्कृत, प्रोत्साहित तथा सम्मानित किया जाए। युवा महिलाओं को एड्स की जानकारी दी जाए, क्योंकि जानकारी ही एड्स का एकमात्र इलाज है। इन सबसे बढ़कर पूरे भारतीय समाज को, विशेषकर पुरुषों को महिलाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाते हुए उनकी योग्यता, क्षमता तथा प्रतिभा को स्वीकारना और सँवारना होगा, तभी सच्चे अर्थों में एक सुसंस्कृत, समृद्ध तथा सशक्त भारत का निर्माण हो सकेगा और हम गर्व से कह सकेंगे—'जागी आधी आबादी'। ❖

261 HA/06—10B

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

महाप्रबंधक (राजभाषा) पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मुराकास) की तिमाही बैठक दिनांक 16-09-05 को अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री राकेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

इस बैठक में मुख्यालय स्थित सभी विभागों व विभागेत्तर कार्यालयों के राजभाषा संपर्क अधिकारियों के अलावा राजभाषा अधिकारी (मुख्यालय) उपस्थित थे।

समिति सचिव एवं राजभाषा अधिकारी श्री ईश्वर चंद्र मिश्र ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक श्री राकेश त्रिपाठी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में 14 सितंबर हिंदी दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण जब भी अपने विभागीय निरीक्षण पर जाएं तो विभागीय क्रिया-कलापों की प्रगति के साथ-साथ संबंधित कार्यालय/स्टेशन पर हिंदी प्रयोग की प्रगति का भी जायजा लें और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में हिंदी प्रगति के बारे में एक पैरा उल्लिखित करें। धारा 3(3) के कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं, यदि कोई कमी है तो उसे संज्ञान में लाएं ताकि उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। विभागीय बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत हिंदी में ही तैयार/जारी किए जाएं तथा इस बैठक की कार्यसूची में हिंदी प्रगति को एक मद के रूप में शामिल करते हुए उस पर चर्चा की जाए तथा इसका उल्लेख बैठक के कार्यवृत्त में भी किया जाए। अपने दैनिक कार्यालयी कार्यों में क्लिष्ट हिंदी के शब्दों के प्रयोग से बचा जाए और सरल एवं सहज शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। साथ ही दूसरी भाषाओं के शब्दों से परहेज न करें और अंग्रेजी के तकनीकी शब्द जो हमारे दैनिक कार्यों में रच बस गए हों, उन्हें उसी रूप में देवनागरी लिपि में लिखे जाएं ताकि संप्रेषणीयता बनी रहे।

रेल रश्मि पत्रिका के उपयोगार्थ विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से रचनाएं आमंत्रित करते हुए अपर मुराधि महोदय ने सुझाव दिया कि अधिकारीगण स्वयं रुचि लेकर अपनी रचनाएं/लेख आदि भेजें। साथ ही, अपने विभागों के कर्मचारियों को भी रचनाएं लिखने हेतु प्रेरित करें।

महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय रेलवे, गोरखपुर

क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 15-09-2005 को महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे श्री आर. मोहनदास की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्यालय स्थित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, मंडलों के अपर/उप-मुख्य राजभाषा अधिकारी/राजभाषा अधिकारी, मंडलेत्तर कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण के अलावा अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर को सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था।

महाप्रबंधक, श्री आर. मोहनदास जी ने सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं मंडलों के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारियों/उप-मुख्य राजभाषा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अनेकता और विविधता वाले देश में हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ती है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस ऐतिहासिक घटना की याद में हम हर साल राजभाषा समारोह मनाते हैं। आज की यह बैठक उसी की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों एवं बैठकों का मूल उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कार्यालयी काम-काज हिंदी में करने के लिए प्रेरित करना है। आज के इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि पूर्वोत्तर रेल पर इस वर्ष को हिंदी कार्यान्वयन वर्ष के रूप में मनाया जाए और आज से सभी कार्य नियमानुसार हिंदी में ही किया जाए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रेल एक वाणिज्यिक संगठन है, जिसमें रेल यात्री की भूमिका काफी महत्वपूर्ण

है। हम यात्रियों के बीच विश्वास एवं अपनापन तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब हम उनकी भाषा में संपर्क स्थापित करते हुए उनके कार्य करें। सूचना तकनीक के इस समय में रेल का कार्य धीरे-धीरे कंप्यूटरों पर आधारित हो चला है, अत: अब यह आवश्यक हो गया है कि हम कंप्यूटर से अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही संपन्न करें। साथ ही जिन जगहों में अभी भी कहीं न कहीं किसी कारण से अंग्रेजी का प्रयोग हमारी मजबूरी बनी हुई है, ऐसी जगहों की पहचान करके उन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए। महाप्रबंधक महोदय ने बताया कि अभी पिछले दिनों उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल का निरीक्षण किया था और महसूस किया कि ट्रेनिंग स्कूल में लैक्चर और पाठ्य सामग्री में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए ताकि प्रशिक्षुओं को समझने में असुविधा न हो। इसमें सुधार किया जाए।

पूर्व रेलवे कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा) 17, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की उपर्युक्त बैठक 21-09-2005 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री श्याम कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

महाप्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की नीति के प्रमुख प्रावधानों अर्थात् कानूनी प्रलेखों के द्विभाषीकरण, हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में देने, विभिन्न क्षेत्रों के कार्यालयों को निर्धारित लक्ष्यानुसार हिंदी पत्राचार के अनुपालन के प्रति हमें हर स्तर पर जागरूकता बरतनी चाहिए। इस वर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी को राजभाषा बने 56 वर्ष हो गए हैं। हमें अब और ज्यादा समय गवांए बिना राजभाषा नीति के सभी प्रमुख प्रावधानों का अक्षरश: पालन करना व कराना है। कार्मिक/लेखा/चिकित्सा/सुरक्षा विभागों के आंतरिक काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विशेष अभियान छेड़ा जाना चाहिए।

कार्मिक विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण/तैनाती सहित सभी तरह के आदेश/परिपत्र अनिवार्यत: हिंदी व अंग्रेजी दोनों में एक साथ जारी किये जाएं।

वरिष्ठता सूची/कर्मचारी कल्याण विषयक मामले/वर्ग 'घ' के कर्मचारियों के प्रकरण अनिवार्यत: हिंदी में हों।

वाणिज्य विभाग रेलवे बोर्ड से द्विभाषी रूप में प्राप्त दर-दावा-सामान्य परिपत्र अनिवार्यत: द्विभाषी जारी करें।

दक्षिण पूर्व रेलवे कार्यालय महाप्रबंधक (राजभाषा) गार्डनरीच, कोलकाता-43

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 76वीं बैठक दिनांक 20-09-2005 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे एवं पदेन अध्यक्ष, श्री रतन राज भंडारी ने की। महाप्रबंधक ने संस्कृत को सभी क्षेत्रीय भाषाओं की उद्गम भाषा बताते हुए हिंदी को सभी भाषाओं को जोड़ने वाली भाषा के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के स्वरूप पर प्रकाश डाला। उन्होंने समिति को सूचित किया कि 'ग' क्षेत्र की दृष्टि से दक्षिण पूर्व रेलवे को राजभाषा हिंदी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने पर अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड द्वारा 'राजभाषा शील्ड' दिनांक 13 जुलाई, 05 को प्रदान की गई। इसके लिए उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को बधाई दी तथा उनसे आग्रह किया कि वे अगले वर्ष भी राजभाषा शील्ड प्राप्त करने का भरसक प्रयास करें। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से आग्रह किया कि 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों की रेलों एवं कार्यालयों के साथ पत्राचार में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। उन्होंने पत्राचार में मिली-जुली भाषा के प्रयोग पर बल दिया।

मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री एल.सी. मजुमदार ने धारा 3 (3) के शतप्रतिशत अनुपालन की संवैधानिक बाध्यता पर बल देते हुए, इंजीनियरी, परिचालन, चिकित्सा एवं कार्मिक विभाग की जून, 05 की तिमाही की कमियों की ओर संकेत किया। उन्होंने उन सभी विभागाध्यक्षों से आग्रह किया कि जहां धारा 3 (3) अंतर्गत आने वाले कागजात का शतप्रतिशत अनुपालन नहीं हो रहा है, वहां वे शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। उन्होंने सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि अधिकारी जब भी निरीक्षण पर जाएं तब निरीक्षण के दौरान राजभाषा संबंधी निरीक्षण अवश्य करें। उन्होंने बताया कि 14 सितम्बर, 2005 से प्रारंभ हुए पखवाड़े के दौरान हिंदी जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की टेबल ट्रेनिंग दी जा रही है। हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हिंदी कुंजीयन प्रतियोगिता,हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस पखवाड़े के दौरान सुरक्षा एवं सिगनल विभाग के कर्मचारियों के लिए दिनांक 22-09-2005

से 28-09-2005 तक हिंदी कार्यशाला भी चलाई जाएगी।

आकाशवाणी, कोल्हापुर

दिनांक 4-10-2005 को केंद्र निदेशक, श्री. बी.डी. मजुमदार की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की माह जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2005 की तिमाही बैठक संपन्न हुई।

अध्यक्ष जी ने बैठक में उपस्थित सभी विभाग प्रमुखों एवं कर्मचारियों को राजभाषा में कार्यालयीन कामकाज करने का आग्रह किया एवं मा. महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली से समय-समय पर आनेवाले सुझाव पर ध्यान आकर्षित करके दिन प्रतिदिन के कार्यालयीन कामकाज राजभाषा में ही करने के लिए अवगत कराया और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तरफ से इस कार्यालय को इस साल जो तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसके लिए दौड़ प्रथम पुरस्कार की दिशा में होनी चाहिए यह अपेक्षा व्यक्त की। अंत में सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया और बैठक समाप्त की घोषणा की।

कार्यपालक अभियंता, इलाहाबाद केंद्रीय मंडल, के. लो. नि. वि., इलाहाबाद

श्री पवन कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, इलाहाबाद, केंद्रीय मंडल, के. लो. नि. वि., इलाहाबाद की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चतुर्थ बैठक वर्ष 2005 की दिनांक 5-10-2005 को संपन्न हुई।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2005-06 की विभिन्न मदों पर विस्तृत चर्चा की गयी। अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था में सभी अधिकारियों का आह्वान किया कि वे अपने सामूहिक प्रयास से विभिन्न मदों के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करें।

अध्यक्ष महोदय ने मंडल तथा उपमंडल कार्यालयों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मंडल की समेकित प्रगति पर सितंबर, 2005 को 98.87 प्रतिशत पहुँचने के लिए धन्यवाद दिया तथा आशा व्यक्त की कि उनके सामूहिक प्रयास से हम निकट भविष्य में शीघ्र ही लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हो सकेंगे।

हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसके प्रयोग एवं विस्तार में हमें गौरवान्वित होना चाहिए। इसी शुभ विचार के साथ एवं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (राकास) की अप्रैल-जून 2005 की तिमाही की बैठक निदेशक, भापेसं के गोष्ठी कक्ष में दिनांक 24-8-2005 को पूर्वाह्न 11.30 बजे डॉ० एम. ओ. गर्ग, निदेशक, भापेसं की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

सदस्य सचिव, ने समिति को अवगत कराया कि संस्थान के अधिकांश अनुभागों/प्रभागों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े राजभाषा अनुभाग को समय से प्राप्त न होने पर रिपोर्ट मुख्यालय भेजने में विलंब होता है। इस पर चर्चा करते हुए प्रशासन नियंत्रक श्री स्वतन्त्र कुमार सदाना ने सुझाव दिया कि आंकड़े इकट्ठा करने के लिए राजभाषा अनुभाग को प्रभाग प्रमुखों से संपर्क कर व्यक्तिगत प्रयास करने चाहिए ताकि रिपोर्ट समय से मुख्यालय प्रेषित की जा सके। चर्चा करते हुए प्रशासन नियंत्रक श्री स्वतन्त्र कुमार सदाना ने नकद पुरस्कार के बजाय सर्वाधिक हिंदी काम-काज करने वाले दो प्रभागों को 'चल वैजयंती' प्रदान किए जाने का सुझाव दिया। इस पर सभी सदस्यों ने सहमति दी। सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया कि हिंदी माह के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में समूह 'घ' के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक 'इमला' (श्रुतलेख) प्रतियोगिता अलग से रखी गयी है।

सदस्य सचिव ने दिसंबर माह में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के लिए 'सूचना प्रौद्योगिकी' विषयक तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की जानकारी दी।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, एन. एच. पी. सी. कार्यालय परिसर, सैक्टर—33, फरीदाबाद-121003

निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2005-06 की दूसरी तिमाही बैठक हिंदी पखवाड़े के

(शेष पृष्ठ 40 पर)

261 HA/06—11A

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

जयपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति केंद्रीय कार्यालय, जयपुर की 49वीं अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 26 अगस्त 2005 को अपराह्न 3.30 बजे इस कार्यालय के मनोरंजन कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में जयपुर नगर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयाध्यक्ष/प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए।

माननीय अध्यक्ष श्री चंद्रलाल जी ने बैठक में उपस्थित कार्यालयाध्यक्ष/प्रतिनिधिगण का स्वागत करते हुए कहा कि हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन की दिशा में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का वर्ष में दो बार आयोजन किया जाता है और इन बैठकों में हम सब मिलकर हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण का प्रयास करते हैं।

उन्होंने कहा कि जहां एक ओर राजकाज में हिंदी के प्रयोग की स्थिति में सुधार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर धारा 3 (3), नियम 5 एवं "क" एवं "ख" क्षेत्र में भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतिशतता, जो शत प्रतिशत हिंदी में होनी चाहिए, पर कुछ कार्यालयों द्वारा अभी भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कठिनाई/शंका इत्यादि हो तो बैठक में उपस्थित राजभाषा प्रतिनिधि श्री सुनील सरवाही से पूछ कर या बैठक के पश्चात इस कार्यालय के राजभाषा कक्ष से संपर्क कर कठिनाई/शंका का निवारण किया जा सकता है।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि नराकास के अध्यक्ष की हैसियत से मेरा यह मानना है कि इन बैठकों का मूल उद्देश्य तभी पूरा होगा जब प्रत्येक बैठक में प्रत्येक सदस्य कार्यालय की सक्रिय सहभागिता रहे ताकि सभी के सार्थक विचारों व अमूल्य सुझावों से इन बैठकों को और भी उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके।

पटियाला

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पटियाला की 41वीं बैठक दिनांक 25-10-2005 को दोपहर 3.30 बजे आयकर भवन के सम्मेलन कक्ष में हुई।

श्री मनजीत सिंह, संयुक्त आयकर आयुक्त, पटियाला रेंज, पटियाला ने बैठक की अध्यक्षता की। राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व करने श्री राम निवास शुक्ल, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) उपस्थित हुए।

राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय उत्तर क्षेत्र, गाजियाबाद से आए श्री रामनिवास शुक्ल, उपनिदेशक कार्यान्वयन ने भाषा के महत्व को बताते हुए कहा कि भाषा हम सब को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। पटियाला नराकास बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उसका श्रेय इस समिति के सदस्य सचिव को जाता है। यह समिति एक संयुक्त मंच है, जिसके माध्यम से मिल बैठकर राजभाषा का कार्यान्वयन एक-दूसरे से जानकारी एवं सहायता लेकर अच्छी तरह से किया और करवाया जा सकता है।

श्री मनजीत सिंह जी ने कहा कि भाषा की तरक्की तभी हो सकती है जब देश को चलाने वाली सरकार/राजनैतिक सत्ता भाषा के प्रति अपने रवैये को मज़बूत करेगी। उत्तर भारत के लोगों की अपेक्षा दक्षिण एवं पूर्व क्षेत्रों के लोग हिंदी सबसे अच्छी बोलते और समझते हैं। यदि हम शुद्ध/लच्छेदार भाषा का प्रयोग न करके रोजमर्रा की हिंदी का प्रयोग करेंगें तो हमारा काफी काम हिंदी में हो सकता है। उन्होंने प्रतियोगिताओं में पुरस्कार पाने वाले सदस्यों एवं उनके विभागों के अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि यह समिति गत 23 वर्षों से कार्य रही है और यहां आज यह देखा गया है कि कई कार्यालयों में राजभाषा में काम 100 प्रतिशत हिंदी में हो रहा है, जो लक्ष्य से अधिक है। वे सभी बधाई के पात्र हैं।

रायपुर (छ. ग.) (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की 19वीं अर्धवार्षिक बैठक सोमवार दिनांक 26-09-2005 को होटल बेबीलोन में समिति अध्यक्ष एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री घनश्याम गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी सदस्यों से अपने-अपने कार्यालयों व शाखाओं में राजभाषा नीति को

261 HA/06—11B

और बेहतर ढंग से लागू करने का अनुरोध किया। श्री गुप्ता ने उपस्थित सभी बैंकों के स्थानीय प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी के इतिहास में सितंबर माह अत्यंत महत्व का स्थान रखता है, क्योंकि आज से 56 वर्ष पूर्व 14 सितंबर, 1949 को हमारे देश की संविधान सभा में देवनागिरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसके साथ ही देश की सभी मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं को भी राजभाषाओं के रूप में अंगीकार कर देश की भावनाओं को वाणी प्रदान की थी। हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है और विश्व की समृद्ध भाषाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में तो इसका और भी अधिक महत्व है क्योंकि बैंकिंग एक सेवा उद्योग है और आम जनता और ग्राहकों तक पहुँचने के लिए हिंदी ही एक सशक्त माध्यम है। यहां मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारे बैंक ने सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संदर्भ में बहुत अच्छा काम किया है, जिसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने सराहा है। जहां हमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी भाषिक क्षेत्रों में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्रदान किए हैं, वहीं भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच हमें निरंतर दूसरे वर्ष इंदिरा गांधी पुरस्कार योजना में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है। अत: मैं आप सबसे भी अपील करूंगा कि अपने-अपने कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के संवैधानिक दायित्वों को पूरा कराने हेतु प्रभावी कदम उठाएँ।

कोलकाता (उपक्रम)

कोलकाता (उपक्रम) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक व पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 16 सितंबर, 2005 को "होटल द ताज बंगाल" में संपन्न हुआ। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव श्री देवदास छोटराय, भा.प्र. सेवा इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उक्त बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष व स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के कार्यपालक निदेशक प्रभारी-रॉ मेटेरियल्स डिवीजन-श्री बी.एन. सिंह ने की। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, पूर्व क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के उपनिदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना श्री श्यामलाल सिंह पूर्ति ने कोलकाता स्थित सार्वजनिक उपक्रमों के सदस्य कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की।

समारोह के मुख्य अतिथि श्री देवदास छोटराय, सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि संघ की तरफ से जारी निर्देशों के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। हिंदी भाषा के विकास के लिए उन्होंने अष्टम् अनुसूची के उल्लिखित भारतीय भाषाओं को आत्मसात करते हुए जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करने की बात कही।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए-कार्यपालक निदेशक प्रभारी, आर.एम.डी., श्री बी.एन. सिंह ने अपने संबोधन के माध्यम से समिति के सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए सब के प्रति आभार व्यक्त किया। अध्यक्षीय भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि राजभाषा के रूप में हिंदी कठिन नहीं है, इसे प्रेरणा व प्रोत्साहन के साथ लागू किया जाना है। उन्होंने यह भी कहा कि राजभाषा हिंदी को सरल बनाया जाए, जिससे कि यह संपर्क भाषा एवं जनभाषा के रूप में सर्वव्यापी बन सके।

हैदराबाद-सिकंदराबाद

दिनांक 14 जून, 2005 को सुबह 1100 बजे सिल्वर जुबली ऑडिटोरियम, क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, भारत संचार निगम लिमिटेड, गच्ची बौली, हैदराबाद में संपन्न हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उ) की 21वीं अर्ध वार्षिक बैठक में केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों संगठन प्रमुख/ अध्यक्ष एवं हिंदी कार्यान्वयन से संबद्ध कार्यपालकगण उपस्थित हुए। श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल तथा अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) ने बैठक की अध्यक्षता की। अपने उद्घाटन भाषण में अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी की सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए और राजभाषा हिंदी के विकास एवं प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य अधिशासी एवं अधिकारीगण विशेष रुचि

लें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सामूहिक प्रयासों द्वारा ही हम सभी चुनौतियों का सामना करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सभी समय की मांग को दृष्टि में रखते हुए अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग एवं विकास में गति प्रदान करें। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति हुई है पर सरकार द्वारा निर्धारित शत-प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त करना अभी शेष है। सरकारी कार्यालयों में कुछ कार्य हिंदी में हो रहा है पर अभी भी बहुत सारा काम अंग्रेजी में ही निपटाया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित होने के नाते हमारा संवैधानिक दायित्व होता है कि हमें हिंदी का ज्ञान हो और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग, प्रगति, विस्तार, समृद्धि और विकास सुनिश्चित करें।

श्री विश्वनाथ झा, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूर ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नराकास (उ), हैदराबाद-सिकंदराबाद, श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में अच्छी तरह से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह समिति का सौभाग्य है कि एक होनहार एवं अति विशिष्ट वैज्ञानिक की अध्यक्षता तथा मार्गदर्शन में सही दिशा में यह समिति अपना कार्य कर रही है। उन्होंने सभी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया कि अभी भी कई कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत कार्यान्वयन कार्यालय एवं समिति के मुख्यालय को ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी सदस्य कार्यालयों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे अपने-अपने कार्यालय से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट, प्रशासनिक मंत्रालय, राजभाषा विभाग एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) के कार्यालय को नियमित रूप से समय पर पहुँचाएं। ■

(पृष्ठ 37 का शेष)

दौरान श्री सुधीर कुमार चतुर्वेदी, निदेशक (कार्मिक) महोदय की अध्यक्षता में 12-09-2005 को आयोजित की गई।

बैठक में प्रबंधक (राजभाषा) द्वारा एनएचपीसी में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया साथ ही एनएचपीसी द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों के विषय में भी बताया गया।

इस विशिष्ट अवसर पर निदेशक (कार्मिक) महोदय ने एनएचपीसी में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि हिंदी दिवस/पखवाड़े के दौरान इस बैठक का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, इसलिए हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हिंदी पत्राचार को और अधिक बढ़ाना है। यह हमारा अपना काम है। हमारे राष्ट्र का काम है। अध्यक्ष महोदय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में अधिनियम, नियमों व मार्गदर्शी निदेशों का समुचित अनुपालन करना हम सबका संवैधानिक उत्तरदायित्व है। अंत में अध्यक्ष महोदय ने निगम को नगर राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए द्वितीय पुरस्कार स्वरूप शील्ड व प्रशस्ति पत्र मिलने पर बधाई दी और इंदिरा गांधी शील्ड प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।

(ग) कार्यशालाएं

भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

दिनांक 20 एवं 21 सितंबर, 2005 को संयंत्र के अतिथि गृह के सभागृह में दो पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एम. एस. एन. शास्त्री, उप महाप्रबंधक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री वी. वी. एस. रामा राव, प्रशासनिक अधिकारी श्री एम. एस. रसूल एवं सभी प्रतिभागियों का स्वागत श्री मनोज कुमार शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा किया गया ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि कार्यशालाएं जिस उद्देश्य को लेकर आयोजित की जा रही हैं, वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए अर्थात् कार्यालयों में प्रशिक्षण लेने के उपरांत सभी कर्मचारियों को अपने-अपने अनुभाग में हिंदी में थोड़ा-थोड़ा काम शुरू करना चाहिए। कार्यशाला में केवल भाग लेने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है उसे क्रियान्वित भी करना है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं मुख्य महाप्रबंधक श्री शास्त्रीजी ने कहा कि इस 'ग' क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हालांकि हम राजभाषा नियमानुसार कार्यशालाओं का आयोजन, पत्रिका प्रकाशन, बैठकों का आयोजन, प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रम कर रहे हैं फिर भी कहीं न कहीं कुछ कमी जरूर है जिसे आप लोगों के सहयोग से ही दूर किया जाना है। अत: आप सभी लोग आगे आएं एवं अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग जरूर करें। दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला में हिंदी व्याकरण, संविधान में हिंदी, राजभाषा नियम 1976, अनुवाद तथा चार नए विषयों को इसमें शामिल किया गया, जिनके व्याख्यान हिंदी में दिये गए। विकिरण एवं मानव दो व्याख्यान श्री मनोज कुमार शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), श्री वी. अरुणाचलम, जन संपर्क सहायक द्वारा दिए गए। ज्ञान प्रबंधन विषय पर मुख्य महाप्रबंधक श्री एम. एस. एन. शास्त्रीजी ने व्याख्यान दिया। सूचना का अधिकार 2005 पर एक संक्षिप्त जानकारी श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा दी गई। सफल प्रबंधन का महत्व विषय पर भी एक व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यशाला में कुल 21 प्रतिभागी उपस्थित थे। इस बार संयंत्र में आयोजित की जाने वाला कार्यशाला में तूतीकोरिन नगर स्थित नराकास के सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें तटरक्षक अवस्थान, केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड से कुल 7 औद्योगिक एवं संयंत्र के 14 कार्मिक उपस्थित थे। यह पहला अवसर है जब टॉलिक सदस्य-कार्यालयों से भी कार्मिकों को नामांकित किया गया। दो दिवसीय कार्यशाला में दिए गए व्याख्यानों के आधार पर एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया एवं प्रतिभागियों को मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। मुख्य महाप्रबंधक एवं नराकास अध्यक्ष श्री शास्त्री ने समापन समारोह में कहा कि कार्यशाला आयोजित करने का हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए एवं जो कार्य अभी तक नहीं हो रहा है या विलंब से हो रहा है उसमें तेजी लाने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने कहा कि टॉलिक सदस्य-कार्यालयों जहां कार्यशाला किन्हीं कारणोंवश आयोजित नहीं की जा सकती है उन्हें भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। श्री मनोज शर्मा ने अन्य कार्यालयों से पधारे प्रतिभागियों से यह निवेदन किया कि वे भी अपने कार्यालयों में विकिरण के बारे में प्रचलित भ्रांतियों एवं जनधारणाओं के बारे में जागरूक करें एवं व्याख्यान आयोजित करें। तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा। अंत में सभी का धन्यवाद देते हुए कार्यशाला संपन्न हुई।

दूरदर्शन केंद्र : लखनऊ

केंद्र के कार्यक्रम व समाचार प्रभागों से संबद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उद्घोषिकाओं तथा हिंदी समाचार और उर्दू 'खबरें' के वाचकों के लिए 19 अक्टूबर, 2005 को केंद्र के सभाकक्ष में दोपहर बाद एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी संपूर्ण परिकल्पना दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के निदेशक डॉ. अशोक त्रिपाठी ने तैयार की थी।

सुप्रसिद्ध विद्वान एवं भाषाविद् डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित ने प्रसारण योग्य भाषा के संदर्भ में हिंदी की सही वर्तनी और शुद्ध उच्चारण के विविध अनुषंगी पक्षों पर अपने ओजपूर्ण विचार प्रस्तुत किए।

261 HA/06—12A

हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप में एकरूपता लाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की चर्चा करते हुए डॉ. दीक्षित ने कहा कि दूरदर्शन जैसे लोक प्रसारण संस्थान के लिए ऐसे उपकरणों की विभागीय प्रयोगशाला उपलब्ध होनी चाहिए जिनके माध्यम से प्रसारण कर्मी—चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी भौगोलिक परिस्थितियों में रहे हों या अन्य कारणों से उन्हें सही-सटीक उच्चारण करने में कठिनाई होती हो—खड़ी बोली की हिंदी का मानक उच्चारण सीख समझ कर प्रयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से हिंदी भाषियों में भी चले आ रहे उच्चारण गत दोषों को दूर किया जा सकता है। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा तैयार किये गये उच्चारण कोश एवं कैसेट्स/सीडीज की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रसारण कार्य में ये बहुत उपयोगी साबित होंगे।

इस कार्यशाला में प्रसारण कर्मियों को हिंदी के शुद्ध उच्चारण और सही वर्तनी का अभ्यास कराया गया। दूरदर्शन केंद्र, लखनऊ के हिंदी अधिकारी सिद्धनाथ गुप्त ने इस कार्यशाला का संचालन किया। कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों को डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित ने प्रमाण-पत्र प्रदान किये।

भारत मौसम विज्ञान विभाग
मौसम विज्ञान महानिदेशालय का कार्यालय
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

मुख्यालय में दिनांक 2-5-2005 से 6-5-2005 तक एक पांच दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के 16 कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन कार्यकारी महानिदेशक महोदय श्री बी. लाल ने किया।

हिंदी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए ज्येष्ठ हिंदी अधिकारी श्री ए.बी. लाल ने सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत करते हुए विभाग में हिंदी कार्यशाला के उद्देश्य एवं उसकी रूपरेखा की जानकारी दी। इस कार्यशाला के दौरान हिंदी में टिप्पण, प्रारूप लेखन के अभ्यास के अलावा पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी वर्तनी, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद के संबंध में व्याख्यान दिए गए।

दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 14-9-05 से 23-9-05 तक आयोजित हिंदी सप्ताह पखवाड़े के संदर्भ में दिनांक 14-9-05 तथा दिनांक 15-9-05 को मध्यान्ह 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रशासन एवं लेखा अनुभाग के 18 कर्मचारियों ने भाग लिया।

दिनांक 14-9-05 को मध्यान्ह 3.00 बजे आयोजित कार्यशाला के वक्ता श्री नवीन कुमार प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद थे, उनका विषय था 'हिंदी के प्रयोग में, आने वाली कठिनाइयां।' उन्होंने हिंदी भाषा के स्वर एवं व्यंजन के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को बताया तथा भाषा लिंग के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों एवं अनुस्वार आदि के बारे में कर्मचारियों को समझाया और कुछ वाक्यों को कर्मचारियों द्वारा करवाया।

दिनांक 15-9-2005 को मध्यान्ह 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक कार्यशाला रखी गई। इस दिन की वक्ता श्रीमती सुरभी, प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद थीं। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित कर्मचारियों को दैनिक प्रयोग में आने वाले पत्राचार, कार्यालय आदेश तथा टिप्पण आलेखन आदि के बारे में तथा हिंदी प्रशासनिक शब्दों का अभ्यास करवाया।

नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., लोकताक पावर स्टेशन, कोमकैराप, मणिपुर-795124

वार्षिक कार्यक्रम 2005-2006 की अनुपालना में श्री संतोष बरला, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, हिंदी अनुभाग के नेतृत्व में लोकताक पावर स्टेशन के प्रशिक्षण कक्ष में दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 29-9-2005 से 30-9-2005 तक किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों से 15 कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का शुभारंभ लोकताक पावर स्टेशन के माननीय मुख्य अभियंता व राजभाषा कार्यान्वयन समिति के

261 HA/06—12B

अध्यक्ष श्री एम. लालमणि सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी में काम करना सरल है और राजभाषा के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करना अत्यावश्यक है। वर्ष 2004 में इसी प्रयास के कारण लोकताक पावर स्टेशन को 'ग' क्षेत्र के लिए निगम कार्यालय द्वारा द्वितीय पुरस्कार मिला है और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इंफाल द्वारा भी वर्ष 2004 के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला है। अत: हम इस दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षित होकर अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में और प्रगति करें।

अपने उद्घोषणा में श्री के.एस.एच. जय कुमार, उप प्रबंधक (प्रशा.) ने सभी उपस्थित कर्मचारियों को हिंदी सीखने और हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है और हम सभी से दो दिन में बहुत कुछ हिंदी पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं।

इस कार्यशाला में श्री मुकेश कुमार, अध्यापक (हिंदी), केंद्रीय विद्यालय, लोकताक ने प्रतिभागियों को हिंदी व्याकरण से संबंधित स्वर और व्यंजन अक्षरों को जोड़कर विशेष रूप से उच्चारण करने, बोलने, लिखने और पढ़ने का अभ्यास कराया।

सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षक की सराहना करते हुए इस प्रकार की हिंदी कार्यशाला आयोजित किए जाने की प्रशंसा की। अंत में हिंदी विभाग द्वारा सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला के सफल आयोजन में सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
5, सीरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली-110016

संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी अपना कामकाज हिंदी में सरलता से कर सकें, इसमें उन्हें सहायता देने के लिए समय-समय पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में संस्थान के संकाय और स्टाफ सदस्यों के लिए 12-9-2005 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला संस्थान में 1 से 15 सितंबर, 2005 तक आयोजित हिंदी पखवाड़े की एक गतिविधि के रूप में आयोजित की गई।

इस कार्यशाला का उद्देश्य संस्थान के संकाय और स्टाफ सदस्यों को राजभाषा नियमों की जानकारी देना और तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र भरने का अभ्यास कराना था।

कार्यशाला के विषय को भाषण एवं अभ्यास पद्धति द्वारा प्रतिपादित किया गया। सहभागियों को राजभाषा निर्देशों से संबंधित सामग्री दी गई। उन्हें तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र भरने और हिंदी में नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग करने का अभ्यास कराया गया। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई और उनकी कठिनाइयों का समाधान किया गया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री पवित्र कुमार बरूआ, उप निदेशक (प्रशासन) ने किया। उन्होंने आशा प्रकट की कि कार्यशाला सहभागियों के लिए उपयोगी रहेगी तथा इससे संस्थान में हिंदी के कार्य को बढ़ावा मिलेगा।

सहभागियों ने कार्यशाला की अवधि तथा प्रशिक्षण पद्धति को उपयुक्त माना और उल्लेख किया कि कार्यशाला से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल वे अपने कामकाज में व्यावहारिक रूप से करेंगे।

इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
जनपथ शाखा, आईडीबीआई हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर-751022 (ओडिशा)

आईडीबीआई भुवनेश्वर में एक 06-सत्रीय 03-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन बैंक के महाप्रबंधक तथा 'राकास' के अध्यक्ष श्री अनिल रतनपाल ने किया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी के प्रयोग पर बल देते हुए हिंदी को मन से अपनाने की सलाह दी। उन्होंने प्रतिभागियों को उद्बोधित करते हुए आगे कहा कि इच्छुक सदस्यों को कार्यशाला में भाग लेने से रोका न जाए।

कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि व प्रथम सत्र के अतिथि वक्ता डा. जी. एम. खान, अध्यक्ष हिंदी विभाग रमादेवी कॉलेज, भुवनेश्वर ने हिंदी के क्रम में हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी तथा नैतिक कर्तव्य को याद करते हुए कार्यालय में हिंदी के प्रयोग पर बल दिया और ऐतिहासिक सच्चाई को रखते हुए यह कहा कि मुगलकाल में अकबर के समय में टोडरमल द्वारा वित्त का सारा रिकार्ड हिंदी में रखा जाता था। उन्होंने कामकाजी हिंदी और

(शेष पृष्ठ 66 पर)

(घ) हिंदी दिवस

संसदीय कार्य मंत्रालय, 92, संसद भवन, नई दिल्ली

संसदीय कार्य मंत्रालय में 2 सितंबर से 16 सितंबर 2005 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसका उद्घाटन संयुक्त सचिव महोदय द्वारा किया गया। मंत्रालय में 16 सितंबर, 2005 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के दौरान सचिव महोदय द्वारा विजेता कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण किया गया तथा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने का संकल्प कराया गया।

वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग महालेखा नियंत्रक

दिनांक 14 सितंबर से 30 सितंबर, 2005 तक 'हिंदी पखवाड़ा' आयोजित किया गया था। इस दौरान कार्यालय में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपना अधिकांश सरकारी कामकाज हिंदी में करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 10-10-2005 को अपर महालेखा नियंत्रक श्री एस. डब्ल्यू. ओक ने हिंदी टिप्पण/आलेखन एवं निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगिओं को सांत्वना पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

इसके साथ ही हिंदी कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को भी प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला तथा भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में कार्यालय के और भी अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों के बढ़-चढ़ कर भाग लेने के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने दिन-प्रतिदिन के काम में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का संकल्प लेना चाहिए।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) असम तथा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) असम

बेलतला, गुवाहाटी दोनों कार्यालयों के संयुक्त प्रयास से दिनांक 1 सितंबर से 14 सितंबर, 2005 तक विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संयुक्त हिंदी पखवाड़ा 2005 का आयोजन किया गया। अपने संक्षिप्त एवं सारगर्भित उद्घाटन भाषण में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महोदय ने कहा कि हर वर्ष हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़े का आयोजन दिनों दिन यांत्रिक एवं महज परंपरा का निर्वाह मात्र होता जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम हिंदी प्रेम के इस जज्बे को व्यावहारिक रूप से अपने कार्य क्षेत्र में लाएं तथा अपना सरकारी कामकाज यथा संभव हिंदी में करने का प्रयास करें।

महालेखाकार (लेखा व हक.) श्री भाजन सिंह ने समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राजभाषा हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम नियमों का पालन करते हुए अपना अधिक से अधिक काम राजभाषा हिंदी में करने का प्रयत्न करें।

उक्त पखवाड़े के दौरान कार्यालय में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं लोगों के मन में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से हिंदी निबंध लेखन, अनुवाद, आशुभाषण, वाद-विवाद, अंताक्षरी जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें कार्यालय के कई अधिकारी/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रतियोगिताओं के समापन समारोह के दिन नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया। स्टाफ के बच्चों को पुरस्कार स्वरूप उनके उपयोगी उपहार तथा प्रमाण-पत्र दिए गए।

बैंक नोट मुद्रणालय, देवास (म. प्र.)

नगर के केंद्रीय कार्यालयों, बैंक एवं बीमा समूह तथा केंद्र सरकार के उपक्रमों में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में संयुक्त हिंदी सप्ताह 2005 का गरिमामय आयोजन हुआ

जिसमें सदस्य कार्यालयों की महिलाकर्मियों सहित अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। हिंदी पखवाड़े के समापन पर आयोजित गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि श्री अरविंद सिंह, आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क इंदौर ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। वी एन पी के उप महाप्रबंधक तथा विभागाध्यक्ष श्री सुमित सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में नराकास देवास की वार्षिक पत्रिका गांधर्व के 10वें अंक का विमोचन भी किया गया। मुख्य अतिथि श्री सिंह ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि "यह विडंबना है कि हमें भारत में रहते हुए अपनी ही राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। यह इंसान की फितरत है कि अपनी बोलचाल की भाषा में ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपने भावों की अभिव्यक्ति कर पाता है। हिंदी हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तथा सबसे ज्यादा समझी जाने वाली भाषा है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम इसे सरल सुबोध और ग्राह्य बनाएं।"

इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में नराकास अध्यक्ष श्री सुमित सिन्हा ने इस आकर्षक समापन समारोह के लिए हिंदी पखवाड़ा आयोजन उप समिति को बधाई देते हुए कहा कि समिति के सभी सदस्यों ने अपने प्रयासों को सार्थक रूप प्रदान कर, इस आयोजन को सफल और गरिमामय बनाया है। इन प्रतियोगिताओं से पता चलता है कि हमारे सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की राजभाषा हिंदी के प्रति कितनी निष्ठा है, उनकी साहित्यिक प्रतिभा निश्चित ही प्रशंसनीय है। इन प्रतियोगिताओं में जिस उत्साह से प्रतियोगियों ने हिस्सा लेकर पुरस्कार प्राप्त किए हैं उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं, इसके साथ ही सारे प्रतियोगी भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि उनकी भागीदारी से ही हिंदी पखवाड़े को भव्यता और सफलता मिली है।

लघु उद्‌योग सेवा संस्थान, तृश्शूर

हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिए जाने की स्मृति में इस वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 14 सितंबर से लेकर दो सप्ताह की अवधि तक राजभाषा हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति की दृष्टि से हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताएँ, कार्यशाला, संगोष्ठी इत्यादि का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारी/कर्मचारीगण ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

समापन समारोह में दिनांक 30-9-05 को अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में संस्थान के निदेशक महोदय श्री लैंबर्ट जोसफ़ ने दैनिक सरकारी कार्य में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर ज़ोर दिया तथा हिंदी में कुछ चुटकुले सुनाकर वातावरण को हल्का बनाया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तृश्शूर के उपनिदेशक श्री टी वी जयशंकरन, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने सदस्यों को संबोधित करते हुए, विचारों के आदान-प्रदान व भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भाषा की अहम् भूमिका पर प्रकाश डाला। स्वर्गीय मलयालम कवि श्री जी शंकराकुरूप्प की उक्तियों को उन्होंने दोहराया। राजभाषा के रूप में हिंदी की महत्ता पर उन्होंने अपने अहम विचार प्रकट किए।

अपने संक्षिप्त संबोधन के पश्चात्, मुख्य अतिथि महोदय ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अपने कर कमलों से पुरस्कृत कर गौरवान्वित किया।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड

दिनांक 14-9-05 से 28-9-05 तक हिंदी पखवाड़ा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में सभी स्तर के कर्मचारियों एवं कामगारों ने भाग लिया और मुद्रणालय में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल वातावरण बना और अधिकांश कर्मचारी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित हुए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रकाश नारायण महाप्रबंधक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय ने की। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा हिंदी पखवाड़ा समारोह समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

भारी पानी संयंत्र, तालचेर

हिंदी दिवस का उद्‌घाटन समारोह दिनाँक 14-9-2005 को प्रातः 10:00 बजे तथा पुरस्कार वितरण समारोह दिनाँक 24-9-2005 को सायं 16:00 बजे आयोजित किया गया। दोनों समारोहों के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक श्री पी. आर. महांति ने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों

261 HA/06—13

को अपने सरकारी कामकाज में यथासंभव हिंदी का प्रयोग करने का तथा राजभाषा हिंदी को उनका यथोचित स्थान दिलाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी बताया कि अपने विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जा रहा है, जिससे आम जनता-तक विभाग की गतिविधियों तथा उनके द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों के बारे में जानकारी पहुँच सके। इस अवसर पर उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग की राजभाषा शील्ड प्राप्त करने पर भारी पानी बोर्ड, मुंबई की सराहना की तथा पिछले एक वर्ष में संयंत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार में हुई बढ़ोतरी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यदि हम इसी तरह कार्य करते रहेंगे तो हम भारी पानी बोर्ड की राजभाषा शील्ड भी प्राप्त कर सकते हैं।

फिल्म प्रभाग, सूचना भवन, सी. जी. ओ. कांपलैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली—110003

28 सितंबर, 2005 को फिल्म प्रभाग नई दिल्ली में आयोजित दिनांक 14 सितंबर से 28 सितंबर, 05 तक के हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह के अध्यक्ष श्री पी. के. साहा जो स्वयं हिंदीतर क्षेत्र से आते हैं, अपने ओजपूर्ण भाषण में राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक सरकारी कार्य करने के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। श्री साहा ने कहा कि राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में काफी कार्य हुआ है तथा इसमें काफी सफलता भी मिली है। जिस क्षेत्र के लोग पहले हिंदी का विरोध कर रहे थे उन्होंने अब हिंदी सीखना आरंभ कर दिया है और हिंदी का प्रचार भी करने लगे हैं। इस दिशा में और बहुत कुछ किया जाना है, जो कि कठिन परिश्रम से ही संभव है, क्योंकि यह पथ बहुत लंबा है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म प्रभाग अपनी अधिकांश फिल्मों का निर्माण मूल रूप में हिंदी में करता है, तदोपरांत आवश्यकतानुसार अन्य भारतीय भाषाओं में उसकी डबिंग करता है।

मुख्यालय, मुख्य अभियंता, सेवक परियोजना द्वारा 99 सेना डाकघर

01 सितंबर से 14 सितंबर 2005 तक हिंदी दिवस/पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला, हिंदी तथा हिंदीतर भाषी (अन्य भाषा-भाषी) कर्मचारियों के लिए हिंदी से संबंधित हिंदी निबंध, हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग, हिंदी टंकण, हिंदी में अधिक काम तथा हिंदी भाषण प्रतियोगिताओं का अलग-अलग आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के दोनों ग्रुप में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा सांत्वना पुरस्कार के पात्र प्रतियोगियों को समापन समारोह के दौरान 14 सितंबर 2005 को ब्रिगेडियर एस नरसिम्हन, मुख्य अभियंता, सेवक परियोजना ने नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य अभियंता महोदय ने कहा कि " हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने का उद्देश्य हिंदी में काम को बढ़ाना है। हिंदी में सरकारी काम करने की लगन को पूरे साल बनाए रखें तभी इस प्रकार के आयोजनों को सफल माना जा सकेगा।"

पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, जयपुर

14 सितंबर, 2005 को हिंदी दिवस के उपलक्ष में हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता और हिंदी श्रुति लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

हिंदी दिवस के उपलक्ष में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यालय के प्रभारी ने संगोष्ठी की अध्यक्षता तथा मुख्य अतिथि श्री बी.एल. नवल, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल थे। श्री अनुराग वाजपेयी, संवाददाता, आकाशवाणी जयपुर तथा श्री जितेंद्र कुमार जयंत, जन संपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे को विशिष्ट अतिथि एवं प्रतियोगिताओं के निर्णायकों के रूप में आमंत्रित किया गया था।

संगोष्ठी में वक्ताओं ने राजभाषा हिंदी के अब तक के विकास सरकारी कार्यालयों में इसे और प्रोत्साहन दिए जाने पर विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं का मानना था कि उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से ही राजभाषा हिंदी को उसका उचित स्थान मिल सकता है।

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन

भारी पानी संयंत्र में दिनांक 14 सितंबर 2005 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के अतिथि श्री एम.एस.एन. शास्त्री मुख्य महाप्रबंधक एवं

अध्यक्ष—नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तूतीकोरिन थे, कार्यक्रमों की अध्यक्षता श्री वी.वी.एस. रामाराव उपमहाप्रबंधक एवं अध्यक्ष-राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने की।

समारोह में मुख्य अतिथि श्री शास्त्री ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिंदी दिवस हर वर्ष एक नई शुरूआत लेकर आता है। अत: यहाँ उपस्थित सभी कार्मिक, जो लेखा एवं प्रशासन अनुभागों से जुड़े हैं व उन्हीं के अनुभागों का अधिकतम कार्य राजभाषा में हो सकता है। इसलिए उनको थोड़ा-थोड़ा कार्य अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी करना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समय लगेगा लेकिन हिंदी कामकाज में प्रगति ज़रूर होगी।

इस अवसर पर राभाकास के अध्यक्ष श्री रामाराव ने कहा कि हालांकि हम हिंदी का प्रगामी प्रयोग संबंधी लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं फिर भी हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि इस हेतु सभी को सामूहिक प्रयत्न करना होगा।

राजभाषा प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को पुरस्कार वितरण श्री एम.एस.एन. शास्त्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारी पानी संयंत्र की इस वर्ष 2005 में प्रकाशित गृह पत्रिका **मुक्तक धारा** का लोकार्पण भी मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस बार पत्रिका में वैज्ञानिक लेखों का समावेश किया गया है जो सराहनीय है एवं मुझे आशा है कि भविष्य में भी पत्रिका का यही स्तर बना रहेगा। कार्यक्रम का संचालन श्री मनोज कुमार शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने किया एवं श्रीमती विद्याश्री ने आभार व्यक्त किया।

मुख्यालय कश्मीर सीमांत सीमा सुरक्षा बल श्रीनगर

15 सितंबर, 2005 को फ्रंटियर हेडक्वार्टर, सीमा सुरक्षा बल श्रीनगर में हिंदी दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में सभी सैक्टर मुख्यालयों के उप महानिरीक्षक और बटालियनों के कमांडेन्ट, अधीनस्थ अधिकारी व कार्मिक भी उपस्थित हुए। श्री जी एस शेखावत, उप महानिरीक्षक/प्रधान स्टाफ अधिकारी महोदय ने इस अवसर पर इस मुख्यालय में हिंदी में किए गए कार्यों व हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। श्री जे बी नेगी, भापुसे, महानिरीक्षक महोदय ने हिंदी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र वितरित किए।

सैक्टर मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, विद्रोहरोधी संक्रिया—द्वितीय वर्ष 2004-2005 में हिंदी का कार्य करने में प्रथम स्थान पर रहे। श्री विरेंद्र भापुसे, उप महानिरीक्षक को श्री जे बी नेगी, भापुसे, महानिरीक्षक महोदय ने "सीमा सुरक्षा बल राजभाषा शील्ड 2004-2005" प्रदान कर सम्मानित किया।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल महानिदेशालय, नई दिल्ली

भा. ति. सी. पुलिस महानिदेशालय द्वारा 01 से 15 सितंबर, 2005 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ पर, भा. ति. सी. पुलिस बल के महानिदेशक श्री स.कु. केन, भा. पु. से. की ओर से बल के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अपील जारी की गई, जिसमें उन्होंने भा. ति. सी. पुलिस बल के सभी सदस्यों को बधाई दी और बल के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से राजभाषा नीति का गंभीरता से पालन करते हुए उसके कार्यान्वयन में समर्पित भावना से कार्य करने की अपील की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अधिकारी स्वयं हिंदी में अधिकाधिक कार्य करके अपने अधीनस्थों को भी प्रेरित करेंगे और दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगे।

राजभाषा हिंदी में सरकारी काम-काज को प्रोत्साहित करने एवं इसके प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों में रुचि पैदा करने के लिए हिंदी पखवाड़े के दौरान राजभाषा हिंदी संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

हिंदी पखवाड़े का "पुरस्कार वितरण समारोह" "हिंदी दिवस" के दिन अर्थात्, 14 सितंबर को आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री स.कु. केन, भा.पु.से., महानिदेशक, भा. ति. सी. पुलिस बल ने "हिंदी दिवस" के अवसर पर माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वी. पाटील द्वारा जारी संदेश को पढ़कर सुनाया। पुरस्कृत कर्मियों द्वारा हिंदी दिवस एवं राजभाषा हिंदी के संबंध में कविताओं का पाठ किया गया। तत्पश्चात् उन्होंने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार, प्रमाणपत्र तथा सहायक साहित्य भेंट किया। इसके अलावा, हिंदी में नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए लागू प्रोत्साहन योजनाओं के विजेताओं को भी प्रमाणपत्र एवं सहायक साहित्य वितरित किया गया। इसके साथ-साथ उन्होंने भा. ति. सी.

पुलिस निदेशालय के अनुभागों/शाखाओं में सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना पैदा करने के लिए लागू ''विभागीय राजभाषा चलशील्ड प्रतियोगिता'' के तहत बड़े अनुभागों में ''अभियांत्रिकी अनुभाग'' और छोटे अनुभागों में ''दूरसंचार शाखा'' के प्रभारी अधिकारियों को भी संबंधित अनुभागों द्वारा वर्ष भर में सरकारी काम-काज में हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए ''विभागीय राजभाषा चलशील्ड'' तथा प्रमाणपत्र दिए।

पंजाब एवं चंडीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केंद्र— भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सेक्टर-32-ए, चंडीगढ़-160030

ब्रिगेडियर चंदरजीत सिंह बेवली, निदेशक, पंजाब एवं चंडीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 21-09-2005 को अपने कार्यालय परिसर में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इससे पूर्व दिनांक 5-09-2005 से 16-09-2005 तक हिंदी पखवाड़ा भी मनाया गया, जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अधिकाधिक कार्य हिंदी में किया। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। ब्रिगेडियर चंदरजीत सिंह बेवली ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हम सब भारतीय नागरिक और सरकारी सेवक होने के नाते राजभाषा के प्रचार व प्रसार के लिए कृत संकल्प हैं। देश की अन्य राज्य भाषाएं भी दिन-प्रतिदिन फलफूल रही हैं, यही हमारे राष्ट्र की विशेष पहचान है जहाँ विभिन्न बोलियां, भाषाएं और रीति रिवाज हमें अनेकता में भी एकता का एहसास देते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटूट धैर्य और कड़ी मेहनत अनिवार्य है और कार्य पूरा करने का आत्मविश्वास व्यक्ति की जीत सुनिश्चित कर देता है अत: हमें अपनी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी को संसार के कोने-कोने में फैलाना है, ताकि हमारा भारत देश विश्व के मानचित्र में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सके।

क्षेत्रीय आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि क्षेत्र-2, रांची-834001

दिनांक 01 से 15 सितंबर, 2005 तक हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। इस दौरान कार्यालय के अधिकतर कार्य राजभाषा हिंदी में ही संपन्न किए गए। कर्मचारियों में उत्साह, प्रोत्साहन के लिए पखवाड़ा के दौरान टिप्पण आलेखन, निबंध, अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तरी, हिंदी टंकण, वाद-विवाद एवं कविता पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और समापन समारोह के दौरान विजेताओं के बीच पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र बांटे गए। समापन समारोह में हिंदी पखवाड़ा के उद्देश्य एवं प्रासंगिकता पर कार्यालय के वरीय अनुवादक श्री राजेश कुमार सिन्हा ने प्रकाश डाला। समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने उद्गार में श्री अशोक प्रियदर्शी, पूर्व प्राध्यापक, हिंदी विभाग, रांची विश्वविद्यालय ने कहा कि हमारी मातृभाषा का दर्जा माता के समान है जिसका सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार हम अपनी स्वतंत्रता/स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाते हैं, संकल्पित होते हैं उसी प्रकार 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया इसलिए हमें उस दिन खुशी मनाना चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान जगाना होगा, कुंठा से मुक्त होने की जरूरत है।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्री पी० के० चौधरी, क्षेत्रीय आयुक्त ने कहा कि जब विदेशी लोग हमारी भाषा सीख रहे हैं तो हमें अपनी मातृभाषा में कार्यालय में कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश, 7, रेस कोर्स रोड, इंदौर (म.प्र.)

सितंबर माह को राजभाषा मास के रूप में मनाया गया। राजभाषा मास का समापन समारोह कार्यक्रम दिनांक 07 अक्तूबर, 2005 को जाल सभागृह इंदौर में आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथि डॉ एन पी जैन ने अपने संबोधन में कहा कि हम हिंदी भाषी होने पर गर्व महसूस करें। सही हिंदी का प्रयोग करें और गौरवान्वित हों। अपनी राजभाषा व राष्ट्रभाषा का सम्मान करें और कार्यालय का अधिकतर काम हिंदी में करें। डॉ. जैन ने प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू व पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से विश्व में हिंदी प्रयोग से जुड़े प्रसंगों पर प्रकाश डाला। भारत के राजदूत होने के दौरान उन्होंने विदेशों में जो हिंदी की प्रगति देखी उससे उन्होंने कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया तथा राष्ट्रीय एकता हेतु हिंदी प्रयोग पर बल दिया।

कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्री राजशेखर हेगड़े ने मास के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से प्रभावशाली वातावरण तैयार करने के लिए प्रयासों की जानकारी दी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा

हिंदी माह 2005 का आयोजन किया गया। हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने व कार्यालय में हिंदी में अधिकाधिक कार्य संपन्न करने व हिंदीमय वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे विचार प्रतियोगिता, टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता (हिंदी एवं अहिंदी भाषियों के लिए अलग-अलग), निबंध प्रतियोगिता एवं अंतर-अनुभागीय शील्ड प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई।

इनके अलावा, कार्यालय में गायन प्रतियोगिता, पाँच दिवसीय हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं तीन दिवसीय (अर्ध दिवस) हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। 14 सितंबर हिंदी दिवस को विचार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 30 सितंबर, 2005 को हिंदी माह समापन समारोह का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि श्री रोहिताश्व शर्मा, डीन फैकल्टी आफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, गोवा विश्वविद्यालय ने विभिन्न विजेताओं, प्रशिक्षुओं एवं प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। श्री रोहिताश्व शर्मा ने कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'गोमंत निधि' अंक-2 वर्ष 2004-2005 का विमोचन किया। उन्होंने हिंदी के विकासक्रम पर प्रकाश डाला एवं हिंदी को परिवारों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया

आकाशवाणी, नजीबाबाद

दिनांक 14-9-05 तक परंपरागत हर्षोल्लास के साथ हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। दिनांक 14-9-05 को हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय साहू जैन डिग्री महाविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रवक्ता, डॉ० शुभा माहेश्वरी ने कहा कि हमने हिंदी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का भरसक प्रयत्न नहीं किया। यही कारण है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी को उचित सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ठोस प्रयास किए गए हैं, किंतु हमें मानसिक रूप से हिंदी को अपनाने के लिए कृत संकल्प होना पड़ेगा। समारोह की अध्यक्षता केंद्र के अधीक्षण अभियंता, श्री नरेंद्र मोहन नाथ ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने दैनिक काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाते हुए पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित किया।

दूरदर्शन केंद्र, डिब्रूगढ़ (आसाम)

दिनांक 14-09-05 से 28-09-05 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। सर्वप्रथम 14-09-05 को हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस दौरान ज्यादा से ज्यादा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान केंद्र में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और केंद्र के अनेक कर्मचारियों ने इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

दिनांक 28-09-05 को हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता केंद्र अभियंता श्री रेहान अहमद वारसी ने की। इस समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अध्यक्ष द्वारा पुरस्कृत किया गया। अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी कर्मचारियों को साधुवाद दिया जिन्होंने उत्साहपूर्वक कार्य को सफल बनाने में उनका साथ निभाया।

दूरदर्शन केंद्रः नागपुर

दिनांक 14 से 28 सितंबर 2005 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह के साथ ही केंद्र के निदेशक श्री सतीश साने ने दीप प्रज्वलित कर परंपरागत ढंग से हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया। स्टाफ के सदस्यों को संशोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी के क्रियान्वयन का संकल्प मन में होना चाहिए, फिर इसके उत्तरोत्तर विकास में कोई संदेह नहीं रहेगा। हिंदी के प्रति अपने समर्पण भाव को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में आनेवाली बाधाओं की परवाह न करते हुए, हमें मन से दृढ़ संकल्प करना चाहिए क्योंकि दृढ़ संकल्प से

जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वह सारी बाधाओं को दूर कर देती है।

आकाशवाणी : कोलकाता

आकाशवाणी, कोलकाता तथा उप महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) का क़ार्यालय, आकाशवाणी भवन, कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 13-9-2005 से 28-9-2005 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें उपर्युक्त तीनों कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। दिनांक 13-9-05 को हिंदी पखवाड़ा उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता असीम कुमार रेज, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, कोलकाता ने की।

केंद्राध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी में काम-काज करने के प्रति सभी कर्मचारियों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें अपना सर्वाधिक कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करने का भरसक प्रयास करना चाहिए।

उप महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र) कार्यालय के मुख्य प्रस्तुतकर्ता श्री सुनित चटर्जी ने कहा कि राजभाषा हिंदी को हमें अंत: करण से अपनाना चाहिए। केंद्र निदेशक, वि० प्र० सेवा ने कहा कि यह भाषा एक कड़ी की तरह है एवं सबको मिलाकर रख सकती है। अत: हमें इसे जीवन साथी की तरह अपनाना चाहिए।

आकाशवाणी : भोपाल

दिनांक 14 सितंबर, 2005 से 28 सितंबर, 2005 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें आकाशवाणी भोपाल और विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी भोपाल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इस अवसर पर सुविख्यात साहित्यकार, लेखक, पद्मश्री श्रीमती मेहरूनिसा परवेज मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी का प्रयोग बंद होना चाहिए तभी हिंदी आ पाएगी। आपने आगे कहा कि अंग्रेजी के भय को समाप्त करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर श्री सुधीर सोधिया, केंद्र अभियंता ने कहा कि हमें हिंदी में ही कार्य करने का भरसक प्रयास करना चाहिए जिससे हिंदी को राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का उचित दर्जा प्राप्त हो सके। कर्मचारियों में राजभाषा के प्रति अभिरूचि जागृत करने तथा उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी कार्यक्रम आयोजित किये गए।

आकाशवाणी : ग्वालियर

दिनांक 14 सितंबर 2005 से 28 सितंबर 2005 तक राजभाषा पखवाड़ा अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया गया। केंद्र अभियंता श्री बी.एस. वर्मा ने अधिक से अधिक प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिये केंद्र पर अलग से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये एक सुलेख प्रतियोगिता भी आयोजित की।

दिनांक 28 सितंबर को ही केंद्र पर राजभाषा पखवाड़े का समापन कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस समारोह की मुख्य अतिथि के. आर. जी. स्वशासी कन्या महाविद्यालय ग्वालियर की प्राचार्या डा. मेजर आशा माथुर ने विजेता प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए।

आकाशवाणी : अहमदाबाद

दिनांक 14 सितंबर, 2005 को हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन श्री मनुभाई जानी, उपनिदेशक ने किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। हिंदी भाषा सरल है, सरल हिंदी का प्रयोग करके आसानी से हम अपना कार्य हिंदी में कर सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब हिंदी पखवाड़े में और पूरा वर्ष हिंदी भाषा में अपना सरकारी कामकाज करें। उद्घाटन के पश्चात् हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आरंभ हुई, जिसमें कार्यालय के कई सदस्यों ने उत्साह से हिस्सा लिया।

दिनांक 30 सितंबर, 2005 को हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। विजयी प्रतिभागियों को कार्यालय के केंद्र निदेशक सुश्री आशा शुक्ला, उपनिदेशक (विप्रसे) श्रीमती मृदुला देसाई एवं केंद्र अभियंता श्री दीपक जोशी जैसे उच्च अधिकारियों द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र एवं अन्य प्रतिभागियों को प्रोत्साहन के रूप में स्मृति चिह्न प्रदान किए गए।

आकाशवाणी : इम्फाल

14 से 28 सितंबर तक इस कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़ा के प्रारंभ होने के पूर्व केंद्राध्यक्ष

श्री विजय बहादुर राय, केंद्र अभियंता ने कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करना ही हमारा कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि हिंदी के प्रति सेवा तथा सम्मान प्रदान कर राष्ट्र प्रेम की भावना को सुदृढ़ भी करना है। हिंदी पखवाड़ा के दौरान सभी कार्य हिंदी में करने का संकल्प लेने के लिए भी कहा।

उन्होंने आकाशवाणी महानिदेशक श्री बृजेशवर सिंह द्वारा की गई अपील को पढ़कर सुनाया। महानिदेशक ने सारा सरकारी कामकाज पूरी तरह हिंदी में किए जाने की जरूरत को बताया और कहा कि हर कंप्यूटर में हिंदी में काम करने लायक बनाने के लिए उपर्युक्तम साफ्टवेयर लगाया जाए ताकि हिंदी में टाइप न जानने वाले व्यक्ति भी कुछ न कुछ काम हिंदी में कर लें। इस पखवाड़ा में पाँच, प्रतियोगिताएं रखी गयीं।

आकाशवाणी : नागपुर

दिनांक 14-09-2005 से 29-09-2005 तक हिंदी दिवस/पखवाड़े का आयोजन कार्यालयाध्यक्ष केंद्र निदेशक महोदय श्री. गुणवंत थोरात की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हिंदी पखवाड़े का समापन दिनांक 29-09-2005 प्रातः केंद्र अभियंता महोदय श्री. आर.सी. रायपुरे की अध्यक्षता में किया गया।

इस अवसर पर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदी में कामकाज करना एक राष्ट्रीय भावना है इसके लिए दिन और तिथि या विशेष अवसर देखने की आवश्यकता नहीं है। आकाशवाणी में अधिकतम कार्य हिंदी में किया जाता है जिसके लिये अधिकारी एवम् कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं। इस समापन समारोह में अधिकारी एवम् कर्मचारी उपस्थित थे। सभी प्रतियोगिता में सफल हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रशस्तिपत्र दिए गए।

आकाशवाणी : तृश्शूर

''हिंदी पखवाड़ा समारोह 2005 सितंबर 14 से 28 तक'' यह दर्शानेवाले बैनर समारोह के दौरान केंद्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित किए गए। समारोह के सिलसिले में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

केंद्र अभियंता श्रीमती के० आर० लीलावती ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने भाषण पर हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यालय काम में हिंदी के प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्रीमती ई० टी० लता, हिंदी अध्यापिका, चिन्मय विद्यालय मुख्य अतिथि थी। केंद्र निदेशक श्री एन० राघवन ने आशीर्वाद भाषण दिया। इसके पश्चात् प्रतियोगिताओं के विजेताओं को केंद्र अभियंता और केंद्र निदेशक द्वारा नकद पुरस्कार सम्मानित किये गए।

आकाशवाणी और दूरदर्शन : कोलकाता

मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), आकाशवाणी और दूरदर्शन, कोलकाता के कार्यालय में दिनांक 01-09-2005 से 15-09-05 तक हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। आकाशवाणी भवन के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 01-09-2005 को अपराह्न 2.30 बजे श्री जगमोहन जैन, निदेशक अभियांत्रिकी एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा हिंदी पखवाड़ा का शुभ उद्घाटन किया गया।

दिनांक 15-09-05 को हिंदी पखवाड़ा का समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया।

श्री चंद्र गोपाल शर्मा उप मुख्य राजभाषा अधिकारी, पूर्व रेलवे, कोलकाता ने मुख्य अतिथि के रूप में अपना व्याख्यान दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने हिंदी दिवस के महत्व पर आलोकपात करते हुए संविधान में हिंदी के प्रावधान पर विस्तृत रूप से चर्चा की एवं प्राचीन काल से हिंदी के इस्तेमाल संबंधी दृष्टांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ''हिंदी की अग्रगति के लिए केवल हिंदी पखवाड़ा में भाग लेना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि पूरे वर्ष में ही हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देना आवश्यक है। हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा को भली प्रकार सीखना और समझना जरूरी है ताकि इसमें कार्य करने में कोई असुविधा न हो।'' इसके बाद मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा सफल प्रतिभोगियों को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया गया। इसके बाद श्री जगमोहन जैन, निदेशक अभि. एवं कार्यालय अध्यक्ष ने अपना अध्यक्षीय भाषण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ''हिंदी पखवाड़ा सफलतापूर्वक मनाने के बाद मैं यह आशा करूंगा कि पूरे वर्ष में सभी कर्मचारी हिंदी के कार्यों में रुचि लेकर काम करेंगे और अगली बार ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इस पखवाड़ा में हिस्सा लेंगे तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार को और आगे बढ़ाएंगे।

उच्च शक्ति प्रेषित्र : आकाशवाणी, आलप्पुषा केंद्र

हिंदी पखवाड़ा समारोह सितंबर 2005 महीने के अंतिम भाग में, यानी तारीख 14-9-05 से 29-9-05 तक मनाया गया।

इस अवसर पर तारीख 22-9-05 को अपराह्न 2.30 बजे से चार प्रतियोगिताएं जैसे— हस्तलेख, स्मरण शक्ति परीक्षा, हिंदी में अनुवाद एवं गीत प्रतियोगिता (फिल्मी गीत/देशभक्ति गीत) आयोजित की गई। ये चारों प्रतियोगिताएं सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य तौर पर आयोजित की गई थीं। सभी कर्मचारियों ने अत्यंत रुचि के साथ इसमें भाग लिया और पुरस्कार भी प्राप्त किया।

आकाशवाणी : हैदराबाद

दिनांक 5-9-2005 से 19-9-2005 तक हिंदी पखवाड़ा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़ा का पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह उपनिदेशक श्रीमती प्रयाग वेदवती की अध्यक्षता में दिनांक 20-9-2005 को संपन्न हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्रीमती प्रयाग वेदवती, उप निदेशक ने कहा कि हमें अपने दिन-प्रतिदिन के काम में सरल हिंदी का इस्तेमाल करते हुए पत्राचार में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रश्न मंच, अनुवाद, सामान्य जानकारी, वाक् आदि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई देते हुए प्रमाण-पत्र एवं नक़द पुरस्कार वितरित किए।

दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र : बीकानेर

हिंदी पखवाड़ा का आयोजन 14 सितंबेर, 2005 से 21 सितंबर, 2005 के मध्य किया गया।

इस आयोजन में कार्यालय कार्य में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कैसे संभव हो तथा हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं व कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस वर्ष अप्रैल 04 से मार्च 05 के मध्य कार्यालय कार्य में हिंदी टिप्पण व मौलिक लेखन हेतु अनुरक्षण केंद्र व हिंदी में किये गये कार्यों का मूल्यांकन किया गया। जिसमें विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

समापन समारोह, पुरस्कार वितरण व हिंदी संगोष्ठी का शुभारम्भ श्री प्रताप सिंह, सहायक अभियंता, आकाशवाणी बीकानेर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर श्री पी.एन. जोशी ने की।

अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में श्री पी. एन. जोशी ने इस अवसर को सुख का कारण मानते हुए कहा कि हिंदी का साहित्य अन्य किसी भाषीय साहित्य से कमजोर नहीं है। हिंदी हमारी अंत:करण की भाषा है हिंदी में जो मिठास है वो अन्य किसी भाषा में नहीं है। हिंदी संगोष्ठी, पुरस्कार वितरण एवं समापन के इस सुअवसर पर दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र के केंद्राध्यक्ष श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि हम इंजीनियर अपने दैनिक कामकाज में सरल व सामान्य हिंदी शब्दों का प्रयोग कर राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी के गौरव को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते है। हमें इस भाषायी योगदान को सतत प्रवाहमान बनाये रखना होगा। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र के विभिन्न रिले केंद्रों पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को एक ही समय में एक स्थान पर अधिकाधिक संख्या में एकत्र करना काफी मुश्किल है क्योंकि प्रत्येक केंद्र के संचालन हेतु चारों प्रहर तकनीकी स्टाफ कार्यरत रहते हैं और संसाधन अत्यन्त सीमित हैं। उन्होंने सभी अतिथियों व आगंतुकों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुये विश्वास व्यक्त किया कि दृढ़ संकल्प और गहरी इच्छा शक्ति से केंद्र पर राजभाषा का प्रचार-प्रसार निर्बाध जारी रहेगा।

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर (पं० बं०)

दिनांक 1-9-2005 को हिंदी दिवस का उद्‌घाटन समारोह आयोजित कर दिनांक 1-9-05 से 14-9-05 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में संस्थान के संयुक्त निदेशक श्री के. सी. मंडल ने अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी एक सरल एवं सहज भाषा है। संस्थान के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इसका

प्रयोग अपने सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक करें - ताकि राजभाषा हिंदी को सही मर्यादा व स्थान प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए बधाई के साथ-साथ भविष्य में इसे पूरी निष्ठा के साथ राजभाषा हिंदी को अपनाने की अपील की।

मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, श्री एस.सी. लाल ने कहा कि हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो सभी को एक सूत्र में बांधे रखती है। यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और इसकी विशिष्टता है कि यह आसानी से बोली और समझी जा सकती है। उन्होंने इस संस्थान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हिंदी कार्य की प्रशंसा की एवं सभी को अपने कामकाज में हिंदी को अपनाने की अपील भी की।

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला,
सेक्टर-36-ए, चंडीगढ़

01 से 14 सितंबर, 2005 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन राजभाषा का व्यापक प्रसार-प्रचार करने के उद्देश्य से उत्साहपूर्वक किया गया। विगत वर्षों की भांति हिंदी पखवाड़े की विशेषता यह रही कि हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में प्रयोगशाला के 70 अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से 69 वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शोधकर्ताओं द्वारा हिंदी प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया गया, जिससे पूरे दो सप्ताह तक प्रयोगशाला परिसर में हिंदीमय वातावरण बना रहा।

महाप्रबंधक दूर संचार जिला,
राउरकेला-769001

14 सितंबर से 28 सितंबर, 2005 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान हिंदी भाषी एवं अहिंदी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।

हिंदी पखवाड़ा का समापन समारोह दिनांक 28-09-2005 को बड़े उमंग एवं तरंग के साथ आकर्षक एवं सुरुचिपूर्ण ढंग से "पंथ-निवास" परिसर में श्री सत्यानंद नायक, महाप्रबंधक दूर संचार, राउरकेला की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।

मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. मुधुसूदन साहा ने राजभाषा हिंदी को साहित्यिक हिंदी से पृथक अस्तित्व करार देते हुए विशेष महत्व का दर्जा दिया। कमालपाशा जिसने एक रात्रि में तुर्की को राजभाषा का दर्जा देकर लागू किया था के संकल्प का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हम भी यदि ऐसे ही कटिबद्ध एवं प्रतिबद्ध हो जाएं तो हिंदी को राजभाषा का व्यावहारिक दर्जा मिलने में विलंब नहीं होगा। मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए श्री विनोद कुमार थापा, उप महानिरीक्षक (के.औ.सु.ब.) राउरकेला ने कहा कि यदि कार्यालयी हिंदी में बोलचाल की हिंदी जोड़ें तो आपकी हिंदी में जीवंतता आ जाएगी। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रेरणात्मक उद्बोधन देते हुए श्री सत्यानन्द नायक महाप्रबंधक दूर संचार राउरकेला ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर मुखातिब होकर कहा कि अपने दैनिक कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग खुलकर करें तभी हिंदी का संवर्धन एवं परिवर्धन होगा।

महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय,
नाशिक-422002

भारत संचार निगम लि., नाशिक में वर्ष 2005 का हिंदी पखवाड़ा बड़े ही आकर्षक और सुरुचिपूर्ण ढंग से दिनांक 15-9-2005 को मनमाड में नांदगांव, मनमाड, चांदवड और येवला एसडीसीए के लिए, दिनांक 16-9-2005 को मालेगांव में मालेगांव, सटाणा, कलवण और उमराणे एसडीसीए के लिए, दिनांक 19-9-2005 को पिंपलगांव में पिंपलगांव, निफाड, दिंडोरी, पेठ, सुरगाना एसडीसीए के लिए और नाशिक में दिनांक 14 सितंबर, 2005 से दिनांक 28 सितंबर, 2005 तक नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, सिन्नर, दिंडोरी, पेठ, निफाड और सुरगाना एसडीसीए के लिए मनाया गया। इस प्रकार संपूर्ण नाशिक दूरसंचार जिले के कार्यालयों को पखवाड़े की प्रतियोगिताओं में भाग लेने तथा प्रोत्साहन पाने का अवसर मिला।

इस दौरान विविध प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिताओं के विजेता अधिकारियों और कर्मचारियों को महाप्रबंधक दूरसंचार बीएसएनएल नाशिक श्री आनंद कुलकर्णी और हिंदी विभागाध्यक्ष, बी. वाय. के. कॉलेज, नाशिक की हिंदी-व्याख्याता श्रीमती शोभाराणे, व सभी उप

महाप्रबंधक ने नकद राशि के पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जी.टी. रोड, कानपुर-208016

दिनांक 14-9-2005 को हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ माननीय श्री असीम कुमार भट्टाचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष एलिम्को राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है इसे अपने जीवन शैली में प्रतिदिन उतारें तथा सरकारी कामकाज हिंदी में ही सतत् रूप से करने की प्रवृति को विकसित करें, इससे हिंदी में काम करने का आदर्श वातावरण सृजित होगा।

हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत निगम में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 27-9-2005 को आयोजित किया गया। इस कार्यशाला का शीर्षक ''राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन'' निर्धारित किया गया। पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को पखवाड़ा समापन के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदया ने उपहार एवम् प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हैदराबाद

क्षेत्रीय कार्यालय में माह सितंबर, 2005 को राजभाषा माह के रूप में मनाया गया। माह के दौरान हिंदी निबंध, वाक्, टिप्पण-लेखन अंताक्षरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिताओं में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

राजभाषा माह का समापन समारोह का आयोजन दिनांक 3-10-2005 को किया गया। समारोह की अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक श्री कीर्त्यानंद मिश्र ने की।

इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय की गृह पत्रिका दीपिका के 12वें अंक का विमोचन मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र राय के कर कमलों द्वारा किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी कर्मचारियों को मुख्य अतिथि तथा क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 143, स्टर्लिंग रोड, चैन्नै-600034

1 से 14 सितंबर, 2005 तक क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नै में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। राजभाषा पखवाड़े के दौरान दिनांक 1-9-2005 से दिनांक 6-9-2005 तक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, वाक् प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता तथा अंताक्षरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। हिंदी निबंध एवं हिंदी वाक् प्रतियोगिता के लिए हिंदी और अहिंदी दो समूह बनाए गए। इन प्रतियोगिताओं में विशेष तौर पर महिलाओं की भागीदारी अधिक और उत्साहवर्धक रही।

14 सितंबर को सुबह से ही कार्यालय में वातावरण एक त्यौहार जैसा उत्साहवर्धक बना हुआ था। सहायक निदेशक (राजभाषा), श्री त्रिरतन ने अपने भाषण में कहा कि संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए राष्ट्रीय गौरव से जुड़े सभी मूल्यों एवं भावनाओं का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक कर्म है। आगे कहा कि राजभाषा हिंदी की उन्नति होने से राष्ट्रीय पहचान के साथ-साथ राजभाषा नीति को भी शत् प्रतिशत् पूरा किया जा सकता है। संविधान में शामिल सभी आधुनिक भाषाएँ देश में प्रेम, ज्ञान, मानवता, अनुशासन एवं चरित्र पैदा करने में सक्षम हैं लेकिन विदेशी भाषा के प्रति मोह भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के लिए अवश्य घातक बनती जा रही है।

मुख्य अतिथि डॉ. एम. गोविंदराजन ने वार्षिक गृह पत्रिका ''राजभाषा सहयोगी'' के तीसरे अंक का विधिवत् विमोचन किया। ''राजभाषा सहयोगी'' के सफल प्रकाशन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी क्यों और कितनी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को सम्मान देकर पूरे भारतीय भूमंडल को एक-दूसरे सिरे से जोड़ने की बुनियादी पहल है। भाषायी संस्कृति की विविधता में भी एकता होना उसकी विशालता का परिचायक है। हिंदी भाषा भारतीय भाषाओं के व्यवहारमूलक विकास को सापेक्ष विचारधारा के रूप में कहीं न कहीं प्रभावित करती चली आ रही है।

क्षेत्रीय निदेशक श्री बी.के. वेंकटेश एवं संयुक्त निदेशक (राजस्व), श्री टी. बालगुरुसामी ने अपने संक्षिप्त एवं प्रेरणादायक भाषणों में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से हिंदी में अधिक से अधिक काम करने की अपील की। ''राजभाषा

सहयोगी'' पत्रिका के अच्छे कार्य के लिए बधाई दी। क्षेत्रीय निदेशक ने सभी कर्मचारियों से कहा कि उनके थोड़े से सहयोग से हम भी राजभाषा शील्ड जीत सकते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी, गोवा

14 सितंबर, 2005 से 28 सितंबर, 2005 की अवधि को हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। श्री के.एफ. जानवेकर, क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गोवा क्षेत्र की अध्यक्षता में 14 सितंबर को आयोजित हिंदी दिवस समारोह के साथ हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। डॉ रोहिताश्व शर्मा, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, गोवा विश्वविद्यालय हिंदी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उनके कर-कमलों से 26 कर्मचारियों को वर्ष 2004 में 50 प्रतिशत से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना तथा 10 कर्मचारियों को हिंदी वार्षिक टिप्पण/आलेखन पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। पखवाडा के अंतर्गत हिंदी निबंध, टिप्पण/आलेखन, अंताक्षरी तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गोवा क्षेत्र की विभागीय हिंदी पत्रिका 'गोमंत ज्योति', 2005 का विमोचन किया गया।

श्री के.एफ. जानवेकर, क्षेत्रीय निदेशक ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में कहा कि कर्मचारियों में हिंदी के प्रयोग के प्रति उत्साह को ठोस कार्य में परिणत करना है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से हिंदी में कार्य करने का आग्रह किया।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद

14-9-2005 को अपराह्न में आयोजित हिंदी दिवस समारोह बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता निगम के क्षेत्रीय निदेशक, श्री आ. चोक्कलिंगम ने की।

मुख्य अतिथि श्री विदेह जी ने जन समूह की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ''अक्षर यात्रा'' के आठवें अंक का विमोचन किया। साथ ही महान विभूतियों की उक्तियों की बनाई गई पट्टिकाओं का भी विमोचन किया। श्री विदेह जी ने कहा कि वर्ष में एक बार आने वाला हिंदी दिवस-दीपावली एवं दशहरे जैसा एक पर्व है। कोई भाषा बुरी नहीं है किंतु मातृभाषा एवं अपने देश की भाषा सर्वोपरि है। औरंगजेब एवं ज़फर आदि ने हिंदी प्रेम को दर्शाया है और हिंदी को सर्वमान्य भाषा माना है। प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देने में हिंदी भाषा का योगदान सर्वोपरि है। हमें हिंदी और संस्कृत पढ़ने और उनका प्रयोग करने में गर्व करना चाहिए। अंग्रेजी ज्ञान की भाषा है किंतु सरकारी काम-काज की भाषा नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सैक्टर-16, फरीदाबाद

1 सितंबर, 2005 से 15 सितंबर, 2005 तक राजभाषा पखवाड़ा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजभाषा पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी निबंध, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, अंताक्षरी तथा वाक् प्रतियोगिताओं में विजयी कर्मचारियों को मुख्य अतिथि व क्षेत्रीय निदेशक द्‌वारा, निर्धारित पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही वार्षिक मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता, 2004-2005 के लिए 9 कर्मचारियों को भी, निर्धारित नकद पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्त: अनुभागीय राजभाषा चल शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्यालय में सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने पर प्रशासन शाखा को उन्होंने अपने कर कमलों से यह शील्ड देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा क्षेत्र की वर्ष, 2004-2005 की वार्षिक रिपोर्ट का भी विमोचन किया।

श्री सूरजमल, मुख्य अतिथि ने अध्यक्षीय भाषण में अपने अमूल्य विचारों से समारोह में उपस्थितजनों का ज्ञानवर्धन किया और उन्होंने स्वयं से ही दैनंदिन कार्यों में हिंदी प्रयोग शुरू करने का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्रोताओं को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि आजकल भारत में अंग्रेजी का प्रयोग ''स्टेटस सिंबल'' के तौर पर हो रहा है। हिंदी को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वह अधिकारिणी है। श्री तपन कुमार भट्टाचार्य, क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने अपने अनुभवपूर्ण विचारों से सहभागियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आज हिंदी की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है। इसके साथ-साथ उन्होंने कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हीं करने का भी अनुरोध किया।

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि., चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय स्पेन्सर टावर्स, 770-ए, अण्णासालै, चेन्नै-600002

दि. 14-9-2005 से 19-9-2005 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। दिनांक 14-9-2005 को हिंदी सप्ताह के उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन क्षेत्रीय कार्यालय के परिसर में किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्रीमती पी हेमामालिनी, प्रबंधक ने की। इस अवसर पर हिंदी विभाग द्वारा तैयार किया गया 'त्रिभाषी राजभाषा निर्देशिका' का लोकार्पण विशेष अतिथि श्री पार्थसारथी एवं समारोह अध्यक्ष श्रीमती पी हेमामालिनी द्वारा किया गया।

इसके बाद 'पर्ची खोलें अर्थ बताएँ' प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यह था कि सभी कार्मिकगण इसमें उत्साह से भाग लें। सहायक प्रबंधक से लेकर सबस्टाफ तक लगभग 90 कार्मिकों ने बड़े उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया।

सप्ताह के दौरान हिंदी में समाचार पढ़ना, देखें, स्मरण करें एवं लिखें, बीमा विषय पर आधारित प्रश्न मंच, हिंदी में कहानी लिखना आदि विभिन्न रूचिपूर्ण प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयी।

हिंदी सप्ताह का समापन समारोह दि. 19-9-2005 को क्षेत्रीय कार्यालय के परिसर में आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथि श्री के. सी. सिंह, आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया है, जो प्रशंसनीय है। वर्षों से हिंदी इस देश की संपर्क भाषा है और देश में सर्वाधिक बोली और समझी जानेवाली भाषा है। हिंदी का शब्द भंडार और साहित्य अत्यंत विस्तृत है। चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में न्यू इन्डिया एश्योरेंस कंपनी लि. सबसे आगे होने के साथ-साथ राजभाषा कार्यान्वयन में भी अग्रणी है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री अशोक कुमार, प्रबंधक ने बताया कि हिंदी कार्यान्वयन में भी हम हमेशा आगे हैं इसके लिए हिंदी विभाग बधाई का पात्र है। भविष्य में भी हम और भी प्रभावीपूर्ण एवं श्रेष्ठ कार्यान्वयन करेंगे और चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय का नाम उज्ज्वल करेंगे।

इस अवसर पर 'एक हिंदी शब्द प्रतिदिन' कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। श्री के. सी. सिंह, आयुक्त ने पहला शब्द 'सफलता' लिखकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शब्द का तमिल अनुवाद श्री एम. परमशिवन, उप प्रबंधक ने एवं अंग्रेजी अनुवाद श्री पी. अशोक कुमार, प्रबंधक ने लिखा।

हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को श्री के. सी. सिंह, आयुक्त के कर-कमलों से पुरस्कार प्रदान किया। हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं में निर्णायक के रूप में सहयोग देनेवाले श्री आई. के. शर्मा, हिंदी अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, श्री के. राजकुमार, सहायक प्रबंधक, श्री सेतुरामन, सहायक प्रबंधक को भी उन्होंने स्मृति चिह्न प्रदान किया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पंचदीप भवन, 108 ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई

'राजभाषा पखवाड़े' का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर आयुक्त महोदय ने सभी अधिकारियों से हिंदी में पत्राचार बढ़ाने और हिंदी में टिप्पणी लिखने का आग्रह किया। हिंदी पखवाड़े के दौरान अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं।

कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढकर भाग लिया। 'राजभाषा पखवाड़े' के दौरान दिनांक 14-9-2005 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक (कार्यान्वयन) (पश्चिम क्षेत्र) इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। अपर आयुक्त महोदय ने कहा कि हिंदी में इतना काम कीजिए कि हर दिवस हिंदी दिवस बन जाए। उन्होंने अधिकारियों से भी हिंदी में कार्य बढ़ाने को कहा।

'राजभाषा पखवाड़े' के दौरान आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को मुख्य अतिथि के कर-कमलों द्वारा प्रमाणपत्र दिए गए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई की वार्षिक गृह पत्रिका 'वल्लरी' के चौथे अंक का भी इस अवसर पर विमोचन मुख्य अतिथि के कर-कमलों से किया गया।

उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास पर जोर दिया। उदाहरण दिया कि तैरने के लिए पानी में उतरेंगे तभी सीख पाएंगे। उनका कहना था कि सभी भाषाएं फूलें-फलें। उन भाषाओं के शब्दों को साथ लेकर चलना ठीक होगा न कि विदेशी भाषा को अपनाकर चलना। हिंदी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बोली जाती है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सैक्टर-19 ए, चंडीगढ़-160021

1 सितंबर से 15 सितंबर, 2005 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बड़े उत्साहपूर्वक भाग लिया। क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 14 सितंबर, 2005 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक श्री जी.सी. जैना ने की। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय की गृह पत्रिका "सतलुज धारा" के वर्ष 2005 अंक का विमोचन किया गया।

विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतियोगियों को मुख्य अतिथि डॉ० बैजनाथ प्रसाद ने अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान किए। क्षेत्रीय कार्यालय में सर्वाधिक कार्य हिंदी में करने के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने रोकड़ शाखा को अंतर्शाखा राजभाषा शील्ड प्रदान की।

मुख्य अतिथि डॉ० बैजनाथ प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हम सब की अपनी भाषा है और अपनी भाषा का प्रयोग करते समय किसी प्रकार की हीनता का आभास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हीनता का भाव भाषा में नहीं बल्कि व्यक्ति की सोच में होता है। डॉ० प्रसाद ने कहा कि केवल हिंदी ही नहीं हमारे देश की सभी भाषाएं हमारी जन-भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी में यदि अन्य भाषाओं के शब्द आ जाते हैं और सहजता से उनका प्रयोग किया जाता है तो इसमें कोई हानि नहीं है।

केनरा बैंक अंचल कार्यालय, प्लाट सं-1, सेक्टर-34 ए, चंडीगढ़-160022

अंचल कार्यालय चंडीगढ़ में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन 14 सितंबर 2005 को किया गया। समारोह की अध्यक्षता महाप्रबंधक श्री वाई० एल० मदान ने की तथा प्रो. डा. लक्ष्मीनारायण शर्मा, हिंदी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। समारोह में अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय व शाखाओं के कार्यपालकगण तथा निकटतम शाखाओं/कार्यालयों के कर्मचारियों ने भाग लिया।

बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री पी०जी० चावला ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी भाषा हमारी पहचान है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी राष्ट्र का प्रतिनिधि जब अपने देश की भाषा में बोलता है तो उसे उसका परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं होती, परिचय तब देना पड़ता है जब वह अपने देश की भाषा में न बोलकर किसी दूसरे की भाषा में बात करता है। हमारी अपनी राष्ट्रीय पहचान है जो विश्व में एक विशेष स्थान रखती है। इसे अक्षुण्ण बनाएं रखना हम सब भारतीयों का नैतिक कर्तव्य बनता है। बैंकिंग करते समय हमें इस मूल मंत्र को ध्यान में रखना है कि हमारे व्यापार का आधार विश्वास है और विश्वास तभी बनता है जब आप अपने ग्राहकों की भाषा में उनसे बात करते हैं। हम सब को प्रयास करके दैनिक कामकाज हिंदी भाषा में करना है तथा अपनी भाषा के पक्ष में अनुकूल वातावरण बनाना है।

समारोह की अध्यक्षता श्री वाई० एल० मदान, महाप्रबंधक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि "आप जानते ही हैं कि मूलत: हम बैंकर हैं तथा लाभ कमाने के लिए काम करना हमारा ध्येय है। बैंकों को अपनी स्थिति सुधारने और कंपीटीशन में टिके रहने के लिए अपनी शैली और मार्केटिंग की कार्यनीति में बदलाव लाना पड़ रहा है। इन-सब बातों और परिस्थितियों के कारण एक नया परिवेश उभर रहा है। नए परिवेश में हिंदी और भारतीय भाषाएं बैंकों के लिए किस सीमा तक और कैसे सहायक सिद्ध हो सकती है यह देखना जरूरी है।"

बैंक ऑफ महाराष्ट्र केंद्रीय कार्यालय लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005

बैंक ऑफ महाराष्ट्र केंद्रीय कार्यालय के अप्पासाहेब जोग सभागृह में दिनांक 30 सितंबर, 2005 को हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध

निदेशक श्री सुकमल चंद्र बसु जी ने कहा कि अब तक हम अंग्रेजी की किताबों को बैंकिंग की बाइबिल मानते हैं, अब हमें ऐसी किताबें हिंदी में तैयार करनी चाहिएं। इसके लिए हमें हिंदी को अनुसंधान की भाषा बनाना होगा। हिंदी एक कड़ी की, जुड़ाव की भाषा है।

प्रमुख अतिथि के रूप में डॉ. अशोक कामत, अध्यक्ष, संत नामदेव अध्यासन, पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र एवं विश्वस्त राष्ट्रभाषा सभा, पुणे ने कहा कि भारत में भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी कई प्रदेश हैं, हिंदी सबको जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी भारत की सभी प्रकार के आंदोलन की भाषा रही है। मैं हिंदी को व्यक्तित्व विकास की भाषा मानता हूं। उत्साह उमंग और उत्सवों की भाषा हिंदी है। अपनी सरलता और भारतीयता की वजह से ही हिंदी मनोरंजन की भाषा हो पाई। समय की मांग है की हम प्रांतीयता से ऊपर उठकर सारे देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी में कार्य करें।

इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय स्तर पर चलाई जा रही आंतरिक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत केंद्रीय कार्यालय के विभागों तथा हिंदी दिवस के दौरान केंद्रीय कार्यालय में आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजया टावर्स, एल. एंच. एच. रोड, मंगलूर

विजया बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर के सभागृह में 14 सितंबर, 2005 को हिंदी दिवस मनाया गया। समारोह का शुभारंभ श्रीमती प्रतिभा ए० शेट्टी व पार्टी के बंदना से हुआ। केंद्रीय विद्यालय नं 2, मंगलूर के प्रिंसिपल डॉ० एम० के० कृष्णमूर्ति ने दीप प्रज्वलित कर परम्परागत रूप से समारोह का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमें किसी भी भाषा को अपने कार्य में लागू करना है तो सबसे पहले उसे आत्मसात करना है। तभी राजभाषा का कार्यान्वयन भी सही अर्थों में पूरा होगा। साथ ही हमें कभी भी अपने मूल को भूलना नहीं चाहिए।

समारोह पर अध्यक्षीय भाषण के दौरान क्षे. प्र. श्री जी० वी० के० शेट्टी ने बताया कि रोजमर्रा के काम में हिंदी का प्रयोग करना जरूरी है क्योंकि वह हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा भी है। राजभाषा अधिकारी श्रीमती एस माया ने वर्ष 2004-2005 के गतिविधियों का रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत किया। समारोह पर हिंदी दिवस समारोह के सिलसिले में आयोजित 6 प्रतियोगिताओं के विजेताओं को क्षे. प्र. एवं मुख्य अतिथि ने पुरस्कार वितरित किए।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, पोस्ट बाक्स 4911, नई दिल्ली

दिनांक 20 सितंबर, 2005 को समाज पर स्टेम सेल अनुसंधान के भावी प्रभाव एवं स्वास्थ्य पर बढ़ते शहरीकरण के परिणाम विषयों पर एक वैज्ञानिक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें परिषद् मुख्यालय के वैज्ञानिकों के साथ-साथ दिल्ली स्थित परिषद् के संस्थानों/केंद्रों के 60 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के प्रकाशन एवं सूचना प्रभाग के प्रमुख तथा वरिष्ठ उपमहानिदेशक डॉ के सत्यनारायण ने की।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉ सत्यनारायण ने कार्यक्रम आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा बताया कि प्रकाशन एवं सूचना प्रभाग द्वारा प्रति वर्ष इस तरह के कोई न कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

वाद-विवाद प्रतियोगिता में परिषद् मुख्यालय तथा दिल्ली स्थित संस्थानों से आए प्रतिभागी वैज्ञानिकों ने इन दोनों महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत विषयों पर अपने अमूल्य विचार व्यक्त किए। अंत में वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रशासन) श्री महेंद्र सिंह जी ने विजेताओं को प्रमाण-पत्र व पुरस्कार प्रदान किए।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान 5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली-110016

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में 1 से 14 सितंबर 2005 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान में हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इनमें संस्थान के अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस पखवाड़े का मुख्य समारोह 14 सितंबर 2005 को आयोजित किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के प्रमुख प्रो० रमेश चंद शर्मा इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। यह कार्यक्रम संस्थान के निदेशक डा० अरुण कुमार गोपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

मुख्य अतिथि प्रो० रमेश चंद शर्मा ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि हिंदी एक आम भारतीय नागरिक की भाषा है यह एक एकीकरण का माध्यम है। अब विदेशी छात्र भी इस भाषा को सीखने में रुचि दिखा रहें हैं। निश्चित तौर पर भविष्य में हिंदी वाणिज्य और व्यापार का सशक्त उपकरण होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें हिंदी को अपने व्यवहार में, अपनी कार्यशैली में शामिल करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा हिंदी से संबंधित कार्यों में रुचि लेते हैं।

मुख्य अतिथि ने पखवाड़े के दौरान आयोजित हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और हिंदी में डिक्टेशन देने हेतु प्रोत्साहन योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

केंद्रीय विद्युतरसायन अनुसंधान संस्थान कारैकुडी, तमिलनाडु-630006

12-23 सितंबर, 2005 को संस्थान में अनेक हिंदी प्रतियोगिताओं, यानि अनुवाद, भाषण, गायन, अंताक्षरी और प्रश्नोत्तरी आदि में सभी कर्मचारियों के उत्साह और अधिक सक्रिय भागीदारी के साथ हिंदी पखवाड़ा समारोह मनाया गया। उक्त द्वि-साप्ताहिक कार्यक्रम 12 सितंबर, 2005 को उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ तथा सभी कर्मचारियों के लिए अनेक हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी शुरू किया गया। यह उद्घाटन समारोह संस्थान के निदेशक महोदय प्रोफेसर ए.के. शुक्ल की अध्यक्षता में हुई थी। उद्घाटन समारोह के समय संस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से यह आग्रह किया गया कि वे अपने कार्यालयीन काम में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें।

मुख्य अतिथि श्री सुधीर कुमार ने अपने सैद्धांतिक भाषण में यह बताया कि युवाओं के बीच जानकारी सृजन करना बुजुर्गों का नैतिक उत्तरदायित्व है और इसके लिए उन्हें अपनी राजभाषा को देश भक्ति जोश के साथ सीखनी चाहिए।

मुख्य अतिथि ने पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियागिताओं के विजेताओं को रजत पदक और ट्राफी का वितरण किया। पखवाड़ा के दौरान आयोजित हिंदी गायन प्रतियोगिता के विजेताओं द्वारा पेश किए गए हिंदी गान से उक्त समारोह अत्यंत उमंग भर आया।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी

6 से 14 सितंबर 2005 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। सप्ताहपर्यंत 10 प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं जिनमें लगभग 325 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के 36 विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप अंग्रेजी - हिंदी के स्तरीय शब्दकोश एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए। साथ ही वर्ष 2004-05 के दौरान संस्थान में लागू 4 प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत अपना कामकाज हिंदी में करने के लिए 18 सहकर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया। संस्थान के निदेशक डॉ० चंद्रशेखर ने कहा कि हमारे मन से अंग्रेजों की गुलामी का असर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है तथा हिंदी के प्रति हमारा रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हमारे लोगों में हिंदी के प्रति यह गलत धारणा बनी हुई है कि हिंदी वैभव (ग्लैमर) से नहीं जुड़ी है जिसके कारण इसे अपनाने वाले लोगों में हीन भावना आ जाती है। परंतु धीरे-धीरे यह स्थिति बदल रही है क्योंकि हिंदी में मौलिकता है, हमारी पहचान है तथा यह हमारे देश की अस्मिता का प्रतीक है।

राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे

दिनांक 12 सितंबर से 16 सितंबर 2005 तक हिंदी सप्ताह मनाया गया।

पांच दिन के इस "हिंदी सप्ताह समारोह" के दौरान दि. 14 सितंबर, 2005 को उद्घाटन समारोह पर डा० टी० पाटील, अध्यक्ष हिंदी विभाग, पुणे विद्यापीठ ने अपने व्याख्यान में हिंदी का महत्व बताते हुए कहा कि हिंदी को व्यापक रूप से समझने का प्रयास करें और जब कभी हिंदी शब्दों का उपयोग कामकाज में मुश्किल लगे तब भी अंग्रेजी शब्दों का उपयोग कम से कम करें। उन्होंने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग बढ़ाने के लिए पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में जानकारी दी।

दि. 16 सितंबर, 2005, हिंदी सप्ताह के समापन समारोह के दिन अंताक्षरी एवं व्याख्यान का आयोजन किया गया। डा० (श्रीमती) पद्मजा घोरपडे, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, स.प. महाविद्यालय, पुणे ने अपने व्याख्यान के सभी उपस्थित कर्मचारियों को जानकारी दी कि हिंदी भाषा के जरिए विज्ञान प्रयोगशाला से जनसामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने

आगे यह बताया कि विज्ञान के प्रचार के लिए राजभाषा का महत्व लोगों को देने की आवश्यकता है। हमारी राजभाषा हिंदी होने के कारण हिंदी का उपयोग विज्ञान में लाना जरूरी है।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

हिंदी माह के दौरान संस्थान के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को हिंदी काम-काज करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इमला, निबंध, कविता, आशुभाषण, अनुवाद एवं शब्दावली, हस्ताक्षर तथा टिप्पण एवं प्रारूपण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रख्यात कवि एवं साहित्यकार डॉ० बलदेव वंशी ने कहा कि "भारतीय भाषाएं मात्र भाषा नहीं, वाणी भी है। वाण अर्थात्-आत्मा की आवाज। वह भाषा जिसमें दर्द फूटे, वाणी है। संतों की कविताएं मात्र कविता नहीं वाणी हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों की पीड़ा को आत्मसात् किया। विश्व की अन्य भाषाओं और भारतीय भाषाओं में यही अंतर है कि भारतीय भाषाएं आत्मा से जुड़ी हैं।"

समारोह के अध्यक्ष और भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली के निदेशक एवं देश के मूर्धन्य साहित्यकार प्रो० प्रभाकर श्रोत्रिय ने अपने ओजस्वी भाषण में हिंदी के घटते महत्व पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाज़ारवाद के सहारे आज भारतीय भाषाओं की स्वतंत्रता को बाधित कर मानसिक और आत्मिक साम्राज्यवाद चल रहा है।

समारोह का संचालन करते हुए समारोह के संयोजक ने कहा कि हिंदी स्वाधीनता का पर्याय रही है। वह संस्कृति, संस्कार, चेतना व विरासत की भाषा है। अंग्रेजी क्रोध व शोषण की भाषा रही है जबकि हिंदी संवेदना व प्राणदायिनी अपनत्व की भाषा है।

मुख्य अतिथियों ने हिंदी-माह में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं और सरकारी काम-काज में सर्वाधिक हिंदी का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया।

भारतीय पर्यटन कार्यालय, दिल्ली
88-जनपथ, नई दिल्ली

14-9-2005 से 30-9-2005 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसके दौरान अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने का प्रयास किया गया ताकि हिंदी के प्रसार में आशातीत सफलता प्राप्त की जा सके। कार्यालय में कर्मचारियों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए दिनांक 29-9-2005 को कार्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया व हिंदी दिवस मनाया गया।

इस वर्ष क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर) के नेतृत्व में भारत पर्यटन, दिल्ली के अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् भारत पर्यटन, आगरा, जयपुर और वाराणसी में प्रथम बार हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 29-9-2005 को हिंदी की टिप्पण/प्रारूपण, निबंध लेखन (श्रेणी क, ख, ग) तथा शुद्ध लेखन व निबंध लेखन (श्रेणी घ) की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया व विजित प्रतियोगियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

भारत पर्यटन, दिल्ली कार्यालय में हिंदी पखवाड़े का समापन पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताओं का पारितोषिक वितरण समारोह दिनांक 7-10-2005 को आयोजित किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर) द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए व क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने विजेताओं को बधाई देते हुए राजभाषा हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए कहा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
मौसम विज्ञान के महानिदेशक का कार्यालय,
लोदी रोड, नई दिल्ली

हिंदी पखवाड़ा 2005 के दौरान हिंदी निबंध, हिंदी टिप्पण और मसौदा लेखन, हिंदी टंकण, स्वरचित हिंदी कविता पाठ और हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

श्री बी० लाल, कार्यकारी महानिदेशक महोदय द्वारा मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (प्रादेशिक मौसम केंद्र), नई दिल्ली को राजभाषा चलशील्ड प्रदान की गई तथा हिंदी पखवाड़ा 2005 के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण-पत्र तथा नकद पुरस्कार कार्यकारी महानिदेशक महोदय द्वारा प्रदान किए गए।

अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी पखवाड़ा/हिंदी दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य

सरकारी कार्य में हिंदी को बढ़ावा देना है। देश में 100 करोड़ की आबादी है जिसमें अधिकांश लोग हिंदी भाषा बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि सभी लोग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य मूल रूप में हिंदी में कार्य करना आरम्भ करें तो राजभाषा हिंदी को अपना उचित स्थान प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी।

अध्यक्ष महोदय ने विभाग के सभी कार्मिकों को कार्यालय का कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करने की सलाह दी तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने का अनुरोध किया एवं राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अपना अमूल्य योगदान देने पर भी जोर दिया।

अध्यक्ष महोदय के भाषण के उपरांत हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई स्वरचित हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों ने उनकी स्वरचित हिंदी कविता पाठ प्रस्तुत किया। तथा श्रीमती शालिनी मखीजा, प्रशासनिक अधिकारी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। श्रीमती सरिता जोशी, वरिष्ठ अनुवादक और श्रीमती नीलम, वरिष्ठ प्रेक्षक ने मंच संचालन किया।

नव मंगलूर पत्तन न्यास, मंगलूर

दिनांक 9-9-2005 को 'हिंदी एवं भारतीय भाषा सौहार्द दिवस' मनाया गया। इस उपलक्ष्य में पणंबूर के प० जवाहरलाल नेहरु जन्मशती भवन में आयोजित एक समारोह में पत्तन के मुख्य अभियंता (सिविल) श्री एम आर हेडाऊ समारोह के अध्यक्ष रहे तथा आकाशवाणी मंगलूर के प्रभारी केंद्र निदेशक डा० वसंत कुमार पेर्ला ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दी।

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पत्तन के कर्मचारियों हेतु 14 प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें विजेताओं को उक्त समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मूल रूप से हिंदी में टिप्पण/प्रारूपण पेश करने वालों को नकद पुरस्कार भी समारोह में दिए गए। राजभाषा हिंदी के प्रयोग में सौहार्द स्पर्धा बनाए रखने हेतु चलाई जा रही अंतर्विभागीय चलशील्ड योजना के तहत तीन विभागों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय चलशील्ड दिए गए और ये पुरस्कार क्रमशः चिकित्सा, समुद्रीय और प्रशासन विभाग ने हासिल किया। पत्तन के 7 विभागों के 23 अनुभागों में से प्रत्येक विभाग के एक-एक अनुभाग को वहां हो रहे हिंदी कार्य निष्पादन को ध्यान में रखकर ट्राफी देकर सम्मानित किया गया। पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे चिकित्सा विभाग को स्थाई ट्राफी दी गई।

केंद्रीय विद्यालय क्र. 1, देहूरोड, पुणे

सितंबर, 2005 में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु विविध प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों अथवा सदन समूह के सदस्यों का चयन पुरस्कार हेतु किया गया।

दिनांक 30-9-2005 को हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप-प्राचार्य श्री अंसारीजी ने हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डाला। प्राचार्य महोदया ने सहज-सरल, आम बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करने पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम प्रभारी डॉ० डी० आर० वाढ़ेकर ने हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में हार्दिक सहयोग देने हेतु सबके प्रति आभार ज्ञापित किया।

वाप्कोस

कार्यालय के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) मर्यादित (वाप्कोस) में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री डी.दत्ता के निर्देशन व मार्गदर्शन में 01 से 14 सितंबर 2005 तक "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में अधिकारियों/ कर्मचारियों ने सक्रिय रूप में भाग लिया। सभी पात्र प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए हैं।

एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 15 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। इस हिंदी कार्यशाला में राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम व राजभाषा नियमों की व्यापक जानकारी दी गई और हिंदी में काम करने का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया।

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड इंदिरा गांधी मार्ग, सेक्टर-4 बोकारो स्टील सिटी-827 004 बोकारो (झारखंड)

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय बोकारो इस्पात नगर एवं इसकी सभी इकाइयों में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन भव्य ढंग से किया गया। प्रधान कार्यालय में यह पखवाड़ा दिनांक 02-09-2005 से 15-09-2005 तक मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 15-09-2005 को राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कंपनी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री एस० एन० सिंह, उप महाप्रबंधक प्रभारी, नगर सेवाएं, बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात नगर मुख्य अतिथि ने अपने उद्‌बोधन में राजभाषा हिंदी की व्यावहारिकता बढ़ाने के लिए इसे अंत:करण एवं स्वेच्छा से अपनाने पर बल दिया। इस अवसर पर ''बी.आर.एल. दर्पण'' पत्रिका का विमोचन श्री सिंह ने किया। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री, रसायन एवम् उर्वरक तथा इस्पात मंत्री एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का ''संदेश'' श्री सभाजीत सिंह, उप प्रबंधक (राजभाषा एवं प्रशासन) ने सबको पढ़ कर सुनाया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए।

सैन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., जनपथ, नई दिल्ली।

कॉरपोरेशन के मुख्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर 1 सितंबर से 30 सितंबर 2005 तक हिंदी मास का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

हिंदी मास के मध्य में तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भारत सरकार की राजभाषा नीति/सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य एवं दायित्व आदि विषयों पर वस्त्र मंत्रालय, राजभाषा विभाग तथा हिंदी शिक्षण योजना से आमंत्रित वक्ताओं ने वक्तव्य दिए। वक्ताओं ने राजभाषा अधिनियम/नियमों की विस्तृत जानकारी दी तथा यह बताया कि राजभाषा के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हम सभी की है। अत: हम सभी का सहयोग इस कार्य में नितांत आवश्यक है।

प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह 29 सितंबर, 2004 को संपन्न हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में अपने संदेश में प्रबंध निदेशक महोदय ने विजेताओं को हार्दिक बधाई दी तथा यह कहा कि हिंदी क्षेत्र का होने के कारण हमारा दायित्व अन्य लोगों से अधिक है तथा हमें इसका निष्ठापूर्वक निर्वाह करना चाहिए। हिंदी में कार्य करना एक यज्ञ के समान है तथा इसे हम सब जुटकर पूरा करेंगे। उन्होंने प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों की भागीदारी को देखते हुए आशा व्यक्त की कि हिंदी का भविष्य अच्छा है तथा इसे निरंतर बनाए रखा जाए।

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विक्रम साराभाई भवन, मध्य मार्ग, मुंबई-400094

12 से 28 सितंबर, 2005 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान मुख्यालय में कुल छह प्रतियोगिताओं, नामत: रोचक प्रसंग लेखन (क, ख, ग क्षेत्रवार), बातें तस्वीर की (क, ख, ग क्षेत्रवार), घोष वाक्य लेखन, प्रश्नमंच, अंताक्षरी एवं वाद-विवाद (क, ख, ग क्षेत्रवार), का आयोजन किया गया जिसमें कॉरपोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 153 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया एवं कुल 39 प्रतिभागी विजयी घोषित किए गए।

पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दिनांक 17-10-2005 को किया गया, जहाँ विजेता प्रतिभागियों को कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री श्रेयांस कुमार जैन के कर-कमलों से नकद पुरस्कार दिया गया। इसी अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।

भारतीय कपास निगम लिमिटेड शाखा कार्यालय : गुंटूर

शाखा कार्यालय, गुंटूर में दिनांक 14-9-2005 से 28-9-2005 तक हिंदी पखवाड़ा समारोह मनाया गया। श्री टी. भानोजी राव, महा प्रबंधक ने इसकी अध्यक्षता की तथा शाखा के सभी अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज हमारे देश में वैश्वीकरण के कारण हर विषय में स्पर्धा बढ़ती जा रही है। व्यापार हेतु अनेक विदेशी कंपनियाँ भी आ रही हैं। आजकल वे अपने व्यापार को बढ़ावा देने हेतु हिंदी में तथा भारतीय भाषाओं में विज्ञापन दे रहे हैं, ब्रोसर्स इत्यादि हिंदी में भी छपवा रहे हैं। आजकल सभी मोबाइल फोन्स में हिंदी में एस.एम.एस. भेजने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। निजी बैंक भी अपने चैक इत्यादि दस्तावेज द्विभाषी में छपवा रहे हैं। इसका मतलब है हिंदी का महत्व उन विदेशी कंपनियों ने पहचान लिया। कुछ लोगों का कहना है कि दो भाषाओं की क्या जरूरत है। सिर्फ अंग्रेजी काफी है। यदि यह बात सच है तो आजकल निजी कंपनी या विदेशी कंपनी भी अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को लेकर क्यों चल रही है। उनके ऊपर संविधान का दायित्व भी नहीं है। उनके ऊपर कोई नियम भी थोपा नहीं जा रहा है। फिर भी वे हिंदी भाषा को अपने व्यापार का अंग बनाया। इन सब बातों को देखने से हमे ऐसा लगता है कि इन स्पर्धा के दिनों में हिंदी की प्रगति अपने आप होती जाएगी। इस संदर्भ में आने वाली पीढ़ी भी हिंदी भाषा के महत्व को जानते हुए यदि वे स्नातक स्तर तक हिंदी के माध्यम से पढ़ेंगे तो इन स्पर्धा के दिनों में उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। दसवीं कक्षा के बाद इंटर और ग्रेजुएट तक भी हिंदी एक विषय के साथ पढ़ना चाहिए। क्योंकि अखिल भारत स्तर पर नौकरी के लिए कोई भी परीक्षा हिंदी में लिखने का विकल्प भी है।

हिंदी की प्रगति के लिए यहाँ मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आजकल हर क्षेत्र में सूचना-प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक साफ्टवेयर कंपनी भी हिंदी भाषा का महत्व जानते हुए अपने-अपने पैकेज हिंदी में भी बना रही है। कार्यालयीन काम यदि हम पूर्णत: हिंदी में करने की इच्छा रखते हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से यह अत्यंत आसान है।

हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कछार पेपर मिल, पंचग्राम, हेलाकंडी, असम-788802

कछार पेपर मिल में पूरा सितंबर माह ''हिंदी माह पालन समारोह'' के रूप में मनाया गया। माह के पूर्वार्ध में मिल के कार्मिक के लिए हिंदी निबंध, पारिभाषिक शब्द व्यवहार, हिंदी टिप्पण व प्रारूप लेखन तथा अनुवाद की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रशासनिक भवन के प्रशिक्षण केंद्र में 13 एवं 14 सितंबर को राजभाषा पुनश्चर्या कार्यक्रम एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।

30 सितंबर को राजभाषा माह पालन समापन समारोह के अवसर पर उक्त प्रतियोगिताओं के सफल प्रतियोगियों को मिल के अधिशासी निदेशक श्री डी. के. साहा एवं महाप्रबंधक (निर्माण) श्री डी डी अधिकारी ने पुरस्कृत एवं सम्मानित किया।

अधिशासी निदेशक श्री साहा ने इस अवसर पर कहा कि मुझे देश के कोने-कोने में भ्रमण करने का अवसर मिला है, जहाँ मैंने महसूस किया है कि एकमात्र हिंदी भाषा के ज्ञान से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे उन्होंने कहा कि कभी-कभी सुनने को मिलता है कि हिंदी के प्रयोग में बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदी भाषा से सहज, सरल और मधुर भाषा कोई भी नहीं है। जब तक हम इसका उपयोग दिन-प्रतिदिन के कार्यों में नहीं करेंगे, यह कठिन लगेगी। जो लोग हिंदी के विरोध में बातें करते हैं, वे ''नाच न जानै, आंगन टेढ़ा'' की कहावत को चरितार्थ करते हैं। उन्होंने कई दृष्टांत देकर लोगों को अपने जीवन के हर पहलू में हिंदी को अपनाने एवं निरंतर प्रयोग करने पर जोर दिया।

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि., 44, शेक्सपीयर सरणी, कोलकाता-700017

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि., कोलकाता में दिनांक 12 सितंबर से 26 सितंबर 2005 तक बड़े ही उत्साह और सौहार्दपूर्ण माहौल में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्टाफ सदस्यों के लिए अनुवाद निबंध, श्रुतलेखन और सुलेखन प्रतियोगताएं आयोजित की गई जिसमें भागीदारी उत्साहवर्धक रही।

दिनांक 26 सितंबर 2005 को हिंदी पखवाड़ा समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तथा वक्ता के रूप में हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान, पत्रकार तथा हिंदी दैनिक 'प्रभात खबर' के कोलकाता संस्करण के संपादक श्री ओम प्रकाश अश्क ने अपने सारगर्भित और प्रभावशाली भाषण में कहा कि हिंदी अपनी सहजता और बोधगम्यता के कारण बरबस ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। सिनेमा और टी.वी. ने, सामान्य बोलचाल की हिंदी में अन्य भाषाओं के बहुप्रचलित शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग कर, हिंदी के प्रचार-प्रसार को काफी सहज

कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में सरकारी कामकाज को बढ़ावा देने से जनता तथा सरकार के बीच एक सहज संवाद कायम करने में सुविधा होगी।

मुख्य महा प्रबंधक जे० के० राय ने कहा कि देश की मुख्यधारा से जुड़ने तथा विभिन्न भाषा-भाषियों के साथ अपने विचारों के आदान-प्रदान के लिए हिंदी का ज्ञान बहुत जरूरी है। हिंदी गाने, फिल्म और नाटक हिंदी के प्रसार-प्रचार में बड़ी सार्थक भूमिका निभा रहे हैं।

हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि., प्रधान कार्यालय इंदु नगर, उटकमंड, तमिलनाडु-643005

कंपनी के प्रधान कार्यालय में दिनांक 14 सितंबर 2005 से हिंदी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। विजेताओं को दिनांक 23-09-2005 को श्री महेंद्र कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। उन्होंने संगीत पर कर्मचारियों की क्षमता पर प्रकाश डाला। श्री एम० मुरली के प्रार्थना गीत के साथ प्रतियोगिताएँ प्रारंभ हुई। श्री बी० बी० चौधरी ने स्वागत भाषण दिया और डॉ० अंजीत वालिया ने कंपनी में हुई हिंदी कार्यान्वयन के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कर कमलों से विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। श्री पी० माणिक्कम, हिंदी सहायक ने धन्यवाद दिया। राष्ट्रगीत के साथ सभा संपन्न हुई।

हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कं. लि., के अंबत्तूर संयंत्र विपणन कार्यालय में दिनांक 15 सितंबर, 2005 से हिंदी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। हिंदी सप्ताह का समापन समारोह श्री आर० चंद्रशेखरन, उप महा प्रबंधक, विपणन की अध्यक्षता में हुआ। श्री के० कृष्णराज ने स्वागत भाषण दिया। उप महा प्रबंधक, ने समापन भाषण दिया एवं पुरस्कार वितरित किये। श्रीमती संध्या आर० रॉव ने धन्यवाद समर्पित किया।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., लोकताक पावर स्टेशन, कोमकैराप, मणिपुर

प्रत्येक वर्ष की तरह वर्ष 2005 का हिंदी पखवाड़ा/दिवस 01 सितंबर से 14 सितंबर 2005 तक लोकताक पावर स्टेशन में आयोजित किया गया। 01 सितंबर को पखवाड़े का शुभारंभ वरिष्ठ प्रबंधक विद्युत श्री बी० बी० शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी एक सरल भाषा है। अगर हम हिंदी बोल सकते हैं तो थोड़ी मेहनत करके हिंदी लिख भी सकते हैं। हम प्रत्येक भारतवासी को हिंदी अपनानी होगी जिससे जन-जन के विचारों का आदान-प्रदान सरल हो सके और एक दूसरे से अच्छा संपर्क बना रहे। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी में कार्य करने का आह्वान किया।

इस पखवाड़े के दौरान हिंदी और अहिंदी भाषियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक शब्दावली, टिप्पण/मसौदा, कविता पाठ, कंप्यूटर में हिंदी टंकण और विशेषकर श्रुतलेख अहिंदी भाषियों के लिए शामिल थी। हिंदी भाषी कर्मचारियों की अपेक्षा अहिंदी भाषी कर्मचारियों ने दुगने उत्साह के साथ पखवाड़े में भाग लिया।

14 सितंबर 2005 को पखवाड़े के समापन समारोह में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2004 के लिए अंतर विभागीय राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार—मुख्य अभियंता सचिवालय, द्वितीय पुरस्कार—मानव संसाधन विभाग, तृतीय पुरस्कार—सतर्कता विभाग और तीन सांत्वना पुरस्कार क्रमशः भंडार विभाग, लाइन विभाग और वित्त विभाग को दिया गया।

मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में सभी विजेता प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सभी से अपेक्षा की कि सभी विजेता अपने इस विजय अभियान को केवल हिंदी पखवाड़े में पुरस्कार जीतने तक ही सीमित नहीं रखें बल्कि भविष्य में भी अधिकाधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें और दूसरों को भी हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करें तभी उनकी असली जीत होगी।

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. तीस्ता चरण-V, जल विद्युत, परियोजना, बालुटार (पूर्वी सिक्किम)-737134

हिंदी पखवाड़ा 01-09-2005 से 14-09-2005 तक मनाया गया। इस पखवाड़े का आयोजन भाषायी सद्भाव एवं राजभाषा के प्रचार-प्रसार व संवर्धन के प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों में जागृति लाने की दृष्टि से किया गया।

इस पखवाड़े का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री एस०के० मित्तल, महाप्रबंधक ने दीप प्रज्जवलित करके किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी हमारी पहचान है, वह एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करती है। इस तरह वह संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार में लायी जा रही है। हिंदी के बढ़ते प्रयोग को देखकर यह महसूस हो रहा है कि आज हर व्यक्ति के लिए हिंदी सीखना बहुत जरूरी हो गया है। हिंदी सीखने से आप लोग न घबराएं, बल्कि उत्साहपूर्वक सीखें। हिंदी बिल्कुल सरल व तुरंत सीखने वाली भाषा है। हिंदी की महत्ता का उल्लेख करते हुए उन्होंने सूरदास द्वारा विरचित वात्सल्य वर्णन एवं बिहारी-सतसई की पंक्तियों को उद्धृत किया।

हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह दिनांक 14-09-2005 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के पद से श्री एन० के० माथुर, प्रमुख (भू-विज्ञान) ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी पाश्चात्य संस्कृति से इतने अधिक प्रभावित एवं ओतप्रोत हो गए हैं कि अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अपनी संस्कृति को जानने के लिए हिंदी भाषा जानना बहुत जरूरी है। बिना हिंदी जाने हम अपनी संस्कृति को नहीं जान सकते। आज हिंदी की दशा क्या है और किस दिशा की ओर जा रही है, यह आप सभी से छुपी नहीं है। वास्तविकता चाहे जो कुछ भी हो, बिना हिंदी के न तो हम आगे बढ़ सकते हैं और न हमारा देश। हमारी आप सभी से यह गुज़ारिश है कि अपने कामकाज में हिंदी को उतारें और अधिक से अधिक कार्य हिंदी में निष्पादित करके हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद

हैदराबाद स्थित निगमीय कार्यालय में 14 से 20 सितंबर, 2005 तक "राजभाषा सप्ताह" का भव्य रूप से आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत निगम के कार्यरत कर्मचारियों के लिए हिंदी में निबंध, वाक्, प्रश्न-मंच, भक्ति/देश-भक्ति गीत, अन्त्याक्षरी, अनुवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। इनमें सभी वर्गों व भाषाओं के कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर उत्साह के साथ भाग लिया।

कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि तथा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि ईसीआईएल को भी राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार पाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए एवं इसके लिए सभी संबंधितों को हिंदी के कार्यान्वयन में रुचि लेकर, प्रतीति के साथ आस्था जगाकर सभी प्रकार की गतिविधियों एवं कार्यकलापों में गुणवत्तापूर्वक, स्तरीय रूप में प्रामाणिकता, उत्सुकता व जागरूकता के साथ अपना हाथ बटाना होगा।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर किशोरीलाल व्यास (प्रोफेसर, पी.जी. कॉलेज, सिकंदराबाद, उस्मानिया विश्वविद्यालय) ने कहा कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम होती है एवं भारत बहुभाषी राष्ट्र है जिसमें हिंदी एक ऐसी भाषा हैं जिसे अधिकतर भारतवासी आसानी से समझ सकते हैं और इसकी लोकप्रियता एवं व्यावहारिकता के कारण इसे संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी कभी भी किसी भी भाषा के प्रति मन में दुर्भावना नहीं पालनी चाहिए। राजभाषा के प्रति स्वभावात्मक आत्मीय वात्सल्य भाव, शुभचिंतन, सुप्रयास एवं सच्ची इच्छा शक्ति के द्वारा ही हम सभी को मिलजुल कर इसे स्थापित करने में अपना योगदान देना है।

तत्पश्चात् राजभाषा सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा वितरित किये गये।

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामरूप असम-786623

14 सितंबर से 29 सितंबर, 2005 तक बी वी एफ सी एल, नामरूप में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 27 और 28 सितम्बर, को हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। उस कार्यशाला में हिंदी वर्तनी का शुद्ध प्रयोग किस तरह किया जा सकता है उसके संबंध में मुख्य अधीक्षक (प्रशिक्षण) श्री एस० के० मोरया जी ने प्रतिभागी कर्मचारियों को विस्तार से समझाया।

दिनांक 30 सितंबर को निगम के प्रशिक्षण विभाग में हिंदी पखवाड़ा का अंतिम समारोह एवं पुरस्कार प्रदान समारोह

संपन्न हुआ। निगम के हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किया, साथ ही हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को इनाम दिया।

नैशनल टेक्स्टाइल कॉरपोरेशन लि., पोस्ट बॉक्स नं. 2713, तीसरी मंजिल, नंजप्पा मैंशन, 29/2, के.एच.रोड, शांतिनगर बेंगलूर-560 027

दिनांक 01 सितंबर, 2005 से 14 सितंबर, 2005 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

दिनांक 09 सितंबर, 2005 को मुख्यालय में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त/हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मूल रूप से सरकार की राजभाषा नीति एवं हिंदी कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

समस्त प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिनांक 30 सितंबर, 2005 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, होल्डिंग कंपनी द्वारा जारी अपील को पढ़ा गया तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपना अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिंदी में करें। ■

(पृष्ठ 43 का शेष)

कार्यालय में उसका प्रयोग (अभ्यास सहित) विषय पर भी सविस्तार बताया।

संचालक व प्रबंधक (हिंदी) श्री आर. पी. सिंह ने दैनिक हिंदी बुलेटिन—'हिंदी दर्पण' तथा मासिक हिंदी बुलेटिन—'शाब्दिकी' से प्रतिदिन हिंदी लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने आज की सम-सामयिक हिंदी की चर्चा की तथा उसकी उपयोगिता पर बल देते हुए इसे कार्यालय में व्यवहार में लाने का अनुरोध किया तथा कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। श्री सिंह ने प्रोत्साहन देने के लिए संबंधित तीन पुरस्कारों की भी घोषणा की।

कार्यशाला में भारत सरकार की राजभाषा नीति व वार्षिक कार्यक्रम व तिमाही रिपोर्ट, हिंदी टिप्पणी व टिप्पण, हिंदी पत्राचार तथा पारिभाषिक/बैंकिंग शब्दावली (सभी अभ्यास सहित) जैसे अन्य विषयों पर भी विभिन्न वक्ताओं क्रमशः श्री विमल किशोर मिश्र, श्री नागेंद्र कुमार, श्री ओमप्रकाश एन.एस. तथा डा. पन्ना प्रसाद ने सारगर्भित व्याख्यान देकर प्रतिभागियों को प्रेरित करने तथा व्यावहारिक बनाने की कोशिश की जिससे कालांतर में कार्यालय के हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बल मिलेगा तथा स्टाफ-सदस्य अपने दिनोंदिन कार्यालयी कार्यों को हिंदी में कर सकने में सक्षम होंगे।

यह कार्यशाला 5 सितंबर, से 9 सितंबर, 2005 तक बैंक के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। समापन समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री रवि प्रताप सिंह, सहायक निदेशक (हिंदी) पी. एम.जी. कार्यालय, भुवनेश्वर ने हिंदी के महत्व पर अपने विचार रखे तथा हिंदी अनुवाद व कंप्यूटर पर उसका प्रयोग (अभ्यास सहित) विषय पर सारगर्भित सात्रिक व्याख्यान देकर प्रतिभागियों को प्रेरित करने तथा व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया। उन्होंने यहां के हिंदी प्रयोग पर खुशी जाहिर की तथा इसे और आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने निर्णायक की भूमिका भी अदा की। श्री रवींद्र प्रसाद सिंह प्रबंधक (हिंदी) ने मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया तथा उसकी जांच की। ■

संगोष्ठी/सम्मेलन

क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन तिरुवनंतपुरम

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन दिनांक 2 दिसंबर, 2005 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल, केरल, श्री आर. एल. भाटिया थे।

सम्मेलन के शुभारंभ पर सचिव (राजभाषा) श्री देवदास छोटराय ने मुख्य अतिथि तथा विभिन्न कार्यालयों आदि से आए हुए हिंदी सेवियों का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से होती है और हिंदी हमारे राष्ट्र की पहचान है और पूरे देश की संपर्क भाषा है जो कि समग्र राष्ट्र को एकता के सूत्र में जोड़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की नीति राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना करने की है और उसी के अनुरूप क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्थापित किए गए हैं और राजभाषा पुरस्कार प्रदान करने की योजना शुरू की गई है। राजभाषा विभाग ने सूचना प्रोद्यौगिकी के साथ हिंदी को जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं। लीला-प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ पाठ्यक्रम नि:शुल्क उपलब्ध कराए गए हैं जो कि अंग्रेजी, कन्नड़, मलियालम, तमिल, तेलुगु तथा बंगला भाषाओं के माध्यम से खुद ही सीखे जा सकते हैं। इसी प्रकार **मंत्र** नामक अनुवाद का सोफ्टवेयर भी इंटरनेट में नि:शुल्क उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना के द्वारा संघ सरकार के कार्यालयों को अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए समवेत प्रयास का संकल्प दोहराया। सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि भारत एक विशाल देश है जहां कई भाषाओं और अनेक बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। किंतु भारत की सभी भाषाओं की आत्मा एक ही है। इतने महान देश में भाषाओं की विभिन्नता हमारे देश की मूलभूत एकता में कभी बाधक नहीं रही है। वाल्मिकी की परंपरा का निर्वहन जैसे हिंदी में "रामचरितमानस" में हुआ वहां तमिल में "कंबन" द्वारा रचित दक्षिण में रामायण को लोकप्रियता मिली। उन्होंने कहा कि हिंदी में भी भारतीय समाज और संस्कृति की विविधता और एकता, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी की पारिभाषिक स्पष्टता, दर्शन और धर्म की व्यापकता प्रतिबिंबित होनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज और स्वभाषा पर जोर दिया गया था और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की यह मान्यता थी कि यदि हमें भारत में एक राष्ट्र की भावना सुदृढ़ करनी है तो एक संपर्क भाषा होना नितांत अवश्यक है। हिंदी और भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास में दक्षिण भारत के संतों और मनीषियों आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रांतों की स्वैच्छिक संस्थाओं ने भी हिंदी के विकास में विशिष्ट भूमिका निभाई है। फलस्वरूप हिंदीतर भाषी लोगों से हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ा और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। मुख्य अतिथि ने आगे कहा कि सरकार और शासन को जनता की भावनाओं के प्रति निरंतर सजग रहना चाहिए। शासन के कार्यक्रमों की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर होती है कि उन्हें जनता का कितना सहयोग मिलता है और इसमें भाषा की खास भूमिका होती है और राजभाषा हिंदी इस जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रही है। इसके साथ ही आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और यदि आज सूचना और प्रोद्यौगिकी को हिंदी से नहीं जोड़ते हैं तो इससे हिंदी का बड़ा अहित होगा और हम अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में पीछे रह जाएंगे। मुख्य अतिथि जी ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्यालयों को बधाई दी और उनका आह्वान किया कि वे अपने कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहें। प्रथम सत्र के दौरान श्री बी.एन.एस. नेगी, निदेशक, राजभाषा विभाग ने संघ की राजभाषा के बारे में व्याख्यान दिया तथा मुख्य अतिथि का धन्यवाद ज्ञापन श्री मदन लाल गुप्त, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा किया गया। प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. एन.के. अग्रवाल, समूह निदेशक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम थे। राजभाषा विभाग के निदेशक (तकनीकी) श्री वी.के. श्रीवास्तव द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी विषय पर व्याख्यान दिया

तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री वी.एन. झा, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय; बेंगलूर द्वारा किया गया।

राजभाषा सम्मेलन के दूसरे दिन भी दो सत्र आयोजित किए गए। प्रथम सत्र के लिए मुख्य अतिथि थे श्री पी. मोहन, उप महाप्रबंधक, केनरा बैंक। इस सत्र में श्री बी.एम.एस. नेगी, निदेशक, राजभाषा विभाग, श्री अजय मलिक, उप निदेशक (कार्यान्वयन) कोच्चि, श्री बी.एन.झा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) बेंगलूर तथा श्री प्रदीप कुमार सक्सेना, सहायक महाप्रबंधक, सिंडीकेट बैंक द्वारा व्याख्यान दिए गए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन श्री पी. विजय कुमार, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) कोच्चि द्वारा किया गया। द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर पूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग, कोचीन विश्वविद्यालय थे। राजभाषा हिंदी की प्रगति तथा प्रयोग संबंधी विभिन्न व्याख्यान क्रमशः डॉ. एच. परमेश्वरन, सेवानिवृत्त प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलिज, तिरुवनंतपुरम, श्री एम. अयप्पन, प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, श्री आर.जी. गड़कड़ी, महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, डॉ. एस. तंकमणि अम्मा, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, केरल विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए। सत्रांत में धन्यवाद ज्ञापन श्री अजय मलिक, उप निदेशक (कार्यान्वयन) कोच्चि द्वारा किया गया।

सम्मेलन के अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा एक प्रभावशाली पत्र-पत्रिका प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। प्रदर्शनी का अवलोकन महामहिम राज्यपाल द्वारा किया गया तथा इसे बड़ी संख्या में प्रतिभागियों द्वारा देखा गया और सराहा गया। इसके साथ ही भारत सरकार के प्रतिष्ठान सी-डेक द्वारा भी एक कंप्यूटर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

वैज्ञानिक विषयों पर तृतीय अखिल भारतीय विभागीय हिंदी संगोष्ठी, 2005

मौसम विज्ञान के महानिदेशक के कार्यालय (मुख्यालय) में 19 मई, 2005 को वैज्ञानिक विषयों पर तृतीय अखिल भारतीय विभागीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के उपलक्ष्य में दिनांक 11-5-2005 को स्वरचित हिंदी कविता पाठ तथा दिनांक 12-5-2005 को हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। वाद-विवाद प्रतियोगिता का विषय "भारत की बढ़ती जनसंख्या देश की प्रगति में बाधक" रखा गया।

दिनांक 20 मई, 2005 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हिंदी संगोष्ठी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के समारोह पूर्वक आयोजन के लिए मौविअमनि (जल मौसम एवं कृषि) ने एक समारोह समिति का गठन किया जिसकी बैठक श्री एस.आर. कलसी, मौविअमनि (सेवाएं) की अध्यक्षता में 3 मई, 2005 को संपन्न हुई। इस बैठक में समिति के सदस्यों श्री एस. के. बनर्जी मौविअमनि (उवाउ) नई दिल्ली, श्री लखमी सिंह, मौविअमनि, प्रा. मौ. केंद्र, नई दिल्ली, श्री दिनेश चन्द्र सिंह नेगी, वित्त अधिकारी तथा श्री ए. बी. लाल, ज्येष्ठ हिंदी अधिकारी ने भाग लिया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम की अध्यक्षता मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (सेवाएँ) श्री एस०आर० कलसी ने की। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती शालिनी मरवीजा ने किया।

मुख्यालय में दिनांक 11-5-2005 और 12-5-2005 को आयोजित हुई हिंदी वाद-विवाद और स्वरचित हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में मुख्यालय तथा विभाग के दिल्ली स्थित उपकार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हिंदी संगोष्ठी में विभाग के दिल्ली और दिल्ली से बाहर स्थित उपकार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा उपर्युक्त विषयों पर रोचक और ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिए।

हिंदी संगोष्ठी के पहले सत्र की अध्यक्षता श्री ए.के. भटनागर, मौविअमनि (भूकम्प अनुभाग) ने तथा दूसरे सत्र की अध्यक्षता श्री एस.आर. कलसी, मौविअमनि (सेवाएँ) ने की। मुख्यालय में दिनांक 20-5-2005 को अपराह्न 2.30 बजे सेमिनार हॉल में समारोह आयोजित किया गया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरांत श्री एस. आर. कलसी, मौविउमनि (सेवाएं) ने हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र पदान किए।

अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी कार्मिकों से कार्यालय का अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का अनुरोध किया।

दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद मंडल, सिकंदराबाद

दि.15.07.2005 को मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती वंदना सिंहल की अध्यक्षता में हैदराबाद मंडल के यांत्रिक विभाग द्वारा हिंदी में "ट्रेन पार्टिंग, ब्रेक बाइडिंग और स्टॉलिंग" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल गुप्त, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर व मुख्य राजभाषा अधिकारी, द.म. रेलवे ने अपने भाषण में इस प्रकार की तकनीकी संगोष्ठियों के आयोजन की सराहना की। इसे व्यावहारिक रूप में लाने के लिए कहा। उन्होंने फ़ील्ड के कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया, अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि ब्रेक बाइडिंग व स्टॉलिंग में रनिंग स्टाफ की भूमिका अधिक रहती है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रीमती वंदना सिंहल, मंडल रेल प्रबधंक ने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियां फील्ड में आयोजित की जाएं। ऐसे प्रयास आत्म-विश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास होते हैं. उन्होंने यांत्रिक शाखा की अलग से बैठक बुलाकर इस प्रकार के विषयों पर विचार-विमर्श करने का भी सुझाव दिया।

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री ए गोपीनाथ ने कहा कि हिंदी में इस प्रकार की संगोष्ठी हैदराबाद मंडल के त्रिवेणी संगम अर्थात् संबंधित शाखा संरक्षा शाखा तथा राजभाषा अनुभाग के प्रयासों का ही फल है। राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में सब के योगदान का आहवान करते हुए उन्होंने छोटे-छोटे स्टेशनों पर भी इस प्रकार के आयोजन करने का सुझाव दिया।

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर ने इस प्रकार के कार्यक्रमों की सार्थकता पर बल देते हुए कहा कि इससे, कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच संवाद का सृजन होता है।

श्री रामचंदर राव, मंडल संरक्षा अधिकारी ने कहा कि यह विषय फील्ड कर्मचारियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है।

श्री के मोहन राव, सयांजी/पावर ने संगोष्ठी के विषय के संबंध में हैदराबाद मंडल पर किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा दिया।

इससे पूर्व राजभाषा अधिकारी श्री अशोक सेन गुप्ता ने मंडल पर हो रहे राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार की जानकारी दी तथा इसमें वृद्धि का आग्रह किया।

संगोष्ठी का प्रारंभ श्री कुटनीस,सेइंजी/कंट्रोल के एयर ब्रेक सिस्टम तथा ब्रेक बाइडिंग के परिचय से हुआ। उन्होने कारंण व निवारण दोनों की विस्तार से चर्चा की।

गाड़ी विभाजन के संबंध में श्री श्रीनिवास, सेइंजी काचीगुडा ने गाड़ी विभाजन के वर्गीकरण, कप्लिगों के प्रकार तथा उनके टूटने के कारणों के साथ निवारक उपायों की भी विस्तृत जानकारी दी।

श्री किरण कुमार, वरिष्ठ लोको निरीक्षक/ वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर ने गाड़ी विभाजन के लिए खराब चालन को मुख्य कारंण बताया तथा उससे निपटने के उपाय भी बताए।

श्री ए वी आर प्रसाद, व.लो. निरी/काचीगुडा ने स्टॉलिंग के अर्थ को प्रतिपादित करते हुए उसके कारणों तथा निवारक उपायों की जानकारी दी, जिसमें खराब चालन तथा खराब इंजन को मुख्य कारण बताते हुए इसके निवारक उपायों की जानकारी दी। ■

पुरस्कार

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003

निगम के पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय/संपर्क कार्यालयों व विभागों के लिए लागू की गई राजभाषा शील्ड योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2004 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सर्वाधिक/सराहनीय योगदान देने के लिए निगम के 09 पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय/संपर्क कार्यालयों व निगम मुख्यालय के 04 विभागों को राजभाषा शील्ड/प्रशस्ति पत्र व नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। ये सभी पुरस्कार दिनांक 29-9-2005 को निगम मुख्यालय में आयोजित को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के दौरान अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय के कर-कमलों से वितरित किए गए।

लगातार 3 वर्षों से प्रथम/द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए वर्ष 2004 के दौरान भी राजभाषा कार्यान्वयन में सर्वाधिक योगदान देने के लिए "क" क्षेत्र के चमेरा चरण-I पावर स्टेशन को इस वर्ष "उत्कृष्ट" राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रशस्ति-पत्र व नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त "क" क्षेत्र के ही चमेरा-II, टनकपुर, बैरा स्यूल पावर स्टेशनों व चमेरा-III परियोजना तथा "ग" क्षेत्र की तीस्ता-5 परियोजना, लोकतक पावर स्टेशन, दुलहस्ती परियोजना व रंगित पावर स्टेशन को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व प्रोत्साहन पुरस्कार के तौर पर राजभाषा शील्डें व नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी प्रकार निगम मुख्यालय के सीईपी, मानव संसाधन, परामर्शी सेवाएं व प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास विभाग को भी क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार के तौर पर राजभाषा शील्ड व नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही वर्ष 2004 के दौरान शील्ड योजना में भाग लेने वाले सभी विभागों/पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय/संपर्क कार्यालयों (पुरस्कृतों को छोड़कर) को प्रतिभागिता पुरस्कार के तौर पर हिंदी की पुस्तकें प्रदान करने की उद्घोषणा की गई तथा पुस्तकें सीधे पावर स्टेशन/परियोजना/क्षेत्रीय/संपर्क कार्यालय/विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया।

इस अवसर पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय ने उपस्थित सभी पावर स्टेशन/परियोजना/क्षेत्रीय/संपर्क कार्यालयों प्रमुखों/निगम मुख्यालय के विभागाध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि इन प्रतियोगिताओं और पुरस्कारों से निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी तथा वे राजभाषा की प्रगति में अधिकाधिक योगदान देंगे। उन्होंने सभी विजेता विभागों/पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय/संपर्क कार्यालयों की सराहना की तथा राजभाषा की प्रगति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का आह्वान किया।

देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा हिंदी ही हो सकती है।

—लाल बहादुर शास्त्री

आदेश-अनुदेश

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवंबर, 2005

संकल्प

संख्या 14034/17/2005-रा.भा. (प्रशि.).—संसदीय राजभाषा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित,1967)की धारा 4 (4)के अंतर्गत इस विभाग के दिनांक 4 नवम्बर 1991 के संकल्प संख्या 13015/1/91-रा.भा.(घ) के द्वारा सूचित किए गए थे। उस संकल्प के पैरा 5 के तहत दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए संकल्प संख्या 14034/4/99-रा.भा.(प्रशि०)दिनांक 13-02-2001 के तहत यह आदेश दिया गया था कि सभी क्षेत्रों (अर्थात "क", "ख" एवं "ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2005 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

उक्त संकल्प में पुन: आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों (अर्थात् "क", "ख" एवं "ग") में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2008 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

(मदन लाल गुप्ता)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों,सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय,उप-राष्ट्रपति सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का विधि आयोग तथा बार कौंसिल आफ इंडिया को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(मदन लाल गुप्ता)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

दिनांक: 13 जुलाई,2005 का का.ज्ञा. सं. 11011/5/2003-रा.भा. (अनु.)

संकल्प

संसदीय राजभाषा समिति राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अधीन 1976 में गठित की गई थी। समिति द्वारा सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में लेखन कार्य, विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार,सरकारी कामकाज में प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुड़े प्रकाशनों की हिंदी में उपलब्धता, राज्यों में राजभाषा-हिंदी की स्थिति, वैश्वीकरण और हिंदी कंप्यूटरीकरण एक चुनौती से संबंधित प्रतिवेदन का सातवां खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसकी प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई थी। इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4)के अधीन समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है:

क्र. सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
16.5 (क)	केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन निश्चित समय पर प्रत्येक तीन वर्ष पर अवश्य किया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि केंद्रीय हिंदी समिति का कार्यकाल सामान्यत: 3 वर्ष का होगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में इसका कार्यकाल बढ़ाया अथवा कम भी किया जा सकता है।
16.5 (ख)	केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित करने के प्रयास किए जाएं और समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों को तत्परता से लागू किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए तत्परता से आवश्यक कार्रवाई करे।
16.5 (ग)	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष तथा तीनों उपसमितियों के संयोजकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए।	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति केवल सरकारी अधिकारियों की समिति है। अत: यह संस्तुति स्वीकार्य नहीं पाई गई।
16.5 (घ)	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को सक्रियता से लागू किया जाए। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पांच खंडों पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।

क्र. सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
16.5(च)	हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन सही समय पर होना चाहिए तथा बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जानी चाहिएं।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी सलाहकार समिति का गठन/पुनर्गठन समय पर करें और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें करें।
16.5(छ)	हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की कार्यसूची में संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों में केंद्रीय सरकार की राजभाषा नीति की प्रगति के लिए मद जोड़ी जाए तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों पर शीघ्र तथा समुचित रूप से कार्रवाई की जाए, ताकि हिंदी सलाहकार समितियों के गठन का उद्देश्य पूरा हो सके तथा राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित हो सके।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।
16.5(ज)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रधान को स्वयं उपस्थित होना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, उपक्रमों और बैंकों आदि कार्यालयों के प्रमुखों को निदेश दें कि वे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में स्वयं भाग लें।
16.5(झ)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की उच्च स्तर पर पूर्ण निष्ठा से निगरानी और समीक्षा की	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के प्रमुख समिति के निर्णयों पर जानी चाहिए। कार्यवाही की निगरानी व समीक्षा सुनिश्चित करें।
16.5(ट)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें त्रैमासिक रूप में आयोजित की जाएं तथा वर्ष में आयोजित होने वाली चार बैठकों में से कम से कम दो बैठकों में कार्यालय के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से स्वयं भाग लें और बैठकों में लिए गए निर्णयों का पूर्ण रूप से अपने कार्यालयों में अनुपालन कराएं।	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की वर्ष में दो बैठकें अपेक्षित हैं। इन बैठकों में कार्यालय अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भाग लें। इस संबंध में राजभाषा विभाग समुचित निर्देश जारी करें।
16.5(ठ)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में तीन बैठकें समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अलग-अलग कार्यालयों में आयोजित की जाएं	यह संस्तुति स्वीकार्य नहीं पाई गई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें अलग-अलग स्थानों पर आयोजित करना,

क्र. सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
	तथा अंतिम बैठक समिति के अध्यक्ष के कार्यालय में ही आयोजित की जाए और उसमें राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहें ताकि वर्ष भर की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की जा सके और पाई गई कमियों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और उन्हें सामूहिक प्रयास से दूर कर लिया जाए।	बैठक स्थान व अन्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।
16.5(ड)	विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बड़ी सदस्य संख्या को देखते हुए ऐसे नगरों में जहां एक ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, वहां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तीन उप समितियों में विभाजित कर तीन अलग-अलग संयोजक बनाए जाएं एवं उनका अध्यक्ष एक ही हो ताकि सभी सदस्य कार्यालयों में हिंदी के अनुकूल वातावरण बने और राजभाषा नियमों के प्रति जागरूकता आए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-6 में की गई संस्तुति सं. 11.5.17 पर आदेश दिया गया है कि ऐसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को, जिनकी सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक है, दो भागों में बांटा जाए। इस व्यवस्था में अभी परिवर्तन करना सामयिक नहीं है।
16.5(ढ)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा समारोह/संगोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए ताकि राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा हो और अनुकूल वातावरण बने।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.5(त)	प्रत्येक कार्यालय में कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन होना चाहिए तथा नियमित रूप से बैठकें तिमाही आयोजित की जानी चाहिएं। अगली तिमाही बैठक में पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति के पूर्ण और अपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.5(थ)	राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकों के अभिलेख रखे जाने चाहिएं तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों को पूर्ण निष्ठा एवं तत्परतापूर्वक लागू किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.6(क)	राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर देश के भीतर एवं बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों/संगोष्ठियों एवं कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। सभी कार्यालय अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्यक्रम, संगोष्ठी आदि आयोजित करें।

क्र.सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
16.6(ख)	सभी सरकारी कार्यालयों में पुस्तकालय/बुक क्लब आदि की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हिंदी का सरल, सुबोध व रुचिकर साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पाठकों को हिन्दी के पठन-पाठन के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्हें उचित अवसरों पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिए जाने वाले पुरस्कारों की न्यूनतम राशि एक हजार रुपये की जानी चाहिए और पुरस्कारों की संख्या में भी बढोत्तरी की जानी चाहिए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी कार्यालय अपने पुस्तकालय अनुदान की राशि वार्षिक कार्य-क्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च करें और अपने कार्मिकों को उनके पठन-पाठन के प्रति प्रेरित करें। पुरस्कारों की राशि और संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
16.6(ग)	विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के प्रकाशनों की कमी महसूस न हो इसके लिए संबंधित विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लिखने वाले लेखकों को आकर्षक पुरस्कार दिये जाने चाहिएं, साथ ही पुस्तक की उप-योगिता को देखते हुए समुचित रायल्टी देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करें।
16.7(क)	हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करवाने के लिए राजभाषा विभाग कोई पाठ्यक्रम तैयार करे एवं उचित व्यवस्था हेतु अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से ठोस कदम उठाए।	यह संस्तुति सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से एक समुचित पाठ्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करे।
16.7(ख)	गैर सरकारी प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशनों के प्रकाशन की अनुमति देते समय यह पाबंदी अवश्य लगाई जाए कि वे केवल अंग्रेजी भाषा में उन्हें प्रकाशित न करें बल्कि इन प्रकाशनों को डिग्लॉट में हिंदी-अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से छापें।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में छपवाया जाए।
16.7(ग)	प्रत्येक स्तर पर हिंदी के और पदों का सृजन किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। सभी मंत्रालय/विभाग व सभी कार्यालय न्यूनतम हिंदी पदों के संबंध में जारी आदेशों का सरकार के संगत आदेशों को ध्यान में रखते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें।
16.7(घ)	अवर सचिव व इसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों की प्रबंधकीय दक्षता के उन्नयन	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षणों

क्र.सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
	हेतु आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षणों को हिंदी में आयोजित किया जाए।	को प्रमुखत: हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणत: मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए।
16.7(च)	केंद्रीय सेवाओं आदि में कार्यरत अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएं जिनमें व्याख्यान देने के लिए विश्वविद्यालयों के प्रख्यात हिंदी के विद्वानों अथवा अपने विषय को हिंदी के माध्यम से प्रस्तुत करने में सक्षम विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। कार्यशालाओं में प्रख्यात हिंदी के विद्वानों और सक्षम विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए।
16.7(छ)	अधिकारियों के लिए उनके द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले डिक्टेशन व अन्य कार्यों के लिए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें तथा उनका अभिलेख (लेखा-जोखा) रखना अनिवार्य किया जाए तथा मुख्यालय/मंत्रालय स्तर पर इसकी समीक्षा सुनिश्चित की जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जिन अधिकारियों के पास हिंदी आशुलिपिकों की सुविधा उपलब्ध है वे उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग करें। राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा हिंदी में दी जाने वाली डिक्टेशन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
16.8(क)	विधायी विभाग, हिंदी में मूल प्रारूपण के संबंध में प्रशिक्षण के काम को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध रूप में तीन माह के भीतर आरंभ करवाएं ताकि विधि प्रारूपण का कार्य मूल रूप से हिंदी में हो सके।	इसी प्रकार की संस्तुति संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-5, सिफारिश संख्या 10 में की गई थी। उस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हुए आदेश पारित किए गए थे कि "विधायी विभाग विधि विशेषज्ञों/प्रारूपकारों को विधिक सामग्री का मूल प्रारूपण हिंदी में करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।" विधायी विभाग इस संस्तुति के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करे।
16.8(ख)	इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण कार्य छह माह से एक वर्ष की समयावधि में पूरा किया जाए। प्रशिक्षण कार्य की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर विधायी प्रारूपण का कार्य हिंदी में प्रारंभ किया जाए। इस प्रयोजन के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार किया जाए।	यह संस्तुति सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। विधायी विभाग इसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करें।
16.8(ग)	राजभाषा हिंदी में प्रारूपण करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि प्रारूपकार नियमित सरकारी कर्मचारी हैं।

क्र.सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
16.8(घ)	संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन किया जाए ताकि विधायी विभाग मूल प्रारूपण का कार्य हिंदी में कर सके।	(घ) और (च): ये दोनों संस्तुतियां विधायी विभाग को इस निर्देश के साथ भेज दी जाएं कि वे इन पर भारतीय विधि आयोग की सलाह लेकर अपनी सुविचारित टिप्पणी से अवगत कराएं। तदनुसार ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
16.8(च)	संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन के उपरांत उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय से कहा जाए कि वे निर्णय और डिक्री आदि हिंदी में देना प्रारंभ करें ताकि ऐसे अनेक विभाग जो न्यायिक/अर्धन्यायिक स्वरूप के कार्य कर रहे हैं, न्याय-निर्णयन हिंदी में कर सकें। इस समय ऐसे विभाग न्याय-निर्णयन हिंदी में पारित करने में इसलिए असमर्थ हैं क्योंकि उच्च न्यायालयों/ उच्चतम न्यायालय में उनके निर्णयों के विरुद्ध की जाने वाली अपील अंग्रेजी में होती है।	
16.9 (क)	किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए जो न केवल संसदीय राजभाषा समिति में स्थायी रूप से आमंत्रित रहेंगे बल्कि केंद्रीय हिंदी समिति के भी स्थायी सदस्य रहेंगे। इसके लिए हिंदी के किसी विद्वान या हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़े व अनुभवी व्यक्ति की सेवाएं लेना उचित होगा।	यह संस्तुति विचाराधीन है।
16.9 (ख)	सरकारी कार्यालयों में मूल रूप से हिंदी में दैनिक नेमी काम हो सके, इसके लिए उच्च अधिकारी वर्ग को हिंदी में प्रशिक्षित किया जाए। राजभाषा विभाग, संयुक्त सचिव एवं उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करें। मंत्रालयों/विभागों के बाद संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के उच्च अधिकारियों के लिए भी उसी प्रकार कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि मानसिकता में बदलाव आ सके तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारियों का इन कार्यशालाओं में भाग लेना अनिवार्य हो।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.10	सरकारी कार्यालयों के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों से संबंधित विभिन्न संकलनों, नियमावलियों एवं प्रक्रिया साहित्य के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रकाशनों की	

क्र. सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
	हिंदी में सुलभता के लिए संसदीय राजभाषा समिति यह सिफारिश करती है कि :	
16.10 (1)	प्राइवेट प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशन छापने के पूर्व उन्हें सरकार द्वारा प्रकाशन के अधिकार (कापीराइट) की अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि ऐसा प्रावधान पहले से विद्यमान है तो सरकार अथवा इसके किसी विभाग द्वारा कापीराइट हस्तांतरित करने की अनुमति देने के समय संबंधित सामग्री को द्विभाषी मुद्रित कराने की शर्त का प्रावधान किया जाना चाहिए। यदि पुस्तक के आकार के कारण डिग्लाट रूप में छापना असुविधाजनक हो तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के आवरण पृष्ठ पर विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाए कि प्रकाशक/वितरक के पास इस संस्करण का हिंदी रूपांतर भी उपलब्ध है।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में छपवाया जाए।
16.10 (2)	भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन एक अतिरिक्त प्रकोष्ठ का गठन करके उसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे :	
	(क) यह प्रकोष्ठ सभी मंत्रालयों/विभागों के सरकारी प्रकाशनों के मौलिक लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन आदि के कार्य में समन्वय स्थापित करेगा तथा इस प्रकार प्रकाशित साहित्य की सर्वसुलभता सुनिश्चित कराएगा।	(क) से (च): ये संस्तुतियां विचाराधीन हैं।
	(ख) विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों/विभागों/संस्थानों में हिंदी प्रकाशनों की कमी को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करेगा एवं इस क्षेत्र में मौलिक लेखन एवं अन्य भाषाओं में उपलब्ध आवश्यक सामग्री का हिंदी में स्तरीय अनुवाद करने का कार्य सुनिश्चित करेगा।	
	(ग) यह प्रकोष्ठ समस्त सरकारी प्रकाशनों को वर्गीकृत करते हुए एक सूची का संकलन करेगा तथा नियमित रूप से इसका प्रकाशन करेगा। इसके अतिरिक्त नवीन हिंदी प्रकाशनों की उपलब्धता तथा इसके स्रोतों की जानकारी	

क्र. सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
	देते हुए इसमें संशोधनों आदि की ताजा जानकारी उपलब्ध कराते हुए एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करेगा। (घ) प्रकोष्ठ अपने इस प्रयोजन के लिए एक वेबसाइट निर्मित कराएगा तथा इस पर सरकारी प्रकाशनों की उपलब्धता के साथ-साथ हिंदी के प्रसार एवं प्रचार से संबंधित बाजार में विभिन्न सॉफ्टवेयरों की जानकारी आदि प्रदान करेगा। (च) यह प्रकोष्ठ मंत्रालयों/विभागों, सरकारी उपक्रमों में हिंदी प्रकाशनों को उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव मदद एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा।	
16.10 (3)	राजभाषा नीति के कारगर अनुपालन हेतु समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तिका का अद्यतन संस्करण हर दो वर्ष में प्रकाशित करें तथा इसके परिचालन एवं वितरण की ठोस योजना सुनिश्चित करे ताकि राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश एवं इनके संकलन सरकार के सभी छोटे-बड़े कार्यालयों में उपलब्ध हो सके।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.10 (4)	समिति का यह भी सुझाव है कि सरकार प्रकाशन विभाग की मौजूदा कार्यप्रणाली की गहराई से समीक्षा करे तथा इसे राजभाषा नीति के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए समुचित उपाय करे।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में राजभाषा विभाग और प्रकाशन प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करें।
16.10 (5)	निजी प्रकाशनों की तरह सरकारी प्रकाशन समय-समय पर किए गए संशोधनों/परिवर्तनों को शामिल करते हुए इनके नये संस्करण शीघ्र प्रकाशित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त संकलनों की बिक्री की परवाह किए बिना समयबद्ध प्रकाशन निकाला जाए। इन्हें प्रकाशित करने का दायित्व उन संबंधित मंत्रालयों/विभागों पर हो जो इनका निर्धारण करते हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सरकारी प्रकाशनों के संशोधित एवं अद्यतन संस्करण कई वर्षों के बाद पुनर्मुद्रित किए जाते हैं	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में सभी मंत्रालय समुचित कार्रवाई अग्रता के आधार पर सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
	जिससे इनकी उपादेयता सिद्ध नहीं हो पाती, परिणामस्वरूप सरकारी कार्यालय पूरी तरह प्राइवेट प्रकाशनों पर निर्भर रहते हैं। इस स्थिति का समाधान खोजा जाना चाहिए एवं अद्यतन प्रकाशन/मुद्रण हेतु एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।	
16.10 (6)	प्रकाशनों की सुपाठ्यता आदि को ध्यान में रखते हुए इनके आकर्षक मुख्य पृष्ठ/मुद्रण के लिए अच्छे फान्ट, उत्तम गुणवत्ता वाले पृष्ठ एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इन्हें विभिन्न साइजों में तैयार करने के लिए प्रचलित नीति में व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में सभी मंत्रालय विशेष रूप से शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन प्रभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
16.10 (7)	सरकारी प्रकाशनों की सुलभ उपलब्धता के लिए इनका समयबद्ध प्रकाशन किया जाए। इनके बिक्री केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए एवं वर्तमान नीति में आवश्यक बदलाव करते हुए इस कार्य में निजी पुस्तक विक्रेताओं/एजेंसियों की सहायता ली जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में सभी मंत्रालय विशेष रूप से राजभाषा विभाग और प्रकाशन नियंत्रक, शहरी विकास मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
	सरकारी साहित्यों के हिंदी अनुवाद, प्रकाशन एवं इनके वितरण में आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाए ताकि इनकी उपलब्धता मंत्रालयों/विभागों से लेकर छोटे से छोटे कार्यालयों में भी सुनिश्चित हो सके।	
16.11 (क)	समिति ने पाया है कि लगभग सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में माध्यमिक स्तर तक हिंदी की पढ़ाई जारी है। समिति की सिफारिश है कि इसे जारी रखा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय हिंदीतर भाषी राज्यों में माध्यमिक स्तर तक हिंदी पढ़ाई को जारी रखने की समुचित कार्रवाई करें।
16.11 (ख)	अहिंदी भाषी संघ शासित क्षेत्रों में हिंदी का स्तर ऊंचा उठाने के लिए समुचित प्रयास किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर आवश्यक कार्रवाई करें।
16.11 (ग)	"क" एवं "ख" क्षेत्रों में स्थित सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में हिंदी की शिक्षा प्राथमिक स्तर से आरंभ कर दसवीं कक्षा तक अनिवार्य की जाए। हिंदी विषय में निर्धारित	यह संस्तुति सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है। शिक्षा विषय समवर्ती सूची में है इस बारें में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी राज्य सरकारों से परामर्श

क्र. सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
	अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना आवश्यक माना जाए। बारहवीं कक्षा तक हिंदी को एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। अगली पंचवर्षीय योजना में हिंदी की शिक्षा का यथोचित प्रावधान किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इसके लिए समुचित सहायता उपलब्ध कराई जाए।	करके समुचित कार्रवाई करे।
16.11 (घ)	"क", "ख" तथा "ग" क्षेत्रों की राज्य सरकारों तथा राज्य और संघ सरकार के बीच आपसी पत्राचार आदि की भाषा के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जाए।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।
16.11 (ङ.)	अहिंदी भाषी राज्यों, जहां विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग नहीं हैं, में उच्च शिक्षा एवं शोध हेतु हिंदी विभाग खोले जाएं। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहल की जाए।	यह संस्तुति सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। इसके क्रियान्वयन मानव के लिए संसाधन विकास मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करने पर विचार करे।
16.12 (क)	विनिवेश के संदर्भ में समिति यह सिफारिश करती है कि जिस भी उपक्रम में सरकारी भागीदारी हो, चाहे कम या ज्यादा, राजभाषा नीति यथावत लागू रहेगी।	इस संस्तुति पर राजभाषा विभाग संबंधित मंत्रालयों से चर्चा करें।
16.12 (ख)	बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ स्वदेशी कंपनियां, जो अपने उत्पाद की बिक्री अथवा उसके प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी का सहारा ले रही हैं, उनके लिए यह बाध्य किया जाए कि वे सरकार के साथ पत्राचार हिंदी में ही करें साथ ही सरकार भी उनके साथ पत्राचार हिंदी में ही करे।	राजभाषा विभाग इस विषय में संबंधित पक्षों से चर्चा करें।
16.12 (ग)	भारतीय उत्पादों को विदेशों में उनकी बिक्री के लिए विदेशी भाषा के साथ हिंदी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए।	यह संस्तुति सिद्धांततः स्वीकार कर ली गई है।
16.13 (क)	चूंकि कंप्यूटर पर अंग्रेजी में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक से अधिक दो सप्ताह में कंप्यूटर पर हिंदी का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को दो वर्ष की समय-सीमा में कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण दिया जाए।	इस संस्तुति का अनुपालन करने का सभी मंत्रालय प्रयास करें।

क्र. सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
16.13 (ख)	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में एक "सूचना प्रौद्योगिकी मिशन" स्थापित किया जाए, जो हिंदी सॉफ्टवेयर के संबंध में अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं पर कार्य करे। यह "सूचना प्रौद्योगिकी मिशन" कांप्लेक्स नेटवर्क प्रणाली का उपयोग कर रहे भारत सरकार के अन्य विभागों जैसे रेल, डाक-तार, बैंक, दूरसंचार, नागर विमानन, विद्युत आदि के साथ समन्वय करे ताकि वे भी अपना विशिष्ट सॉफ्टवेयर पैकेज हिंदी में विकसित कर सके।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे।
16.13 (ग)	यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत सरकार के सभी विभागों में केवल वही सॉफ्टवेयर लगाया गया है तथा उपयोग में लाया जा रहा है जिसका हिंदी में उपयोग किया जा सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक प्रमुख भूमिका अदा करे।	यह संस्तुति स्वीकार कर ली गई है। इस बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करे।

(मदन लाल गुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का विधि आयोग तथा बार कौंसिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाए।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए।

(मदन लाल गुप्ता)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 10 अक्तूबर, 2005 का का.ज्ञा. सं. 19016/1/2005/के हि प्र सं/हि टा प पा/5745-7745

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिंदी टाइपलेखन का प्रशिक्षण-31वां सत्र (फरवरी, 2006 से जुलाई, 2006)

भारत सरकार के आदेशानुसार केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के सभी अवर श्रेणी लिपिकों/अंग्रेजी टाइपिस्टों के लिए सेवाकालीन हिंदी टंकण प्रशिक्षण अनिवार्य है। हिंदी टाइपलेखन पत्राचार पाठ्यक्रम का 31वां सत्र फरवरी, 2006 से प्रारंभ किया जा रहा है। पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह की होगी।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस पाठ्यक्रम के ब्यौरों के बारे में अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा सभी उपक्रमों, निगमों, बैंकों, उद्यमों, निकायों और अभिकरणों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराएं। पाठ्यक्रम के 1-2-2006 से प्रारंभ होने वाले 31वें सत्र में प्रवेश के लिए पात्र कर्मचारियों के नाम तथा आवेदन पत्र, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक कार्यालय संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर यथाशीघ्र अधिकतम दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक उपनिदेशक (टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 को भेजना सुनिश्चित करें। **साथ ही यह सूचना भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि इस सत्र में नामित करने के उपरांत आपके कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए कितने कर्मचारी शेष हैं।**

3. कृपया कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि पत्राचार पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण क्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सके :—

(I) केवल उतने ही कर्मचारियों को नामित करें जिनको कार्यालय में अभ्यास के लिए हिंदी टाइपराइटर/कंप्यूटर उपलब्ध कराए जा सकें।

(II) पाठ्यक्रम में प्रविष्ट कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पूरा करना एवं परीक्षा में बैठना अनिवार्य है और गैरहाजिरी को कर्त्तव्य की अवहेलना माना जाता है अत: यह सुनिश्चित कर लें कि :—

(क) प्रशिक्षण के दौरान शैक्षिक या विभागीय परीक्षा या किसी अन्य कारणों से लंबी छुट्टी पर जाने वाले अथवा लंबे दौरों पर रहने वाले कर्मचारियों को नामित न किया जाए।

(ख) प्रशिक्षण सत्र के दौरान नामित प्रशिक्षार्थी का यथासंभव अन्यत्र स्थानांतरण न किया जाए। ऐसी स्थिति से प्रशिक्षार्थी के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(III) ऐसी व्यवस्था करें कि सभी कर्मचारी उप निदेशक, (टंकण पत्राचार) द्वारा भेजी गई पाठ्य सामग्री का निदेशानुसार अभ्यास करें और अभ्यास की गई सामग्री जांच के लिए अवश्य भेजें।

(IV) सत्र के मध्य में किसी भी कर्मचारी को किसी भी कारण से नाम वापिस लेने अथवा प्रशिक्षण बंद करने अथवा किसी दूसरे प्रशिक्षण पर जाने की अनुमति न दें।

4. **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पर्सनल कॉंटेक्ट प्रोग्राम)** पाठ्यक्रम का आवश्यक भाग है, जिसके द्वारा प्रशिक्षार्थियों की समस्याओं/शंकाओं का समाधान किया जाता है और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अत: प्रशिक्षण के दौरान आयोजित किए जाने वाले व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को अवश्य भेजें। इस दौरान उन्हें शासकीय ड्यूटी पर माना जाएगा।

(निदेशक)

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिंदी टाइपलेखन प्रशिक्षण से संबंधित विवरण

प्रशिक्षण के लिए पात्रता

(1) यह पाठयक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन निकायों, निगमों, कंपनियों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अवर श्रेणी लिपिकों, टाइपिस्टों व अन्य लिपिकीय वर्गों के लिए है जो हिंदी टाइपलेखन नहीं जानते हैं और जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है तथा जो ऐसे स्थानों पर कार्यरत हैं, जहां राजभाषा विभाग के अंतर्गत हिंदी टाइपलेखन प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

(2) इस पाठ्यक्रम में केवल वही कर्मचारी भाग ले सकेंगे जो पहले से ही अंग्रेजी टाइपलेखन जानते हों और जिन्हें हिंदी का कम से कम प्रवीण अथवा मिडिल (कक्षा आठ) स्तर का ज्ञान है।

(3) जिन कर्मचारियों के कार्यालय/कार्यस्थल हिंदी टंकण प्रशिक्षण के नियमित/अंशकालिक केंद्रों से आठ किलोमीटर अथवा इससे अधिक की दूरी पर स्थित हैं, उनकी आवागमन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों/उपक्रमों आदि के कर्मचारियों को भी यह छूट दी जा सकती है परंतु उनके प्रशिक्षण के लिए प्रथम प्राथमिकता नियमित प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश लेने के लिए ही होगी।

(4) जिन कर्मचारियों को संख्या की अधिकता अथवा अन्य कारणों से नियमित अथवा अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश नहीं मिल पाता, उन्हें पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों के आवेदन पत्र उनके कार्यालय प्रमुखों द्वारा इस आशय के प्रमाण-पत्र के साथ भेजे जाएं कि उन्हें नियमित/अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश नहीं मिल पाया है।

(5) वे आशुलिपिक जो केवल हिंदी टंकण का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और जिन्हें उनके कार्यालयों द्वारा नियमित प्रशिक्षण के लिए छोड़ा जाना संभव नहीं है, उन्हें पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

(6) उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और हिंदी अनुवादकों को स्वैच्छिक आधार पर इस पाठ्यक्रम द्वारा हिंदी टाइपलेखन के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है। सहायकों और उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों में ग्रुप ''ग'' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो दूसरे कार्यालयों में उनसें मिलता-जुलता कार्य करते हों न कि पर्यवेक्षण कार्य और जिनके भिन्न पदनाम हैं,जैसे लेखा परीक्षा विभाग में प्रवरण लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक। हिंदी अनुवादकों के पदों का अभिप्राय ग्रुप ''ग'' के उन कर्मचारियों से भी है जो अनुवाद कार्य करते हों न कि पर्यवेक्षण कार्य और जिनके लिए भिन्न पदनाम हों जैसे लेखा परीक्षा विभाग में अनुवादक के कार्य में लगे हुए कनिष्ठ/वरिष्ठ हिंदी अनुवादक आदि या अनुभाग अधिकारी, प्रवरण लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षक, रेल विभाग में हिंदी सहायक आदि।

(7) जो राजपत्रित अधिकारी हिंदी टाइपलेखन सीखना चाहते हैं परंतु अपनी कार्य की प्रकृति के कारण नियमित प्रशिक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं उठा सकते, उन्हें भी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है, परंतु उन्हें इसके लिए किसी भी प्रकार के वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन देय नहीं होंगे।

अपात्रता : निम्नांकित कर्मचारी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे :

(1) जो कर्मचारी केंद्र सरकार की सेवा में प्रवेश करने से पहले यह बता चुके हैं कि वे हिंदी टाइपलेखन जानते हैं, या

(2) जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से पहले ही हिंदी टाइपलेखन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, या

(3) जो हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा स्कंध) द्वारा आयोजित हिंदी टाइपलेखन की परीक्षा में फेल हो चुके हैं, या

(4) जो कर्मचारी तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए हैं।

आयु सीमा : इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं हैं।

परीक्षा शुल्क :

केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। किंतु निगमों/निकायों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/ उद्यमों और कंपनियों आदि को अपने प्रति प्रशिक्षार्थी के लिए रू. 40 (चालीस रुपये मात्र) परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट देना होगा, जो **उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पदनाम से देय होगा।** यदि एक ही कार्यालय के एक से अधिक कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए प्रविष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में एक ही समेकित ड्राफ्ट भेजा जाए।

सुविधाएं

(1) इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रविष्ट कर्मचारियों को निर्देश पत्रक और पाठ्य सामग्री उप निदेशक (टंकण पत्राचार) द्वारा निशुल्क भेजी जाएगी और पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वापस नहीं ली जाएगी।

(2) पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत कर्मचारियों को अभ्यास करने के लिए हिंदी टंकण मशीनें तथा कंप्यूटर उनके कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 31-12-1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14020/2/77-रा.भा. (घ) अनुसार इस पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियों के लिए माना जाएगा कि वे अपना प्रशिक्षण निजी तौर पर ले रहे हैं। अत: राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 12-7-1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12011/4/89-रा.भा. (घ) के अनुसार इस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अन्य प्रोत्साहन धनराशि के अतिरिक्त रुपये 400/- का एक मुश्त पुरस्कार भी प्राप्त होगा। (का.ज्ञा. सं. 18/3/94-हि.शि.यो. (मु.), दिनांक 16 फरवरी, 1995)

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिंदी टाइपलेखन प्रशिक्षण
(सत्र फरवरी से जुलाई, 2006)

आवेदन-पत्र

1. नाम :
2. माता/पिता/पति का नाम :
3. पदनाम :
4. कार्यालय का पूरा पता :
5. दूरभाष संख्या :
6. जन्म तिथि :
7. मातृभाषा :
8. हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण परीक्षा का नाम (कम से कम प्रवीण या आठवीं स्तर तक) :
9. अंग्रेजी में टाइपिंग गति :
10. प्रशिक्षण किससे प्राप्त करेंगे : :
    मैनुअल टाइपराइटर द्वारा
    कंप्यूटर द्वारा
11. प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध : :
    मैनुअल टाइपराइटरों की संख्या
    कंप्यूटरों की संख्या :
12. नामित करने वाले अधिकारी का नाम, पता तथा टेलीफोन नं. :

मैं घोषणा करता/करती हूं कि

1. मैंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।
2. प्रशिक्षण के दौरान मेरे लंबी छुट्टी पर जाने की कोई संभावना नहीं है। अपरिहार्य परिस्थिति में छुट्टी जाने पर की स्थिति में मैं अभ्यास की कमी को विशेष प्रयत्नों द्वारा पूरा करूंगा/करूंगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

संपर्क अधिकारी (हिंदी)

प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर, कार्यालय मोहर सहित

राजभाषा विभाग के. हि. प्र. संस्थान, नई दिल्ली का दिनांक 14 अक्तूबर, 2005 का का.ज्ञा. सं. 19011/20/के. हि. प्र. सं./नु नि (सं.)/674-2173

विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशाला की समय-सारणी तथा विवरण-वर्ष 2006

महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस संस्थान द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। उक्त, कार्यशालाओं में दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी भाग लेते हैं।

वर्ष 2006 में आयोजित की जाने वाली हिंदी कार्यशालाओं की समय--सारणी अनुलग्नक-1 में दी जा रही है, ताकि आप पूरे वर्ष का कार्यक्रम प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखकर एक साथ तैयार कर सकें।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को यहां दी गई कार्यशालाओं की समय--सारणी के अनुसार नामित कर संस्थान को अग्रेषित करें, जिससे कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को अधिक गतिशील, उपयोगी एवं व्यावहारिक बनाया जा सके।

कार्यशाला का उद्देश्य :—

1. (क) विभिन्न विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को उनका सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अभिप्रेरित करना।

(ख) विभिन्न विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके कार्यालयीन काम को हिंदी में करने की झिझक को दूर करना।

(ग) कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने की दक्षता (लेखन कौशल) प्रदान करना।

2. राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों को कहा गया है कि उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त है और जिन्हें कार्यशाला में अभी तक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।

3. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त उसे कहा जाएगा जिस कर्मचारी ने:—

क. मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

ख. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, या

ग. यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

4. हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त उसे कहा जाएगा, जिस कर्मचारी ने:—

क. मैट्रिक परीक्षा या समतुल्य या उससे उच्चतर कोई अन्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है, या

ख. केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण की है, या

ग. केंद्रीय सरकार द्वारा उसके निमित विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

घ. यदि वह राजभाषा नियम, 1976 के साथ संलग्न फार्म में यह घोषणा करता है कि उसने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

5. जो अधिकारी/कर्मचारी गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण ले चुके हैं, परंतु जिन्हें हिंदी में कार्यालय के कार्य करने में अभी कठिनाई होती है, उन्हें भी इन कार्यशालाओं में भेजा जा सकता है, परन्तु प्राथमिकता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को ही दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक किसी हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

6. कार्यशालाओं का समय प्रात: 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक निर्धारित है।

7. अनुरोध है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/कंपनियों/अभिकरणों/ स्वायत्त संस्थानों आदि के अधिकारी/कर्मचारियों के नाम पदनाम और टेलीफोन नं. सहित अधिक से अधिक संख्या में कार्यशालाओं में नामित करके इस संस्थान को तत्काल सूचित करें। प्रवेश "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" के आधार पर दिया जाएगा।

8. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि जो भी देय होगा, वह नामित प्रतिभागी के कार्यालय/संगठन द्वारा ही वहन किया जाएगा, इस संस्थान द्वारा नहीं।

9. प्रशिक्षणार्थियों को अपने आवास तथा भोजन की व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी।

10. प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र तथा कार्यमुक्ति आदेश दिया जाएगा।

11. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुष्टि दिए जाने के आधार पर ही प्रतिभागियों को गहन हिंदी कार्यशालाओं में प्रवेश दिया जाएगा।

12. प्रशिक्षण केंद्र का पता :—

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे.एंड के. हाऊस के सामने),
राजस्थान भवन के नजदीक, नई दिल्ली-110011.

13. बस रूट :— नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से—एम-13, 56 (संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड तक), पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 502, अ.रा. बस अड्डे से 501, 502, 533, 621.

14. गहन हिंदी कार्यशालाओं की समय-सारणी के लिए अनुलग्नक—देखने का कष्ट करें।

(निदेशक)

प्रशिक्षण कार्यक्रम-कैलैंडर 2006—

गहन हिंदी कार्यशालाएं

(15) पाँच पूर्ण कार्य-दिवसीय

क्र. सं.	कार्यशाला	प्रशिक्षण-अवधि
1.	287	16-01-2006—20-01-2006
2.	288	13-02-2006—17-02-2006
3.	289	06-03-2006—10-03-2006
4.	290	20-03-2006—24-03-2006
5.	291	17-04-2006—21-04-2006
6.	292	01-05-2006—05-05-2006
7.	293	05-06-2006—09-06-2006
8.	294	19-06-2005—23-06-2006
9.	295	03-07-2006—07-07-2006
10.	296	21-08-2006—25-08-2006
11.	297	18-09-2006—22-09-2006
12.	298	17-10-2006—21-10-2006
13.	299	06-11-2006—20-11-2006
14.	300	20-11-2006—24-11-2006
15.	301	18-12-2006—22-12-2006

राजभाषा विभाग, कें. हिं. प्र. संस्थान नई दिल्ली का दिनांक 14 अक्तूबर, 2005 का का.ज्ञा. सं. 19011/22/2005 कें. हि. प्र. सं/उनि (सं)/3674 से 5173

विषय:—समस्त मंत्रालयों/विभाग/सरकारी उपक्रम/बैंक/निगम/निकाय/लोक उद्यम/संगठन आदि के प्रबंधक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिंदी अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य-दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन वर्ष -2006.

महोदय/महोदया,

भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के सहायक निदेशकों (राजभाषा)/हिंदी अधिकारियों द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में अपनी सफल भूमिका सक्षमतापूर्वक निभाने की दृष्टि से वर्ष 1999 से 2005 तक कुल (इकतीस-31), अभिमुखी कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान पाया गया है कि कार्यक्रमों के लिए नामित अनेक अधिकारी प्रशासनिक/व्यक्तिगत या आकस्मिक कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता स्वीकार करते हुए प्रशिक्षण दिए जाने का अनुरोध किया है। वर्ष 2006 में चलाए जाने वाले अभिमुखी कार्यक्रमों की सूची को अद्यतन बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/निगमों/बीमा कंपनियों/लोक उद्यमों आदि में प्रशिक्षण के लिए शेष सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिंदी अधिकारी, उप/सहायक प्रबंधक (राजभाषा) को पुन: नामित करने का कष्ट करें।

संबंधित प्रतिभागियों को अपने आवास तथा भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा यात्रा, भत्ते आदि का भुगतान यदि देय होगा तो आपके कार्यालय/संस्थान द्वारा दिया जाएगा। ये कार्यक्रम 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे.के. हाउस के सामने), नई दिल्ली-110011 स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित किए जाएंगे। जिस अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारी को प्रवेश दिया जाएगा, उसकी पुष्टि इस कार्यालय द्वारा यथासमय की जाएगी।

(निदेशक)

अनुलग्नक-II

II-अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम

(02) पाँच पूर्ण कार्य-दिवसीय

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण-अवधि
1.	राजभाषा अधिकारियों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	20-02-2006 से 24-02-2006
2.	राजभाषा अधिकारियों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	04-12-2006 से 08-12-2006

राजभाषा विभाग, के. हिं. प्र. संस्थान नई दिल्ली का दिनांक 14 अक्तूबर, 2005 का का. ज्ञा. सं. 19011/21/2005 के. हि. प्र. सं/उ.नि. (सं)/2174 से 3673

विषय:—भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के संबंध में—पांच पूर्ण कार्य दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन वर्ष -2006.

महोदय/महोदया,

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उपर्युक्त संदर्भानुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षकों के लिए चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वर्ष 2005 तक कुल 432 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। चूंकि अभी भी ऐसे संकाय सदस्यों (Faculty Members) की संख्या काफी है, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाना शेष है, अत: 2006 में भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने का निर्णय किया गया है।

वर्ष 1992 से 2005 तक आपके कार्यालय द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को नामन सूची प्रेषित की जाती रही है। कृपया ऐसे संकाय सदस्यों/प्रशिक्षकों के नाम संलग्न प्रपत्र में मांगी गई अन्य सूचनाओं सहित 15 जनवरी, 2006 तक पुन: भिजवाने का कष्ट करें, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान तो है, लेकिन उन्हें हिंदी में प्रशिक्षण देने में कठिनाई आती है ताकि इस कार्यक्रम में दिए जाने वाले प्रशिक्षण द्वारा उनकी हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त बनाया जा सके।

संबंधित प्रतिभागियों को अपने आवास तथा भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा यात्रा, भत्ते आदि का भुगतान यदि देय होगा तो आपके कार्यालय/संस्थान द्वारा दिया जाएगा। ये कार्यक्रम 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे.के. हाउस के सामने), नई दिल्ली-110011 स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित किए जाएंगे। जिस अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारी को प्रवेश दिया जाएगा, उसकी पुष्टि इस कार्यालय द्वारा यथासमय की जाएगी।

(निदेशक)

प्रपत्र

1. प्रशिक्षक का नाम .....
2. पदनाम .....
3. मातृभाषा .....
4. वर्तमान तैनाती स्थल.....
5. शैक्षिक/तकनीकी अर्हता.....
6. हिंदी का ज्ञान.....

प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

संस्थान/कार्यालय का पूरा पता .....

.....

टेलीफोन नंबर: .....

अनुलग्नक-III

II-अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम

(01) पाँच पूर्ण कार्यदिवसीय

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण-अवधि
1.	प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए	09-06-2006—13-06-2006

लेखक कृपया ध्यान दें

'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किए जाते हैं। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। लेख ए-4 आकार के कागज़ पर टाइप किया हुआ होना चाहिए, जो सामान्यतः तीन हज़ार शब्दों से अधिक का न हो। कृपया नोट करें कि हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है और यह इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई है।

यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। कृपया इस संबंध में पत्राचार न करें। कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें:—

संपादक/उप संपादक,
राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
कमरा सं. ए-2, द्वितीय तल,
लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती का अंक 108 (जनवरी-मार्च 2005) मिला। एक लंबे अंतराल के बाद पत्रिका पढ़ने का अवसर पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। पत्रिका के इस अंक को पढ़ने के बाद पत्रिका में अनेक सुखद परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। हिंदी के राजभाषा, राष्ट्रभाषा रूपों, गतिविधियों, पुरस्कारों, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण आदि पर तो पत्रिका केंद्रित है ही, इसके अतिरिक्त साहित्यिक, पत्रकारिता, मानवाधिकार, कृषि, संस्कृति आदि क्षेत्रों तथा विभिन्न प्रदेशों के हिंदी-प्रेमी विद्वानों को पत्रिका से जोड़कर सचमुच पत्रिका को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया है। लेखों के चयन, संपादन एवं प्रस्तुतीकरण में संपादकीय कौशल एवं सूझबूझ परिलक्षित होती है। चिंतन के अंतर्गत प्रस्तुत श्री बालेश्वर राय, प्रो. सूरजभान सिंह, राजमणि तिवारी, जोगेंद्र सिंह के लेख, साहित्यिकी में प्रो. महावीर सरन जैन तथा संस्कृति में डॉ. बीरेंद्र कुमार सिंह के लेखों ने विशेष रूप से प्रभावित किया।

—डॉ. रवि शर्मा, प्रभारी, हिंदी-विभाग,
श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-7

राजभाषा भारती के 108 अंक में हिंदी तथा हिंदीतर क्षेत्रों के विद्वानों से भाषा, विज्ञान, तकनीक तथा टेक्नोलॉजी आदि विषयों पर प्राप्त लेखों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। राजभाषा विभाग के सचिव श्री बालेश्वर राय जी ने अपने ''सु-शासन में राजभाषा की भूमिका एवं प्रासंगिता'' नामक लेख में शिक्षा तथा राजभाषा हिंदी को जनकल्याण से जोड़ा है। जिसे एक प्रबुद्ध विद्वान ही कर सकता है। इसके साथ पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ पठनीय हैं। डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल जी का 'हिंदी राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी' नामक लेख बड़ी मेहनत से लिखा गया है; जो कि गंभीर चिंतन के फलस्वरूप ही हो सकता है।

मुझे आशा है कि आप जैसे प्रबुद्ध विद्वान एवं संपादक के माध्यम से राजभाषा का और भी प्रचार-प्रसार होगा। इसके साथ ही ''राजभाषा भारती'' में दिन-प्रतिदिन और रचनात्मक निखार आएगा। इसी मंगल कामना के साथ इतनी उच्च स्तरीय पत्रिका प्रकाशित करने हेतु मेरी बधाई स्वीकार करें।

—डॉ जयंती प्रसाद नौटियाल
मुख्य प्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग,डा. पे. सं. 88 मंगलूर-575001

आपके द्वारा संपादित ''राजभाषा भारती'' का अप्रैल-जून का अंक पढ़ा। इस सराहनीय कार्य के लिए साधुवाद।

—मनोहर लाल बाथम
अपर उप महानिरीक्षक (सामान्य), सीमांत मुख्यालय, सी.सु. बल,
पोस्ट-जी सी, सी आर पी एफ,गांधीनगर, गुजरात-382042

काफ़ी वर्षों के अंतराल के बाद ''राजभाषा भारती'' का 109वां अंक पाकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। देश-विदेश के मूर्धन्य विद्वानों के विचारों, राजभाषा से संबंधित समसामयिक लेखों को पढ़कर एक राजभाषा प्रेमी कितना ऊर्जावान हो उठता है, इसका अनुभव पत्रिका के संपादक मंडल को अवश्य है।

पत्रिका में प्रकाशित सभी सामग्री पत्रिका के नाम और उसके ऊँचे स्तर के अनुरूप तो होती ही है, इसमें किसी को शायद संदेह नहीं हो सकता। यहाँ मैं विद्वान लेखिका 'श्रीमती इंदुबाला जी' की प्रशंसा चाहकर भी रोक पाने में असमर्थ हूँ, उन्होंने अपने लेख ''सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयाँ एवं उनका समाधान'' में अपने जो विचार प्रकट किए हैं, वह मर्मस्पर्शी और पूरी तरह से सच्चाई का एक जीता जागता दस्तावेज है। लेखिका के विचार अधिकांश भारतीय जनमानस के विचार हैं, जो हृदय में एक विद्युत तरंग भर देते हैं। काश ? लेखिका के विचारों पर गहराई से विचारकर उसे अमलीजामा पहनाया जा सकता।

—सी.डी. सिंह,
उप प्रबंधक (रा.भा.) रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लि.
भायखला आईरन वर्क्स, पो. बॉ नं. 4503, सर जे जे रोड, भायखला, मुंबई-400008

राजभाषा भारती अंक 109 में प्रो. योगेश चंद्र शर्मा का लेख 'ब्राह्मण ग्रंथ' सूचनाप्रद एवं संग्रेरक है। प्राचीन साहित्य के रत्नों का इस रूप में प्रकाशन अभिनंदनीय है। सुसंपादन हेतु बधाई स्वीकारें।

—डा. कृष्ण नारायण पांडेय,
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
आयुप विभाग, रेड क्रॉस बिल्डिंग, नई दिल्ली

राजभाषा भारती प्रशंसनीय ही नहीं वरन् संग्रहणीय है। राजभाषा हिंदी से संबंधित लेखों में राजभाषा हिंदी के बढ़ते विकास क्रम राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के वर्चस्व को, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में भाषा की क्रांति, चलचित्रों में हिंदी के प्रयोग एवं उसके प्रभाव को दर्शाते लेख वास्तव में संग्रहणीय हैं। प्रो. सूरजभान सिंह का लेख ''सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा क्रांति'', डॉ. अर्चना गौतम का ''फिल्मों में हिंदी के प्रयोग की स्थिति और संभावना'', श्री राजमणि तिवारी का ''राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी'', श्री जोगेन्द्र सिंह का ''अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी का प्रयोग'' लेख विशेषकर ज्ञानवर्धक हैं।

हिंदी दिवस से संबंधित विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों, संस्थानों की सारगर्भित जानकारी प्रशंसनीय है।

श्रेष्ठ संपादन, स्तरीय सामग्री संकलन के लिए संपादक मंडल को बधाई एवं पत्रिका के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ।

—राजेंद्र खरे,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/राजभाषा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम का कार्यालय, मध्य प्रदेश ''लेखा भवन'', ग्वालियर-474002

राजभाषा विभाग, नई दिल्ली की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका ''राजभाषा भारती'' अंक : 108 (जनवरी-मार्च, 2005) की एक प्रति साभार प्राप्त हुई, धन्यवाद।

पत्रिका में प्रकाशित लेख ''सु-शासन में राजभाषा की भूमिका एवं प्रासंगिकता'', ''सूचना प्रौद्योगिकी और भाषा क्रांति'', ''हिंदी राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी'', ''राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी'' तथा ''अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी का प्रयोग'' इत्यादि लेख बहुत अच्छे लगे।

राजभाषा संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, नराकास की बैठकें, हिंदी कार्यशालाएँ और हिंदी दिवस की रिपोर्टों से भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों की गतिविधियाँ मालूम हुईं।

पत्रिका में प्रकाशित अन्य लेख ज्ञानवर्धक हैं।

—नरसिंह राम
सहायक निदेशक (राजभाषा) परमाणु ऊर्जा विभाग निर्माण,
सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, तीसरा तल, दक्षिणी स्कंध,
अणुशक्ति नगर, मुंबई-400094

''राजभाषा भारती'' पत्रिका न केवल बाह्य स्तर पर दर्शनीय है, अपितु इसका आंतरिक कलेवर भी आकर्षक व पठनीय है। पत्रिका में दिए गए लेख व इसका संपादन उच्च कोटि का बन पड़ा है। विभिन्न विधाओं पर प्रकाशित लेख ज्ञानवर्धक हैं। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों में चल रही हिंदी गतिविधियों की यथार्थपरक झलक मिलती है। निश्चय ही इस पत्रिका से हमें अपने संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सुगठित संपादन हेतु बधाई तथा सुनहरे भविष्य हेतु शुभकामनाएँ।

—सतीश चन्द्र शर्मा
हिंदी अधिकारी
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) का उद्यम
भारत नगर, गाजियाबाद-201010

राजभाषा भारती का 108वां अंक मिला। धन्यवाद। इस अंक में विभिन्न विषयों को समेटा गया है। लेख रोचक तथा सूचनाप्रद हैं। राजभाषा की प्रगति से जुड़े लोगों के ज्ञानवर्धन और प्रेरणा स्वरूप उत्प्रेरक का कार्य करने वाली इस एक मात्र पत्रिका को पढ़ने का अवसर पाने पर मैं, अपना आभार प्रकट करता हूँ।

—योगेंद्र सिंह यादव
हिंदी अनुवादक मुख्यालय, मुख्य अभियंता सेवक
परियोजना, द्वारा-99/-सेना डाकघर

आपके द्वारा प्रेषित पत्रिका का अंक 109 प्राप्त हुआ, हार्दिक धन्यवाद। पत्रिका में समाहित चिंतन की धारा, साहित्यिक परिवेश, संस्कृति एवं विज्ञान का समन्वय, पत्रकारिता एवं पर्यावरण तथा पुस्तक समीक्षा के विविध स्तंभ बहुआयामी हैं। सच्चे अर्थों में पत्रिका राजभाषा विकास में ही नहीं बल्कि साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि की कृति है। मुँशी प्रेमचंद पर लिखे गये दोनों स्तंभों में लेख पत्रिका का कलेवर बढ़ाते हैं। स्तरीय पत्रिका में सहयोग करने वाले समस्त लेखकगण बधाई के पात्र हैं एवं आपको सफल संपादन के लिए नराकास, आगरा की ओर से हार्दिक साधुवाद।

—डॉ आर. एस. तिवारी
हिंदी प्राध्यापक, राजभाषा विकास अनुभाग, छठा तल,
आयकर भवन, संजय प्लेस, आगरा

राजभाषा भारती का जनवरी-मार्च 05 अंक ''चिंतन'', ''साहित्यिकी'', ''संस्कृति'' में स्तरीय एवं संग्रहणीय रचनाएं देखकर हर्ष हुआ। आपने अपने संपादकीय में पत्रिका को सार्वदेशिक रूप देने का संकल्प प्रकट किया है, वह सराहनीय है।

—प्रतिमा वर्मा
के० 64/5, गोला दीनानाथ वाराणसी-221001

सचमुच राजभाषा भारती अंक 109 उपयोगी है, अतः संग्रहणीय/संपादकीय में पत्रकारिता के इतिहास की झलक और प्रेमचंद का महत्व ध्यान आकर्षित करता है तो डॉ० राजेंद्र प्रताप सिंह का ''चिंतन'' भी प्रसन्न करता है। इसके अलावा श्रीमती इंदु बाला, डॉ० सुधेश, प्रो० योगेश चंद्र शर्मा, डॉ० दिनेश मणि, डॉ० परमानंद पांचाल, साधना तोमर, निशा सहगल के विचारों ने प्रभावित किया।

—डॉ० आर. द्विवेदी
केंद्रीय विद्यालय, छावला, नई दिल्ली-110071

राजभाषा भारती का 109वाँ अंक प्रकाशित सामग्री की दृष्टि से उल्लेखनीय है। प्रेमचंद की 125वीं जयंती पर उन्हें याद करना सुखकर लगा। उनकी भाषा दृष्टि पर डॉ० राजेंद्र प्रताप सिंह का आलेख सूचनाप्रद एवं पठनीय है। प्रेमचंद द्वारा अनूदित नाटकों पर अनिल पतंग ने समग्रता से विचार किया है। संस्कृति, पत्रकारिता एवं पर्यावरण स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित आलेख भी स्तरीय हैं।

—ललन चतुर्वेदी
केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, राँची-835303

राजभाषा भारती का अप्रैल—जून, 2005 अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। हिंदी के राजभाषा स्वरूप को ही नहीं, साहित्यिक रूप को भी पत्रिका उभार रही है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। कुशल संपादन के लिए अभिवंदना।

शुभकामनाएं,

—श्री के. जी. बालकृष्ण पिल्लै
सदस्य, केंद्रीय समिति, गीता भवन, पेरूरकटा-पो०, तिरूवनंतपुरम, पिन-695005

राजभाषा भारती का जनवरी-मार्च, 2005 अंक की सामग्री ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी है। राजभाषा के अनेक पहलुओं को विवेकपूर्ण ढंग से समविष्ट किया गया है। राजभाषा के आधुनिक तथा अंतरराष्ट्रीय स्वरूप पर चर्चा भी श्लाघ्य है। बधाई एवं शुभकामनाएँ।

—अभिनव ओझा
210/71-बी/1, स्टेनली रोड, कमलानगर, इलाहाबाद-211002 (उ०प्र०)

MGIPRRND—261 HA/2006—5,000 Copies

श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) : श्री जे० बी० नेगी, भापुसे, महानिरीक्षक (दाएं) से राजभाषा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए "**राजभाषा शील्ड**" 2004-2005 ग्रहण करते हुए, श्री विरेंद्र, भापुसे, उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, विद्रोहरोधी संक्रिया-द्वितीय।

महानिदेशालय भा.ति.सी.पु. की "राजभाषा चलशील्ड योजना" के "बड़े अनुभागों" के ग्रुप में वर्ष 2005-2006 के विजेता घोषित अभियांत्रिकी शाखा के प्रभारी श्री एस.वी. त्यागी, उप महानिरीक्षक (अभियंता) को हिंदी पखवाडे के "पुरस्कार वितरण समारोह" के दौरान चलशील्ड प्रदान करते मुख्य अतिथि श्री स. कु. केन, महानिदेशक, भा.ति.सी.पु.।

पं.सं. 3246/77
आई एस एस एन 0970-9398

वित्त मंत्री
भारत
नई दिल्ली-110001
FINANCE MINISTER
INDIA
NEW DELHI-110001

संदेश

'हिंदी दिवस' के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर, 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और तभी से प्रत्येक वर्ष इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का यह दायित्व है कि सरकारी कामकाज में निष्ठापूर्वक हिंदी का प्रयोग करें।

भारत अनेक समृद्ध भाषाओं का देश है। हिंदी सभी भाषा-भाषियों तथा जनता व सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करती है। देश के आर्थिक-सामाजिक विकास तथा राष्ट्रीय अखंडता में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

वित्त मंत्रालय तथा इसके सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं बीमा कंपनियों आदि के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है कि वे हिंदी की भाषा, टंकण, आशुलिपि की प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करें तथा अपने सरकारी कामकाज में अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग करें ताकि राजभाषा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

पी. चिदम्बरम

(पी० चिदम्बरम)

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।